खण्ड-176, अंक-2
गुरूवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1878
(9 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATIVE LIBRARY
1 6 OCT 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९०)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री

जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बंजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचनराव, श्री

शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में दंगा

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़ में जुलाई, सन् १९५६ के तृतीय सप्ताह में दंगा हो गया है, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु तथा ३९ व्यक्ति घायल हुये हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—२६ जुलाई सन् १९५६ को एक दंगा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सात घायल हुये।

२—श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उक्त दंगे का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जो आदमी मरा उसका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनका नाम बनवारीलाल था, उनको चोट लग गई थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री इसकी जानकारी करेंगे कि यह सही है कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी उनके खिलाफ उन्होंने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी की थी ?

श्री अध्यक्ष---इन ब्योरों में जाने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि यह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चार्जशीट लगा दी गई है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जिस स्थान पर ताश लिखा हुआ है वहां प्रतिदिन जुआ हुआ करता था ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न भी, मैं समझता हूं, नहीं पूछा जा सकता है। जो प्रश्न अदालत में उठाये जा सकते हैं वे आप यहां न उठावें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी श्री बनवारीलाल जी के परिवार को कोई पेन्शन देने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं हुआ है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में लिखी गई मोटी-मोटी बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---वैसे तो विवरण मैं दे चुका हूं । मोटी बात यह है कि एक जगह कुछ लोग ताश खेल रहे थे। उन्होंने पड़ोस में रहने वाली औरतों के साथ कुछ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की। वहां के लोगों ने एतराज किया और इस पर झगड़ा हो गया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्री बनवारीलाल जी की क्या अवस्था थी और वह उस स्थान के समाज सेवक के रूप में बहुत ही प्रमुख व्यक्ति माने जाते रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उनकी अवस्था का तो ठीक मैं नहीं कह सकता लेकिन वह उस स्थान में काफी आदरणीय समाज सेवक माने जाते थे ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---जो ३९ व्यक्ति घायल हुये उनकी अब क्या हालत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---घायलों की हालत सुधर रही है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि इस झगड़े के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में कुछ कम्यूनल टैन्शन की बात लिखी गयी है, उसमें कहां तक सत्यता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें कोई कम्यूनल बात नहीं पाई गई ।

तारांकित प्रश्न

सिंचाई और विद्युत विभाग में सुपरवाइजरों तथा इलेक्ट्रिक मेकेनिकों की अनियमित नियुक्ति पर आपत्ति

*१---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल सुपरवाइजर कई वर्षों से बिना नियमानुकूल नियुक्ति के ही कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और कब से काम कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—विद्युत विभाग में एलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल सुपरवाइजर नहीं होते। इस विभाग में स्टेशन सुपरवाइजर तथा शिफ्ट सुपरवाइजर हैं परन्तु इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना नियमानुकूल नियुक्ति के कार्य कर रहा हो।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बतायेगी कि इन लोगों की नियुक्ति नियमानुकूल क्यों नहीं की गई?

श्री धर्म सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गलती के लिये जो कर्मचारी जिम्मेदार थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दूसरे विभाग से संबंधित थे जिसके लिये मैंने आपके कार्यालय को लिखा भी था, किन्तु माननीय मंत्री जी को यह सवाल भेज दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—किसी को दिये गये हों लेकिन आपको उत्तर तो मिल गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यह उत्तर उन प्रश्नों का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि यह उत्तर उन प्रश्नों के हैं या नहीं?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने जो प्रश्न किये थे मैंने उन्हीं का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यही उत्तर है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिंचाई और विद्युत विभाग भी थे तो सिंचाई विभाग में इलेक्ट्रिकल मेकेनिक और सुपरवाइजर के पद थे या नहीं?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में ए० जी० ने कोई आब्जेक्शन किया था, यदि हां, तो वह क्या है?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये कहा नहीं जा सकता।

आजमगढ़ जिला कारागार के अधिकारियों के क्वार्टर

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिला कारागार के अधिकारियों के क्वार्टर बहुत ही छोटे-छोटे हैं?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फ रहसन)—जी नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो क्वार्टर्स बने हैं उनमें इन लोगों के परिवार सहित रहने की पर्याप्त जगह है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो क्वार्टर बने हैं उनके आस-पास या सामने कोई मैदान नहीं है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार इन क्वार्टरों की लम्बाई-चौड़ाई बताने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---कई किस्म के क्वार्ट्र्स हैं, अगर किसी पर्टीकूलर क्वार्टर के बारे में पूछे तो बताया जा सकता है।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मैं उन क्वार्टरों के बारे में पूछ रहा हूं जो छोटे-छोटे हैं।

श्री मुजफ्फर हसन---छोटे-छोटे कर्मचारियों में असिस्टेंट मेडिकल आफिसर, विवाहित वार्डर, डिप्टी जेलर हैं इनमें से किसके बारे में बताया जाय ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---वार्डर के बारे में।

श्री मुजफ्फर हसन---विवाहित वार्डर का क्वार्टर ४०-८ लम्बा व २४-३ १/२ चौड़ा, यह होना चाहिये लेकिन है---४६×४१।

श्री जगन्नाथमल्ल---माननीय मंत्री जी ने जो यह लम्बाई-चौड़ाई बतलायी है वह इंचों में बतलायी है या फीटों में बतलायी है या गजों में ?

श्री मुजफ्फर हसन---बहरहाल फीटों में ही लम्बाई-चौड़ाई होती है, इंचों में नहीं होती।

सरकारी अफसरों के तबादले पर दावत देने के संबंध में आदेश

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार की ओर से हाल में जिलाधीशों को कोई इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि अधिकारियों के तबादले के अवसरों पर स्वागत तथा विदाई के नाम पर होने वाली दावतों में अधिकारी शामिल न हों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी हाल में ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये किन्तु सन् १६५० में ऐसे आदेश अवश्य जारी किये गये थे।

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---गश्ती राजाज्ञा सं०-ओ-३१६७ / २-बी०-५०, दिनांक ३०, अक्तूबर १६५० की प्रतिलिपि मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३७-१३८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन नहीं होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---माननीय सदस्य ने कभी ऐसी शिकायत नहीं की।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले का कौन अधिकारी इस सम्बन्ध में सरकार के पास रिपोर्ट देता है कि फलां अधिकारी के तबादले के वक्त कोई दावत नहीं की गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस बात की जानकारी करने की कोई जरूरत नहीं होती कि कोई दावत नहीं दी गयी। साधारण तौर पर माना जाता है कि दावत नहीं दी गयी। यदि इसकी कोई शिकायत की जाती है तो जानकारी हासिल की जाती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके इधर के एक महीना के तमाम समाचार-पत्रों को देख डालेगी बनारस के कि बनारस के जितने अधिकारी वहां से दूसरे जिलों में ट्रांस्फर हुए हैं सबको विदाई के वक्त दावत दी गयी और उसमें जिले के सब बड़े-बड़े अफसर सम्मिलित रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---समाचार-पत्रों के आधार पर तो कोई कार्यवाही करना कठिन होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री इसकी जानकारी हासिल करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अप्रैल सन् ५६ में किसी अधिकारी के तबादले के वक्त आठ दस-जगह दावत हुई है कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यदि माननीय सदस्य सीधा-सीदा नाम बतलायेंगे तो मैं उसकी जानकारी हासिल कर लूंगा, गोल-मोल प्रश्न से क्या फायदा ?

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सिर्फ तबादले के वक्त दावत देना गुनाह न माना जाय बल्कि और दूसरे वक्त पर भी दावत खाना गुनाह माना जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो हमेशा ही दावत खाने की मुमानियत है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर कि इस आदेश की अवहेलना होती है, इस सम्बन्ध में जिले से सूचना प्राप्त करने के लिये कोई योजना बनावेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यदि इस आदेश की अवहेलना का समाचार हमको मिलेगा तो इस बात की कोशिश मैं जरूर करूंगा कि क्या किया जाय । लेकिन आम तौर से अभी कोई इत्तिला हमारे पास आयी नहीं है कि आदेश की अवहेलना हो रही है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी अधिकारी के तबादले के वक्त कुछ अधिकारी लोग आपस में मिल कर दावत कर दें तो क्या यह कोई अपराध है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---किसी के तबादले के वक्त या और किसी समय अधिकारी लोग एक दूसरे को खाना खिलावें या दावत करें तो उसमें कोई अपराध की बात नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---क्या पुलिस मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस वक्त जयपुरिया के कत्ल की इनक्वायरी हो रही थी उस समय कई मिनिस्टरों ने जयपुरिया की ओर से दावत खायी ?

श्री अध्यक्ष---यह मिनिस्टरों का सवाल नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न जिलों में माननीय मंत्री लोगों के स्वागत में दावतें होती हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह बात यहां नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या उस उद्देश्य के अन्दर यह आता है ?

श्री अध्यक्ष---यह उल्टी सी बात आप पूछ रहे हैं, यह अस्पष्ट है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय केशव जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा दिये गये आदेश में दावत शब्द की परिभाषा क्या रखी गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस सम्बन्ध में जो आदेश जारी किया गया है उसका यह अभिप्राय है कि किसी सरकारी अफसर का तबादला हो या उसकी तरक्की हो तो उस समय कोई दावत या समारोह सार्वजनिक तौर पर चाहे जनता की तरफ से ही हो उसमें किसी अफसर को नहीं जाना चाहिये और न किसी अफसर को उसमें शरीक होना चाहिये। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को खाना खिलाना चाहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और जहां इस सम्बन्ध में कोई सन्देह हो वहां के जिला मैजिस्ट्रेट को कि इस समय के आयोजन को व्यक्तिगत रूप से कहें कि या सार्वजनिक रूप से कहें, तो वे गवर्नमेंट से उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जब किसी अफसर का तबादला एक तरक्की के रूप में, प्रमोशन के रूप में होता है तो क्या उस समय दावत देने का मौका गैर सरकारी लोगों को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब उन्होंने दे दिया, उन्होंने दोनों के लिए कहा है ।

श्री जगन्नाथमल्ल---कौन दावतों में जाया जाय और किन-किन में न जाया जाय, क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जो प्रश्न था उसके सम्बन्ध में जो आदेश हैं वह मैंने माननीय सदस्य की मेज पर रख दिये हैं, दूसरा सवाल आप करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या ऐसी दावतों में जो जनता की ओर से मंत्रियों को दी जाती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने का आदेश है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं .....

श्री राजनारायण---मैं यह कह रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं, आप जिस ढंग से प्रश्न कर रहे हैं उससे मूल प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी उन कारणों को बतायेंगे कि जिनकी वजह से सरकार ने ऐसे आदेश जिलाधीशों को दिये हैं कि तबादले के वक्त दावत में न शामिल होना चाहिए ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जनहित में यह उचित समझा गया कि इस तरह के आदेश जारी किये जायं ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जिलाधीशों को जो आदेश गये हैं उसकी एक-एक कापी समस्त सदस्यों को भेज दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह आदेश तो सदन की मेज पर रख दिये गये हैं और मेरा खयाल है उनको अखबार वाले छाप ही देंगे ।

आजमगढ़ जिले में पिस्तौल तथा रिवाल्वर के कतिपय लाइसेन्सों के नवीनीकरण का रोकना

*७---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में पिस्तौल तथा रिवाल्वर के कितने लाइसेन्सों का नवीनीकरण सन् ५५ व ५६ में रोक दिया गया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---१९५५ में १३९ तथा १९५६ में २ पिस्तौल तथा रिवाल्वर के लाइसेन्सों का नवीनीकरण रोक दिया गया ।

*८--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन लाइसेन्स-दारों के लाइसेन्स नवीनीकरण करने से रोके गये हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो भारतीय सरकार को इन्कमटैक्स देते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन ।

*९--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि उक्त व्यक्तियों में नवीनीकरण के समय पर कौन-कौन सी अयोग्यतायें मालूम हुई जिनके कारण उनका नवीनीकरण रोका गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--निम्नांकित कारणों से नवीनीकरण रोका गया--

(१) पिस्तौल या रिवाल्वर, रखने की आवश्यकता का अभाव,

(२) आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति संबंधी अयोग्यता,

(३) चरित्र संदेहजनक होना ।

बलिया जिले के हथऊज ग्राम की डकैती

*१०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या पुलिस मन्त्री बतायेंगे कि हथऊज ग्राम (थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया) में १२-१-५६ को कोई डकैती हुई थी जिसमें ५ जानें गईं ?

*११--यदि हां, तो क्या इस डकैती पर विस्तृत प्रकाश डालने की कृपा सरकार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस डकैती का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३९ पर)

*१२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रिपोर्ट में नामजद दस व्यक्ति तथा एक अन्य व्यक्ति का चालान हो चुका है और इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है । इस डकैती का एक और अभियुक्त थोड़े दिन पूर्व कलकत्ते में पकड़ा गया है ।

आय-व्ययक में पूंजी की मदों को आय की मदों में शामिल करने की परिपाटी के संबंध में जानकारी

*१३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में सरकार ने पूंजी व्यय (Capital Expenditure) की परिभाषा में परिवर्तन किये जाने हेतु कोई आदेश जारी किये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय नीति के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय की परिभाषा क्या है ?

श्री धर्मसिंह--जो बजट आदि में लिखी रहती है वही परिभाषा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पिछले २ वर्षों से कैपिटल मदों को रेवन्यू मदों में शामिल करने की सरकार ने नई परिपाटी चलाई है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस वर्ष ढाई करोड़ के अनुदान को कैपिटल मद से बदल कर रेवेन्यू मद में स्थानान्तरित किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए कहा नहीं जा सकता ।

झूला, जड़ी-बूटी तथा अन्य वन उपजों के संबंध में पूछताछ

*१४---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्ष जंगलों से कितना झूला, जड़ी-बूटी तथा अन्य विविध कच्चे माल का उत्पादन हुआ ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---यह सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु जितने माल की निकासी हुई उसका ब्योरा नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४०-१४१ पर)

*१५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि झूला आदि सामान को जंगलों से लाने वाले मजदूरों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिलता है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त सामग्री को स्वयं उचित मूल्य पर खरीदने-हेतु कोई योजना बना रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विगत वर्ष जो कच्चे माल झूला, जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन हुआ उसको किसी संस्था विशेष ने खरीदा या उसका ठेका वगैरा हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आम तौर पर यह होता है कि पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वह अपने निजी इस्तेमाल के लिए बगैर पैसे के उसको ले जाते हैं, लेकिन जो उसका निर्यात करते हैं उनसे चौकी पर ही रायल्टी ले ली जाती है और कहीं-कहीं पर ठेका होता है तो चौकी पर ही बहुत हद तक उसका टैक्स ले लेते हैं । पिछले साल रानीखेत की जो फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री है उसको ठेका दे दिया गया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रानीखेत फैक्टरी को जो यह अधिकार दिया गया है वह किन-किन जड़ी-बूटियों के खरीदने के लिये दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसमें कोई बन्धन नहीं है । जितनी जड़ी-बूटियां हैं सब ला सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कोटबाग, जिला नैनीताल के शनीचर बाजार में किसान जो झूला और जड़ी-बूटियां लाते हैं उसके लिये उनको उचित दाम नहीं मिलते ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे इस बात की सूचना नहीं है । गवर्नमेंट इतना जानती है कि उनसे टैक्स ले लिया करती है । जड़ी-बूटियां उनकी कम में बिकती हैं या ज्यादा दामों में बिकती हैं इसका ज्ञान नहीं है ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री प्रकाश डालेंगे कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त जो अन्य जंगल है उनकी जड़ी-बूटियों के भी ठेके होते हैं या वहां के लोग बिना इजाजत के निकाल सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां तो करीब-करीब पहाड़ों पर सभी रिजर्व फारेस्ट में आ जाता है चाहे फर्स्ट क्लास हों या सिविल फारेस्ट हों। सब फारेस्ट के अन्दर आ जाता है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जड़ी-बूटियां जंगलों में पैदा होती हैं वे केवल हिमालय के जंगलों में पैदा होती हैं या प्रदेश के अन्य जंगलों में भी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बुन्देलखंड में भी होती हैं। हिमालय पहाड़ पर क्या सभी जंगलों में होती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात की आवश्यकता को देखते हुए कि झूले और जड़ी-बूटियों के दाम किसानों को ठीक मिल सकें उनकी कीमत निर्धारित करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब इरादा तो यह है कि उनको कोआपरेटिव्स को दे दिया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झूला क्या चीज है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बांज के पेड़ों में मास अथवा काई घास जो पैदा होती है उसी को झूला कहते हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के समय भ्रष्टाचार विरोधी जिला समितियों के सदस्यों की उपस्थिति

*१६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भ्रष्टाचार विरोधी जिला कमेटियों के सदस्यों को खुद उनके द्वारा की गई शिकायतों की जांच के समय जांच में मौजूद रहने का अधिकार दिया गया है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सरकार के आदेश हैं कि जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सदस्य द्वारा की गयी शिकायत की जांच में सम्बन्धित सदस्य का सहयोग प्राप्त किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहयोग प्राप्त किये जाने में उस सदस्य का जांच के समय मौजूद रहना आवश्यक है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हमेशा तो सदस्य का मौजूद रहना ठीक नहीं है लेकिन जो सदस्य शिकायत करते हैं उन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिये कि जो भी शहादत वे पेश करें, जिस किसी की शहादत पेश करवानी हो उसे पेश करें या जो कोई भी जानकारी जांच करने वाले को देनी चाहिये वह दे सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो सीधा है कि क्या उसमें सम्बन्धित सदस्य को यानी जो सदस्य शिकायत करे उसको इस बात का अधिकार है या नहीं कि अगर वह चाहे कि जांच के वक्त ठीक मौजूद रहे, उसकी मौजूदगी में जांच हो जिससे वह देख सके कि जांच ठीक ढंग से हो रही है या नहीं, यह अधिकार उसका सम्मिलित है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह अधिकार नहीं है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो सरकार क्या सहयोग प्राप्त करने की रूपरेखा स्पष्ट सुनिश्चित करने की कृपा करेगी जिससे इस बारे में कोई संदेह की बात न रहे कि सहयोग कहां हासिल किया जायगा और कहां नहीं किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---रूप रेखा तो स्पष्ट है। उसके अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिन कारणों की वजह से उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि अगर्चे शिकायत करें तो शामिल न हो सकें ?

श्री जगनप्रसाद रावत---क्योंकि जांच करने का कार्य जो सदस्य शिकायत करने वाले हैं उनका नहीं है । इसलिए जहां तक इसका सम्बन्ध है कि जांच ठीक से हो सके उनको हमेशा इत्तला दी जा सकेगी कि अमुक जगह जांच हो रही है और जिस समय तक उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी वहां उनको रहने भी दिया जायगा। लेकिन हर समय यह आवश्यक नहीं है कि जांच के समय मौजूद ही रहे ।

बाह तहसील, जिला आगरा में कत्ल व डाके

*१७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मानसिंह की मृत्यु के बाद बाह तहसील में कितने डाके पड़े हैं ? (२) कितने लोग जान से मारे गये हैं, और (३) डाके-कत्ल वगैरा के अपराध घटे हैं या बढे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मानसिंह की मृत्यु के बाद से १-८-५६ तक बाह तहसील में (१) नौ डाके पड़े, (२) पन्द्रह व्यक्ति जान से मारे गये, (३) पिछले वर्ष के इन्हीं दिनों की अपराध संख्याओं को देखते हुए डाकों की संख्या में कमी हुई परन्तु कत्ल कुछ अधिक हुए ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष डाकों की संख्या क्या थी और कत्लों की संख्या क्या थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---पिछले वर्ष २५-८-५४ से १-८-५५ तक डाकों की संख्या ११ और कत्लों की संख्या १२ थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो कत्लों में वृद्धि हुई है इस परिस्थिति को दूर करने के लिए वह क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---पुलिस को आदेश है कि वह ज्यादा सरगर्मी से काम करे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को यह मालूम है कि पुलिस का जो प्रबन्ध वहां पर किया गया है उसके सम्बन्ध में शुरू से लेकर अब तक लगातार कई वर्षों से वहां की जनता को शिकायत है कि पुलिस के अधिकारियों को रखने से जनता को सहायता मिलने के बजाय जनता पर अधिक अत्याचार होता है और असंतोष अधिक फैलता है जिससे अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि डाके और कत्ल जो इस वर्ष बढ़े हैं उनका मुख्य कारण यह है कि यू० पी० और मध्यभारत का जो ज्वाइंट कमांड था वह तोड़ दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डाकों की संख्या तो बढ़ी नहीं है, घटी है। कत्लों की संख्या कुछ बढ़ी है। लेकिन यह वृद्धि इस तरह की नहीं है जिसको यह समझा जाय कि ज्वाइंट कमांड के तोड़ देने से हुई है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार के सामने वाह में कोई पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—वह कब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब उसके सम्बन्ध में जितनी बातों की जानकारी की जरूरत है वह पूरी हो जायगी और पूरी तरह से उस पर विचार हो जायगा तो उस पर कोई फैसला हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस इलाके में डाकुओं द्वारा कितने पुलिस के अफसर या सिपाही मारे गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो मान सिंह को गिरफ्तार करने की योजना बनायी गयी थी वह योजना समाप्त हो गयी या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मानसिंह को गिरफ्तार करने की योजना तो मानसिंह की मौत के साथ समाप्त हो गई। अब तो दूसरों को गिरफ्तार करने की योजना बनेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान सिंह की मृत्यु के बाद बाह क्षेत्र में और कितने डकैत पकड़े गये हैं या जान से मारे गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

*१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९-२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में बदौसा थाने के थानेदार के निवास-स्थान के सामने श्री महेश की हत्या

*२१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—(जिला फैजाबाद) क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तारीख १६ अप्रैल, १९५६ को थाना बदौस, जिला बांदा के थानेदार के निवास-स्थान के सामने किसी श्री महेश नामक व्यक्ति की हत्या हो गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*२२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने और कौन-कौन अपराधी पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—निजाम नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका चालान किया गया है।

*२३—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या इस मामले की लिखित रिपोर्ट किसी ने थानेदार को दी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी .F I. R. एक कांस्टेबिल ने लिखाई थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री जी संक्षेप में बतलायेंगे कि किन परिस्थितियों में यह कत्ल हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब यह तो अदालत में मामला जा चुका है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश डालना मुझे ठीक नहीं मालूम होता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की इत्तिला है कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में कितने व्यक्तियों का नाम लिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इत्तिला तो मेरे पास सब कुछ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार का निवास स्थान थाने के पास में है या थाने से दूर था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह सवाल तो शायद अदालत में लोग पूछें। जिरह हो, सभी कुछ हो, इसलिए यहां तो मैं आपको क्या बताऊं।

श्री अवध शरण वर्मा, एम० एल० ए० की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों को जेल में सुपीरियर क्लास देने पर आपत्ति

*२४—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में गत वर्ष हुये अवधशरण वर्मा (लल्ला), एम० एल० ए० की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये मुल्जिमों में से कुछ को जेल में सुपीरियर क्लास दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। चार अभियुक्तों को जेल में सुपीरियर क्लास दिया गया है।

*२५—श्री रामसेवक यादव (अनुपस्थित)—यदि हां, तो ऐसा क्यों और किस आधार पर किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह लोग जेल मैनुअल के पैरा २८५ के अनुसार सुपीरियर क्लास पाने के अधिकारी थे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जेल मैनुअल की धारा २८५ के मुताबिक जिन बातों की आवश्यकता है वह चार व्यक्ति उन शर्तों को पूरा करते हैं ? इसकी जांच कैसे कराई गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, वह उन शर्तों को पूरा करते हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर स्पष्ट तरीके से बतायेगी कि उनकी जांच कैसे कराई गई ? किन अधिकारियों से कराई गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जाँच तहसीलदार के जरिये से कराई गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को पता है कि यह जेल मैनुअल के आदेश जो दिये गये वह जिलाधीश बाराबंकी ने दिये या सरकार ने दिये ?

नोट—तारांकित प्रश्न २४–२५ श्री राजनारायण ने पूछे।

श्री मुजफ्फर हसन---यह अधिकार जिलाधीश को हैं और उसी ने दिये ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अपने को सुपीरियर क्लास में ले जाने के लिये उन व्यक्तियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार जिन-जिन व्यक्तियों को सपीरियर क्लास दिया गया है उसमें श्री भोलासिंह को छोड़ कर बाकी तीन व्यक्तियों के संबंध में वह शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, इसकी पुनः जांच करायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि यह पुराने जमींदार हैं इसलिये कोई जरूरत नहीं मालूम होती उसकी फिर से जांच कराने की ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बात को देखते हुए कि इन संबंधित हत्यारों ने बड़ा जघन्य अपराध किया है तो इन श्री वर्मा के हत्यारे और श्री शुक्ल के हत्यारे को सुपीरियर क्लास न दिये जाने के संबंध में पुनः सरकार विचार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह अपराध तो उनका जाहिर ही है जो बहुत भयंकर है लेकिन उनको जो कानूनी सुविधा मिलनी चाहिये वही दी गयी है उससे जायद नहीं है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर जेल मैनुअल को अमेंड करेंगे ताकि आइन्दा ऐसे लोगों को सुपीरियर क्लास न दिया जाय जो कत्ल करें ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस वक्त तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जमींदार लोग जब जमींदार थे तो कितनी मालगुजारी दिया करते थे और अब कितनी मालगुजारी देते हैं और उनके पास कितनी जमीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन चार व्यक्तियों को सुपीरियर क्लास दिया गया है उनकी सालाना या मासिक आमदनी कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पुराने जमींदारों को सुपीरियर क्लास मिलना तय है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो तफसील से जांच होती है । यह कोई जरूरी नहीं है कि वह खाली जमींदार ही हों ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर इस बात का पता लगायेगी कि एक सज्जन जिसने सुपीरियर क्लास के लिये प्रार्थना-पत्र दिया उसने अपने प्रार्थना-पत्र में अपने को रिटायर तहसीलदार लिखा है जब कि वह कहीं भी नौकरी में नहीं था ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---क्या इन लोगों को सुपीरियर क्लास में रखने के लिये सरकार के सामने जिलाधिकारियों की सिफारिश आयी थी और अगर सिफारिश आयी थी तो उसका क्या आधार था ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई सिफारिश नहीं आयी और न सिफारिश की जरूरत थी।

फतेहपुर नगर को बिजली

*२६—श्री अब्दुलरऊफ खां (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छोटे नगरों को विद्युत् युक्त करने की योजना के अधीन नगर फतेहपुर में बिजली लगाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां। आशा की जाती है कि फतेहपुर में बिजली १९५७ के भीतर लग जायेगी।

'क' श्रेणी की पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में सुविधायें

*२७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने पिछड़ी जातियों की कोई "क" सूची तैयार की है ? यदि हां, तो उस सूची में जिन १५ जातियों का उल्लेख है उन्हें सरकारी नौकरी में कौन सी विशेष सुविधायें दी जाती हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। नियुक्ति करते समय इन पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों का ध्यान रखा जाता है। यदि नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के बाद नहीं होती और इन जातियों के योग्य (qualified) उम्मीदवार मिलते हैं तो उन्हें पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका ध्यान रखने की कोई स्पष्ट रूप-रेखा है और अगर है तो वह रूप-रेखा क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ध्यान रखने की रूप रेखा यही है कि जहां प्रतियोगिता होती है वहां तो कोई आदेश नही है लेकिन जहां प्रतियोगिता नहीं है वहां जब कोई नौकरी दी जाती है तो वहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई योग्य उम्मीदवार हैं तो उनको तरजीह दी जाय और उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में रखा जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब से यह आदेश जारी हुआ है तब से सरकार ने इस बात की कोई तहकीकात की है कि विभिन्न विभागो में किस प्रकार उनको तरजीह दी गई है और दी गई है या नहीं दी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आम तौर से इस बात के बराबर आदेश दिये जाते रहते हैं लेकिन यदि किसी विशेष विभाग या किसी विशेष जगह के बारे में आप पूछें तो मैं उसकी जानकारी करके बतला दूं कि उसके ऊपर कितना अमल हुआ है ।

पीली दुअन्नियां चलने में कठिनाई

*२८—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि प्रांत के कुछ पूर्वीय जिलों में पीतल की दुअन्नियां नहीं चल रही हैं?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, अलबत्ता इसकी कई शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग पीली दुन्नियां लेने से इंकार करते हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अभी भी बाराणसी जिले के अन्तर्गत पीतल की दुअन्नियां नहीं ली जाती हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो कुछ पता नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न २८ श्री राजनारायण ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यहां कौंसिल हाउस के आसपास लखनऊ में भी पीतल की दुअन्नियां नहीं ली जाती हैं ?

श्री धर्मसिंह---यहां तो ली जाती हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि पीतल की दुअन्नियां लेने से इसलिये ऐतराज किया जाता है कि उसमें जाली दुअन्नियां बहुत ज्यादा हो गयी हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, यह बात नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार पूर्वी जिलों में और खासकर जौनपुर में इस बात की घोषणा करायेगी कि पीतल की दुअन्नियां न लेना जुर्म है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह तो अखबारों में आ चुका है और इसकी घोषणा कर दी गयी है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार नकली दुअन्नियां जो बाजार में चल रही है उनको कैंसिल कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---इस सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार हमारी बात को सूचना समझकर कि निश्चित रूप से वाराणसी जिले के अन्तर्गत पीतल की दुअन्नियां नहीं ली जा रही हैं वहां सरकारी अधिकारियों को यह आदेश देगी कि वह पुनः इसकी घोषणा कर दें कि कोई भी व्यक्ति पीतल की दुअन्नियां लेने से इंकार नहीं कर पायेगा ?

श्री धर्मसिंह---इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जनरल प्रेस नोट हो गया था उसी के आधार पर यह था।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि यह पीतल की दुअन्नियां इसलिये नहीं चल रही हैं कि इसमें काउन्टरफीट बहुत ज्यादा तादाद में प्रचलित हो गयी हैं इसलिये लोग लेने से इंकार करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की शिकायत की जायगी कि वह पीतल की दुअन्नियां लेने से इंकार करते हैं उनके प्रति सरकार कौन सी कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जो कुछ मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

*२९-३०---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---[२३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बन्दीगृह अलीगढ़ में बन्दियों को कम भोजन देने की शिकायत

*३१---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अपराध निरोधक समिति, अलीगढ़ के अवैतनिक मंत्री ने जिला बन्दीगृह अलीगढ़ में बंदियों को भोजन कम देने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। इस संबंध में जांच की जा रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के सुपुर्द की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---आई० जी० साहब इसकी छानबीन कर रहे हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की कुछ और शिकायतें कैदियों की असुविधाओं के संबंध में प्राप्त हुई हैं ?

श्री मजफ्फर हसन---इस वक्त तो यही शिकायत सामने है।

*३२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[६ सितम्बर, १९५६ केलिये स्थगित किया गया।]

*३३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[२३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल के स्लीपी हौलो के क्वार्टर्स व बुक हिल की बैरकों के संबंध में पूछताछ

*३४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल के स्लीपी हौलो के क्वार्टर्स व ब्रुक हिल की बैरकों के कमरों में क्या-क्या accomodation, कितना furniture व उनके किरायों की दरें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह---वांछित सूचना मेज पर रक्खी हुई सूची संख्या १ व २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४२-१४३ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ब्रुक हिल के कमरों में फर्नीचर की कमी होने से ठहरने वालों को बड़ी असुविधा होती है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी नैनीताल में कमेटी की मीटिंग के समय एम० एल० एज० को फ्री कमरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि ब्रुक हिल में कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें एकोमोडेशन की कमी है और फर्नीचर भी कम हैं लेकिन किराये की दर बहुत है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या यह वाकया है कि अभी पिछले सेशन में जब बहुत सी कमेटियां नैनीताल में हुई तो मेम्बरान से मुख्तलिफ कमरों में ठहरने का किराया वसूल किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी, सही है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार नये बिल के ऐतबार पर जो मेम्बरान की रिहायश मुफ्त कर दी गई है और मेम्बरान से जो किराया नैनीताल में लिया गया है उसको वापस कर दिया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसी ऐक्ट में लिखा है कि इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री सुल्तान आलम खां---मैं उनके जवाब को नहीं समझा, क्या वह बतायेंगे कि बिल में क्या लिखा हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह तो किसी लेजिस्लेचर में ऐक्ट में लिखा नहीं बतलाया जाता है। ऐक्ट मौजूद है वह उसको पढ़ लें फिर भी सवाल बाकी रहे तो कर लें।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नैनीताल में मेम्बरान जायेंगे उनके लिये नाश्ते और खाने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह बात देखते हुये कि स्लीपी हौलो और ब्रुक हिल में पूरी जगह नहीं मिलती है, कोई दूसरी अनुपूरक व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह काम जारी कर दिया गया है और एकोमोडेशन बढ़ा रहे हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश का रिक्त स्थान

*३५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में कितने स्थान न्यायाधीश के खाली पड़े हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह स्थान कितने दिनों से खाली है और क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह स्थान अभी हाल में एक साहब रिटायर हुये हैं, उनकी वजह से खाली हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान की पूर्ति कब तक हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस संबंध में जाब्ते की कार्यवाही पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में इस स्थान की पूर्ति हो जायगी।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को जानकारी है कि हाईकोर्ट में मुकदमे बढ़ रहे हैं तो क्या इस स्थान के रिक्त होने से बढ़े हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह स्थान तो अभी कुछ ही दिनों से खाली हुआ है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्थान इसलिये खाली पड़ा हुआ है कि सरकार ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है कि उनकी तादाद बढ़ा दी जाय और इकट्ठी नियुक्ति हो ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ऐसी कोई बात नहीं है।

वन विभाग के एक्स्टेन्शन पाने वाले अधिकारी

*३६---**श्री व्रजभूषण मिश्र**---क्या सरकार उत्तर प्रदेश वन विभाग के उन अफसरों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनका रिटायरमेंट सन् १९५५ में और सन् १९५६ में ड्यू था, या है और उन्हें एक वर्ष या दो वर्ष का एक्सटेंशन या रिइम्प्लायमेंट दिया गया या दिया जाने को है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---एक सूची मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४४ पर)

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कदर जो एक्सटेंशन दिये गये हैं इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह जनहित की दृष्टि से किया गया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योग्यता के और आदमी नहीं मिल रहे हैं इस कारण या उनमें कोई विशिष्ट योग्यता है जिसके कारण उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका कारण यह है कि जितने अनुभवी अफसर थे वे स्वराज्य के बाद चले गये जिसकी वजह से नये आदमी हमारे पास रह गये। इसलिये जो कुछ अनुभवी अफसर रिटायर होने वाले थे उनको रोक लिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि यह सूची छूटी हो तो क्या माननीय मंत्री जी उसे स्वयं पढ़ देने की कृपा करेंगे ताकि हम लोग भी जानकारी कर सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री जयराज सिंह	..	दो वर्ष के लिये पुनर्नियुक्त किये गये हैं।
श्री नन्दकिशोर त्रिपाठी	..	,, ,, ,,
श्री सोहन सिंह नेगी	..	दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया।
श्री वाचस्पति नौटियाल	..	दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है।
श्री देवीलाल साह	..	एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है।
श्री दामोदर जोशी	..	एक वर्ष के लिये पुनर्युक्त किये गये हैं।
श्री जंगबहादुर लाल	..	३१-१२-५६ तक पुनर्युक्त किये गये हैं।
श्री रघुवंश सहाय	..	एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है।
श्री दयाकिशन भरद्वाज	..	इनके मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वन विभाग के ऐसे कितने अफसर थे जो स्वराज्य प्राप्त होने के बाद चले गये और जिनके लिये इन अफसरों को एक्सटेंशन देने की जरूरत पड़ रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनमें अधिकांश संख्या अंग्रेजों की थी और वे लगभग सब चले गये।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके बतायेंगे कि जिन अफसरान को तौसीअ दी गयी है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की रजामन्दी हासिल कर ली गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार एक्सटेंशन दिये जाने के कारण वन विभाग में नीचे के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, उनको असंतोष नहीं है। बल्कि वे तो चाहते हैं कि कुछ उन्हें बताने वाले रहें अभी।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात का ख्याल करके कि मुल्क में अनएम्प्लायमेंट इस कदर बढ़ा हुआ है आइन्दा एक्सटेंशन न देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो विशेष परिस्थितियों में देना पड़ता है वरना गवर्नमेंट की नीति तो यही है कि न दिया जाय।

मिर्जापुर जिले में चोपन के पास शिकार दुर्घटना

*३७--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को पता है कि मार्च, १९५६ में मिर्जापुर जिले में चोपन के पास बड़े अफसरों के शेर के शिकार के हकवे में दो आदमी बुरी तरह शेर द्वारा आहत हुए थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां। यह घटना १८ मार्च, १९५६ को हुई थी।

*३८--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेगी कि इसमें कौन-कौन से अफसर शामिल थे और आहत होने वाले कौन हैं तथा उनकी हालत कैसी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मार्च के तीसरे सप्ताह में कमिश्नर, बनारस डिवीजन तथा डी० आई० जी०, पूर्वी क्षेत्र चोपन में कैम्प कर रहे थे। उसी समय उनके लिये चोपन के निकटवर्ती जंगलों के शेर के शिकार की व्यवस्था की गई जिसमें उनके अतिरिक्त मिर्जापुर जिले के जिलाधीश व सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भी शामिल थे। शेर ने दो हकवा करने वालों पर, जो इसके बहुत निकट पहुंच गये थे, हमला किया। एक का नाम जंगली और दूसरे का बच्चन राम था। जंगली के दाहिने जांघ व पैर में गहरी चोट आई और बच्चन राम के पैर में साधारण चोट आई। आहत व्यक्तियों की चोपन अस्पताल में चिकित्सा की गई, तत्पश्चात अतिशीघ्र ही वह बनारस अस्पताल में भेजे गये जहां जंगली की मृत्यु हो गई लेकिन बच्चन राम दवा करने के बाद ठीक हो गये।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हंकवा का प्रबन्ध किसने किया था और जंगली के वारिसों की कोई क्षतिपूर्ति की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हकवा का तो जो शिकार खेलने गये थे उन्होंने स्वयं इंतजाम किया होगा। जहां तक उनकी क्षतिपूर्ति का सवाल है गवर्नमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार इस जंगली की मृत्यु के जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे क्षतिपूर्ति कराने के प्रश्न पर विचार करके उसको क्षतिपूर्ति दिलायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जो सूचना उपलब्ध हुई है उससे तो यह प्रतीत होता है कि वह अपनी ही गलती से बहुत नजदीक शेर के पहुंच गया जो उसे नहीं करना चाहिये था। उसकी गलती थी और इसलिये किसी को मजबूर कैसे किया जाय।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो हकवे हांक रहे थे वे पैसा पाये थे या बेगार में आये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वे तो पैसे पाये होंगे, बेगार में नहीं आये होंगे।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो हकवे हांक रहे थे उनको प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि जो लोग हंकवे गये थे वे शिकार सीखने ही गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--संभव हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कमिश्नर बनारस डिवीजन और जिलाधीश मिर्जापुर आदि शिकार में गये थे क्या वे जो आफिसरान के लिये शिकार खेलने के नियम हैं उनके अन्तर्गत गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नियम के अन्दर तो आमतौर पर वे ऐसे शिकार नहीं खेल सकते लेकिन पार्टी बनाकर अपने आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, जब काम से उनको फुरसत हो अथवा उनके काम में बाधा न हो तो।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे यह बहादुर शिकारी लोग उस शेर को मार पाये या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--२१ तारीख को तो उन्होंने एक मारा था अब वह वही शेर था या दूसरा था सही तौर पर बताया नहीं जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस कैम्प में ये शिकार खेलने गये थे उस कैम्प में यह आफिसरान कितने दिन की छुट्टी में आये हुए थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ये तो अपनी ड्यूटी पर वहां दौरे के सिलसिले में गये थे।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जानकारी जो उन्होंने अभी बतलायी कि वह हकवा करने वाला आदमी खुद इतने नजदीक पहुंच गया कि मारा गया, यह रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा या किस साधन के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--शेर के हमला करने से पहले कोई फायर उनकी मचान से नहीं हुई थी, यह स्पष्ट बात है। इससे प्रतीत होता है कि वह नजदीक गया होगा तभी शेर ने हमला किया। यही रिपोर्ट जिलाधीश ने भी भेजी है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने इन अधिकारियों को यह हुक्म दे रखा था कि वे ड्यूटी पर जाकर शिकार करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह हुक्म तो हर जगह रहता है कि अगर उनके इल्म में कोई आदमखोर शेर हो जाय या काश्तकारों के जानवरों को उठाता हो तो उनका यह कर्तव्य है कि वे उसको मारें।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों ने वहां कोई ऐसी दरख्वास्त दी थी कि शेर वहां जानवरों को तंग कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुमकिन है स्थानीय अधिकारियों के पास आयी हो।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करके जब उन दो आदमियों के मरने के बारे में बहुत-सा मतभेद है एक पक्ष कहता है कि वह नजदीक आने से नहीं मारा गया और दूसरा पक्ष कहता है कि नजदीक आने से मारा गया तो कोई ऐसी इन्क्वायरी कमेटी बैठायेगी ताकि निश्चित रूप से पता चल सके कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मतभेद तो कहीं भी नहीं है। अभी तो कहीं से यह रिपोर्ट भी नहीं आयी कि वह किसी और कारण से मरा हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह सच है कि इस नरभक्षी ने पेढ़ू मांझी पुत्र भोजू, ग्राम सनाथ डंडी तथा धमनी गांव के एक खरवार को खा डाला और अभी तक वह नरभक्षी नहीं करार दिया गया है और न उसके मारने की कोई व्यवस्था हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी इत्तला तो अभी तक माननीय सदस्य ने भी नहीं दी, इतने दिन उनको यहां आये हो गये हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने स्वयं जिलाधीश को इसकी सूचना दी है और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना मेरे पास लिख कर भेज देंगे तो मैं इसकी इंक्वायरी करा दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस शेर द्वारा जो कि कैटिल लिफ्टर बतलाया जाता है, कितने पशु इस वारदात के पहले मार डाले गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। सब चीजें मंगानी पड़ेंगी ?

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह शिकारी लोग उसके बाद भी क्या कभी शेर को मारने के लिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१८ तारीख का यह वाकया है और उसके बाद २१ तारीख को फिर से उन्होंने इस शेर को मारने की कोशिश की और उसके बाद एक शेर मारा भी, तीन दिन के बाद।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन शिकारियों ने वन विभाग से शिकार करने की परमीशन प्राप्त कर ली थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अवश्य कर ली होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस शेर को मारने के लिये यह दोनों अधिकारी जिलाधीश मिर्जापुर और कमिश्नर बनारस डिवीजन कितने दिन वहां कैम्प डाले पड़े रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका मुझे ठीक पता नहीं है। वह कैंप कर रहे थे इतना ही मुझे मालूम है।

अतारांकित प्रश्न

रुद्रपुर, जिला नैनीताल में पुलिस कर्मचारियों की स्त्रियों पर अत्याचार के संबंध में शिकायत

१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री जी को रुद्रपुर, जिला नैनीताल में पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा स्थानीय पुलिस हेड कानिस्टेबिल व एक पुलिस कानिस्टेबिल की पत्नियों पर अनैतिक दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक हेड कान्सटेबुल की पत्नी से इस संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थिनी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ३७६/३२५/३४७/३४३/१४३ के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर कर दिया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

नैनीताल जिले के बैरीघाट बांध के टूटने से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का एक कामरोको प्रस्ताव था उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि वह उसके सम्बन्ध में सदन को सूचना देंगे।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात की जानकारी के लिये यह कामरोको प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है उसके सम्बन्ध में मेरे पास यह सूचना आयी है। गौला नदी का काठगोदाम के पास सरकार ने एक रिजर्वायर

---

* ७ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही से।

बना रखा है। वहां से एक नहर निकाली जाती है। उसके तीन फर्लांग नीचे से एक डिग्गी (equaduct) के जरिये गौला नदी के पार उसका पानी लाया जाता है। करीब २ हजार एकड़ जमीन की यह नहर सिंचाई करती है। बरसात के जमाने में जब ज्यादा पानी हो जाता है तो उस पानी को बढ़ाने के लिये १३ मील नीचे एक बांध लगा रखा है जिसके जरिये से उस पानी में और बढ़ोत्तरी हो जाया करती है। इस बात की अभी कोशिश की गयी कि इस नहर को पीछे और हटा दें कि जिससे नहर के पानी के लिये ऊंचाई ८० फीट हो और उस नहर को पीछे हटने का मौका हो। किन्तु अभी उसको इसलिये पीछे नहीं हटाया जा सका। अमूमन जो हर साल नहर चलती है उसमें कुछ न कुछ हानि तो होती ही है लेकिन कोशिश हम इस बात की करते हैं कि जहां तक हो सके लोगों को हानि होने से बचाया जाय। आशा यह थी कि एक आध दिन में नहर ठीक हो जाय मगर उसमें ७, ८ दिन लग गये और २९ जुलाई को नहर ठीक कर दी गई। उसमें पानी ठीक चलने लगा। परसों की खबर है कि पानी अधिक तेज हो जाने की वजह से वह कल सुबह फिर टूट गई है लेकिन उम्मीद की जाती है कि वह १, २ दिन में फिर ठीक हो जायगी। माननीय मुख्य मंत्री के पास एक रिप्रैजैन्टेशन भी आया था, उसमें जिक्र था कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से टिम्बर काफी तादाद में नहीं मिलता है। उस बारे में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि टिम्बर काफी मिलने लगा है बल्कि और सालों के मुकाबले में इस वर्ष टिम्बर काफी से अधिक इकट्ठा किया हुआ है। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि "पानी पीने के लिये नहीं है।" यह नहर जब से बरसात शुरू हुई है, चलती रही है और करीब ६० क्यूसैक्स पानी उसमें चलता रहता है। पानी की कमी नहीं है और लाखों आदमी उसका पानी पी सकते हैं। हर समय उसका पानी पिया जा सकता है।

एक बात यह है कि पिछले ७, ८ सालों के आंकड़े देखने से मालूम होता है कि २, ३ साल ऐसे गुजरे हैं जब पानी की ज्यादा मिकदार इस नहर में न रही हो। यह नहर सन् ४९ में ३९ दिन चली। १५ जून से १५ अगस्त तक के यह आंकड़े हैं। इस बारे में मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि सन् ५१ में १९ दिन चली, सन् ५२ में ३३ दिन, ५३ के आंकड़े नहीं मालूम हैं, सन् ५४ में ३६ दिन और ५५ में ४६ दिन और इस साल २९ दिन चली है और अभी ४, ५ दिन और चलने की उम्मीद तो है ही। इसलिये कोई असाधारण बात नहीं है और न कोई अरजेन्सी है। इस साल बरसात का जमाना जब से शुरू हुआ है हमारे विभाग के लोग इस बात की कोशिश में हैं कि कोई परमानैन्ट इन्तजाम ऐसा कर दिया जाय ताकि कोई दिक्कत आगे के लिये न हो। खर्चा अवश्य हो रहा है लेकिन हमारा विभाग इस कोशिश में है कि जब बरसात खत्म हो जाय तो उसका परमानेन्ट प्रबन्ध कर दिया जाय। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि इसमें कोई अरजेन्सी नहीं है और कामरोको प्रस्ताव न मंजूर होना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, जैसा मैंने आपको लिखा था, यह प्रश्न बहुत ही अरजेन्ट है। पिछले एक महीने से लगातार इस अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर सरकारी अधिकारियों का और जिलाधीश और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। सारा इलाका, सारा जिला, इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता रहा है। यह सारे हल्द्वानी तहसील और विशेषकर गौलापार का सवाल है। मैं भी बैरीघाट बांध के मौके पर गया था और सहायक इन्जीनियर साहेब को भी ले गया था। उस दिन भी यह कह दिया गया था कि ठीक हो जायगा। उसके पहले प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में भी हमसे यही कहा गया था। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिन सिंचाई की तो कौन कहे, लोगों को पानी पीने को भी प्राप्त न हुआ। धान की रोपाई हो ही न सकी।

श्री अध्यक्ष---आप कहते हैं कि उसके बाद भी टूटा पड़ा हुआ है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---तल्ला गोलापार के गांवों में लोग पानी डिग्गियों में इकट्ठा किया हुआ पीते थे। वहां ८-८ दिन तक पीने का पानी डिग्गियों में नहीं पहुंचा और पोखरों में जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वह लोगों ने पिया।

श्री अध्यक्ष---क्या आप उसको प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां, आज के हैरल्ड में भी एक प्रेस नोट निकला है। उसमें सरकार ने इस समस्या के बारे में बताया है। उसके द्वारा ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और ७० मील लम्बी चेनल है। इससे भी स्थिति की गम्भीरता स्पष्ट होती है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझा कि आप इसको प्रेस करना चाहते हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी की जो जानकारी है वह यह है कि अभी मरम्मत नहीं हुई है और माननीय सूचना मंत्री जी कहते हैं कि १-२ रोज में ठीक हो जायगा। अब यह बात तो निश्चित है कि बांध टूटा हुआ अवश्य है। केवल कितना नुकसान हुआ यह बात निश्चित नहीं है। इसका पता तब लगेगा जब विवाद के लिये सदन इजाजत देगा लेकिन फिलहाल एक बात निश्चित है कि बांध टूटा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं इसको एक निश्चित विषय समझता हूं जिसके ऊपर सदन विचार कर सकता है। इसलिये मैं इसको वैध करार देता हूं और उनको इस बात की अनुमति देता हूं कि वे सदन से इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न कामरोको प्रस्ताव सदन में पेश करने की अनुमति चाहता हूं---

"नैनीताल जिले की संपूर्ण हल्द्वानी तहसील विशेष कर गोलापार इलाके में बैरीघाट बांध के बराबर टूटते रहने व ठीक प्रकार उचित मरम्मत न किये जाने से हजारों काश्तकारों को सिंचाई द्वारा धान रोपने व पीने को भी दिनों तक पानी प्राप्त न होने के कारण जो विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, उस पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि स्वयं सरकार ने कुल एक प्रेस नोट निकाला है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से प्रकाशित हुआ है और आज के हैरल्ड में छपा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह हैरल्ड अखबार के तीसरे पेज पर है। इसमें सरकार ने स्वयं यह माना है कि १९२३ के बाद आज गौला कैनाल को खतरा पैदा हुआ है, पत्थर डाले जा रहे हैं, उससे ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है, ७० मील चेनल है। यह भी इस प्रेस नोट से स्पष्ट है कि वहां नहर की स्थिति कितनी कमजोर है और यह कि मुख्य नहर में भी पानी पूरा नहीं चढ़ पा रहा है और पूरी नहरें ७० मील लंबी हैं। गौला पार हल्के के सम्बन्ध में इस बीच मेरे पास तीन चार प्रमुख आदमियों के तार व पत्र भी आये हैं, वे हैं, श्री लाल सिंह गंगोला, श्री प्रताप सिंह वकील, श्री शिवदत्त दानी, श्री पूरनसिंह क्वीरा, श्री मान सिंह आदि उनका कहना है कि वहां पानी का भयंकर अकाल है। इसके अलावा श्री रघुबर सिंह मेहरा ने, जो गोलापार देवालय मल्ला के प्रमुख काश्तकार हैं उन्होंने वहां के एक प्रमुख "जागृत जनता" में वहां की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में एक आर्टिकिल निकाला है। उन्होंने लिखा है कि वहां की स्थिति वैसी ही है, जैसे "वाटर वाटर एवरी व्हेयर, ड्रट नाट ए ड्राथ आफ ड्रिन्क" यानी चारों तरफ तो पानी ही पानी है लेकिन वहां पीने के लिये एक बूंद भी पानी नहीं है।

श्रीमन्, खास तौर से इस वक्त काश्तकारों के लिये सबसे मुश्किल सवाल धान की सिंचाई का है। क्योंकि वहां की मुख्य फसल धान ही है और वहां जापानी ढंग से धान की रोपाई के लिये पानी की बहुत आवश्यकता है। अगर इस वक्त वहां धान न रोपा गया, खासकर

अगले ८, १० दिन के अन्दर तो सम्भव है कि गोलापार तथा दूसरे भावर के टेल के इलाके में अकाल पड़ने की पूरी सम्भावना हो जाय। अगर फसल नहीं होगी, धान नहीं रोपा जायगा, तो हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी रह जायगी। इसलिये भी श्रीमन्, यह प्रश्न बड़ा अर्जेंट है कि सरकार ने खास इलाके और कुमायूं इलाके के इरिगेशन को एक में मिला दिया है लेकिन उसके लिये कोई ठीक से फंड नहीं दिया है, कर्मचारी कहते हैं जब फंड नहीं होगा तो काम भी नहीं बन पायेगा। इस प्रकार सरकार व सरकार के स्थानीय कर्मचारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि स्थिति बिगड़ने के पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वहां की इस महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भावर का इलाका जो पहाड़ और तराई के बीच में है वहां आज पीने के पानी को भी लोग तड़प रहे हैं और वहां की सिंचाई संबंधी हीन परिस्थिति को देखते हुए इस कामरोको प्रस्ताव पर विवाद करने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष––(श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और आपकी आज्ञा से थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति इस सदन को देनी चाहिये। इस विचार से मैं कह रहा हूं कि जो प्रश्न है वह बैरीघाट बांध के बारे में है। यह बैरीघाट बांध प्रति वर्ष अस्थायी रूप से बनाया जाता है और इस लकड़ी के बांध को बना कर पानी को ऊंचा किया जाता है ताकि गोलापार नहर में बरसात का आने वाला पानी कुछ निकल सके। यह इसी वर्ष की बात नहीं है बल्कि प्रति वर्ष दो चार बार यह बांध टूटता है क्योंकि अस्थायी रूप से ही यह प्रबन्ध किया जाता है ताकि बरसात का जो पानी आवे वह थोड़ा-सा ऊंचा उठा दिया जाय। तो कोई नयी बात नहीं है बल्कि यह पिछले २०, २५ वर्ष से बराबर टूटता रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––पहले भी हुआ है। जहां तक बांध के टूटने का सवाल है, वहां तो पानी बराबर चल रहा है। गोलापार नहर में २९० क्युसेक्स पानी है और गौला नदी में ६० क्युसेक्स पानी है और वह पानी बराबर चल रहा है।

श्री अध्यक्ष––ज्यादा ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––विरोध करने की वजह यह है कि यह प्रबन्ध प्रति वर्ष किया जाता है और बांध टूटने पर उसकी मरम्मत कर दी जाती है। आखिर में १९ जुलाई को अधिक वर्षा होने के कारण बांध टूट गया और २९ जुलाई को ठीक कर दिया गया। सूचना मिली है कि कल फिर यह टूट गया है और आशा है कि आज कल ही में वह चालू हो जायगा, इसलिये यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर कामरोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष––जो लोग इस पक्ष में हों कि इस पर विवाद करने की अनुमति दी जाय वे कृपा करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१५ सदस्य खड़े हुए)

अनुमति देने के पक्ष में केवल १५ हैं, इसलिये ३६ से कम होने के कारण सदन की अनुमति इसके विवाद के लिये नहीं है।

बाकी जो कामरोको प्रस्ताव हैं उनके ऊपर मैं कल निर्णय दूंगा क्योंकि एक के ऊपर सदन की राय हो चुकी।

उद्योगों से सम्बन्धित फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी द्वारा विधान सभा के सदस्यों तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की सलाह लेने का सुझाव

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार से केवल एक मिनट में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में मालूम हुआ था कि आज उसका आखिरी अधिवेशन है और मुझे निश्चित रूप से जानकारी है कि उसने देश के जितने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उनमें से किसी से भी सलाह नहीं ली है और सदन के माननीय सदस्यों में से भी किसी से कोई बात जानने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब कि आज उसकी आखिरी बैठक है तो सरकार उसको फौरन आदेश दे कि वह ऐसे प्रसिद्ध जानकारों से भी कि जिन्होंने देश और विदेश में भ्रमण कर के छोटी और बड़ी इंडस्ट्री के विषय में जानकारी हासिल की है, सलाह ले और सदन के माननीय सदस्यों को भी मौका दे कि वे भी अपने खयालात फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने जाहिर कर सकें वर्ना मैं समझता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अधूरी रह जायगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी जो कि मुकर्रर हुई थी और जो उसके सदस्य हैं वह खुद जिन-जिन साहबान के बयान लेना उचित समझेंगे वह स्वयं लेंगे, गालिबन सरकार को इसमें कोई मशविरा देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती और इसके अलावा यदि कोई माननीय सदस्य उसमें भाग लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर उसके सभापति को वह कोई खत लिख दें तो वह उचित समझ कर जरूर उनके बयान लेने के लिए तैयार हो जायंगे।

सदन में मुख्य मंत्री की जगह पर गृह सचिव के बैठने पर आपत्ति

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन यह करना है कि अभी क्वेश्चन आवर में एक सज्जन, जो कि मैं समझता हूं कि इस सदन के मेम्बर नहीं हैं वह माननीय वित्त मंत्री जी के बगल में बैठ कर बात कर रहे थे, उस वक्त चूंकि वह बात कर रहे थे मालूम ऐसा हुआ कि वह मेम्बर हैं लेकिन बाद में जब वह जाकर गवर्नर्स गेलरी में बैठे तो मालूम हुआ कि वह कोई यहां के गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, मैं समझता हूं कि यह उनका गैर-काननी कार्य है और उनको माननीय मुख्य मंत्री की जगह बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच करा के आप उचित सजा दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--वह कहां पर बैठे थे ?

श्री जगन्नाथमल्ल--माननीय वित्त मंत्री की बगल में मुख्य मंत्री जी के स्थान पर।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपको उसी वक्त मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिये था क्योंकि अब पता लगाना पड़ेगा कि वह कौन थे, दो बार ऐसा और हो चुका है, एक तो कल और दूसरे एक रोज और कोई बाहर के सज्जन रहे वह आकर बैठ गए थे, मैंने उनको एडमानिशन देकर छोड़ दिया, वह माफी मांगने लगे यह कहते हुए कि हम जानते नहीं थे--खाली जगह देखी इसलिये हम बैठ गये और मैं केवल प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए बैठ गया था, ऐसा वह कहने लगे और दूसरे जो थे वह तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, उनकी भी प्रथम गलती थी इस लिए उनको भी मैंने एडमानिशन दे कर छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य मालूम होता है कि वह मेरी सहायता करें कि जब

ऐसा कोई बाहर का सदस्य आ बैठे तो तत्काल ही मुझे बता दें कि कोई ऐसा व्यक्ति घुस आया है क्योंकि यह रवैया रहा तो मालूम नहीं किसी वक्त आगे चल कर इसमें खतरा भी हो सकता है ।

श्री जगन्नाथमल्ल---अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी जानकारी है कि वह होम सेक्रेटरी साहब थे ।

श्री अध्यक्ष---मैं पता लगा लूंगा, उनको बैठना नहीं चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष के सदन में पदार्पण करते समय वित्त मंत्री के खड़े न होने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, इससे भी आपत्तिजनक बात आज एक और यह हुई कि जब कि सदन में अध्यक्ष महोदय का पदार्पण हो रहा था उस समय जब सारा सदन खड़ा हुआ तो माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम अपनी जगह पर बैठे रह गए, वह खड़े नहीं हुए, मैं समझता था कि शायद उनकी तबियत खराब हो.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ये बातें तत्काल ही उठानी चाहिये ऐसी घटना के कुछ समय बाद उसका पोस्ट मार्टम होना अच्छा नहीं है ।

श्री राजनारायण---मैं इसलिये कह रहा था कि उसके बाद हाफिज जी एक प्रश्न का उत्तर देने खड़े हुए । मैंने सेटिसफाई इसलिये कर रक्खा था कि शायद उनकी तबियत खराब हो । खड़े हुए तब उसके बाद कहने की जरूरत पड़ी ।

श्री अध्यक्ष---अगर नहीं खड़े हुए और उनको कोई तकलीफ हो तो उनको उस वक्त फौरन जाब्ते से खेद प्रगट कर देना चाहिये कि मुझे तकलीफ है इसलिये खड़ा नहीं हुआ। यह कोई बात नहीं है । यह इस तरह की बात नहीं है कि जिस समय आदमी यह बात देखे उस वक्त तो प्रश्न न उठाये और बाद में अन्दाजा लगा कर प्रश्न उठाया जाय मेरा ख्याल है कि उस बात को तत्काल प्वाइन्ट आउट किया जाता तो अच्छा था । खुद ही वित्त मंत्री जी बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और ध्यान दिलाने से गलती उनको महसूस होती । अगर वह कोई चीज ऐसी कर देते तो वह खुद ही अफसोस जाहिर कर देते । मैं समझता हूं कि बहुत देर में यह प्रश्न उठा । उस घटना की याद दाश्त पर मैं कोई तहकीकात करने वाला नहीं हूं ।

न्याय पंचायतों को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य के संकल्प पर, जो २७ जुलाई, १९५६ को उपस्थित किया जा चुका है, विचार जारी रहेगा। श्री नागेश्वर द्विवेदी भाषण देंगे ।

(श्री शिवनारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---जी हां । आज बृहस्पतिवार है और कल फ्राइडे है तो मैं क्या जान सकूंगा कि आज और कल दोनों दिन नान-आफिशियल डे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, उसके लिये चिट्ठी माननीय सदस्यों के पास भेज दी गई थी ।

---

*२७ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही से ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, संकल्प में यह दिखलाया गया है कि चूंकि न्याय पंचायतों से गांव की दशा में सुधारने की अपेक्षा हानि अधिक हुई है और अनावश्यक रूप से मुकदमों में वृद्धि हुई है जिससे गांवों का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है, अतः उन्हें समाप्त कर दिया जाय, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रांत में आज जो पंचायतों का यह कार्य प्रारम्भ किया गया है नये प्रयोग के तौर पर ही जहां तक मुझे जानकारी है इस तरह की न्याय पंचायतें गांवों में हमारे यहां पहली बार स्थापित की गई हैं। हमारे देश में बहुत पहले भी इस तरह की प्रथा थी कि गांवों के मामलों को लोग आपस में ही तै कर लेते थे। हमारे यहां पंचायतें द्वारा आपसी मामलों को तै करने का रिवाज पुराने जमाने में भी था। धीरे-धीरे अंग्रेजी राज्य के होने पर इसमें शिथिलता आई और अधिकांश मामले इधर अदालतों द्वारा निपटाये जाने लगे। गांवों में यह परिपाटी अब भी कुछ न कुछ बनी हुई है। जो मुकदमे बड़ी-बड़ी अदालतों से यहां तक कि हाईकोर्ट से भी नहीं तै हो पाते हैं उनको आपस में मिल जुल कर ही तै कर लेते हैं। आज भी गांवों में तो यहां तक कहा जाता है कि भाई मामलों का फैसला किसी अदालत के फैसले से नहीं होता है, आपस में मिल जुलकर ही तै होता है। ऐसी हालत में बड़े-बड़े चलने वाले अदालती मामलों को भी आपस में तै कर लेते हैं और इस प्रकार शांतिपूर्वक अपना कार्य चलाते हैं। इस समय जो न्याय पंचायतें हमारे यहां कायम की गई हैं मैंने माना कि उनमें कुछ दोष है जिस दोष के कारण कई तरह की खराबियां नजर आ रही हैं, जैसा कि माननीय मौर्य जी ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि इससे गांव में झगड़े बढ़े हैं। वास्तव में देखने पर तो ऐसा मालूम होता है कि इस तरह के झगड़े पंचायती अदालतों के बन जाने के बाद बढ़े हैं। लेकिन मान्यवर, पहले इससे भी अधिक झगड़े गांवों में होते थे और अधिकांश गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं रहता था जिनके कोई मददगार नहीं होते थे वे इन अत्याचारों को बरदाश्त करके, चुपचाप सहन करके बैठे रह जाते थे। जब से न्याय पंचायतों का निर्माण हुआ तब से उनको भी न्याय पाने में सुविधा हुई और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देहात में उस तरह के मामले चाहे वह सम्पत्ति संबंधी हों, चाहे फौजदारी के हों, अब बन्द हो गये हैं जिस तरह के पहले होते थे अब अगर किसी निर्बल को किसी ने मारा-पीटा, सताया, उसकी चीज लेने की कोशिश की तो आसानी से आठ आने पैसे खर्च करके इन पंचायती अदालतों में पहुंच जाता है और न्याय पाने का प्रयत्न करता है। इस समय जो छोटी-छोटी न्याय पंचायतें बन गयीं उसका यह नतीजा हो रहा है कि लोगों को न्याय पाने के लिये जो बहुत-सा पैसा खर्च करना पड़ता था, परेशानी उठानी पड़ती थी, समय की बरबादी करनी पड़ती थी, उससे उन लोगों को बचत हो गयी।

ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे वास्तव में लोगों को बड़ी भारी राहत मिली है, लोगों को इससे बड़ी भारी सुविधा मिली है। जो लोग गरीब थे और सताये गये थे उनको इतना बल मिला है कि मैं कह सकता हूं कि जो सताने वाले थे वह दब गये हैं। अब उनकी हरकतें उस तरह से नहीं चलती हैं और उन गरीबों की मदद करने के लिये गांव में आसानी से अगर कुछ लोग मिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं तो अपने क्षेत्र की जो अदालत होती है वहां पहुंच कर फरियाद करते हैं और उचित न्याय पा लेते हैं। एक बात यह तो सही है कि हमारे यहां जो न्याय पंचायतें कायम की गयीं ये बहुत दिनों के बाद करीब दो ढाई सौ वर्ष के बाद शुरू की गई हैं। जिससे अनुभव के अभाव से उनको किस ढंग से काम करना चाहिये, किस तरह से फैसला करना चाहिये इसमें त्रुटि रह जाती है जिसकी वजह से बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो ऊपर की अदालतों में पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो इसमें आती है, उसके कुछ अन्य कारण भी हैं। मान्यवर, यह बात तो सही है कि अदालती पंचायतों में वकील मुख्तारों के जाने की इजाजत नहीं है लेकिन जहां गड़बड़ी होती है उसकी वजह अन्य वजहों में एक

यह भी है कि बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें कहीं-कहीं पंचायती अदालतों के पंच, सरपंच ऐसे लोग हैं जो अपनी तिगड़मबाजी से किसी वकील, मुख्तार के दलाल या मुवक्किल होते हैं। तो अक्सर ऐसे मामले फैसल करने के पहले जाकर उनसे राय ले लेते हैं और मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसे वकील मुख्तार इस किस्म की राय दे देते हैं कि उस मामले में अपील की गुंजाइश निकल ही आती है। और इस तरह से कुछ वकील मुख्तार लोगों ने अपना यह पेशा बना लिया है कि इस तरह से राय देकर फैसला करवा लें और बाद में घुमाफिरा कर उस मुकदमें को अपने हाथ में लेते हैं। सरकार कितने ही कायदे कानून बना कर वकीलों का रास्ता बन्द करना चाहती है लेकिन पंचायती अदालतों के मामलों को वे इस तरह से चलवाते हैं और वे इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते भी हैं। इसलिये भी पंचायती अदालतों में गड़बड़ी हो जाती है।

दूसरी बात जो हमारी न्याय पंचायतों में है, वह यह है कि उनके फैसला करने के कुछ कायदे कानून हैं। सब लोग चुने हुये तो आते ही हैं उनको इतनी कानूनी बंदिश मालूम नहीं। इस तरह से हो सकता है कि कुछ लिखापढ़ी करने में कुछ गलती हो जाय। और इस प्रकार उनके फैसलों को अपील का मौका मिल जाता है, उनका बौद्धिक स्तर नीचा होने से त्रुटि रह ही जाती है। अगर न्याय पंचायतों में पुराना फैसला करने का ढंग लाया जाय और या उनमें यह कह दिया जाय कि सर्वसम्मति से जो हुआ करें वही मान लिये जायं या और कोई जो उचित जान पड़े उस तरह से सुधार कर दिये जायं तो मैं समझता हूं कि इसमें और सहूलियत पैदा हो सकती है। अभी देखा गया कि पिछली मर्तबा न्याय पंचायतों के चुनाव की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया गया। उसके पहले जो पद्धति थी उसका चाहे और जो कुछ परिणाम हुआ हो एक परिणाम देखने में यह आता था कि अगर कोई पंच या सरपंच गलत काम करता है, उसकी शिकायत होती है तो कलेक्टर और हाकिम परगना यह जानते हुए भी कि वह आदमी गलत काम करने वाला है फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे। यह उनके सामने मजबूरी सी थी। तो उस त्रुटि को देखते हुए एक सुधार उसमें हुआ जो इस सदन के सामने भी आया था और सबने उसको स्वीकार किया। उसके आधार पर जो न्याय पंचायतें चुनी गयीं या चुनी जाने वाली हैं उनमें इस तरह की शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा जैसी पहले पंचायती अदालतों में शिकायतें सुनने को मिलती थीं। और सबसे बड़ी बात तो मान्यवर, यह है कि हमारे सामने जो परिस्थिति है, जिस तरह के लोग हमारे समाज में हैं, समाज का जो स्तर है उसी तरह के लोग तो इन न्याय पंचायतों में चुनकर आयेंगे, चाहे वह चुनाव द्वारा चुनकर आयें, चाहे नामजद होकर आयें। ऐसे लोग जिस तरह के आदमी समाज में हैं उसी में से तो आयेंगे। तो सबके सब ऐसे न्यायाधीश तो नहीं, ऐसे न्यायी नहीं कि जिनके ऊपर उंगली न उठायी जा सके और यह उंगली केवल उन्हीं के ऊपर नहीं उठाई जाती है बल्कि और जो व्यक्ति आपकी अदालतों में हैं, उनके ऊपर भी तो उंगली उठती है, लोग इशारे करते हैं। वहां के भी फैसले तो गलत होते हैं और कई-कई उनकी अपीलें होती हैं। तो इस तरह की शिकायतें अगर न्याय पंचायतों में हैं तो यह तो स्वाभाविक है। जब प्रयोगावस्था में हम इस काम को चला रहे हैं तो मानी हुई बात है इसमें कुछ त्रुटियां होंगी। वह आहिस्ता-आहिस्ता ज्यों-ज्यों समझी जाती रहेंगी, त्यों-त्यों दूर होती रहेंगी। इसमें जो कमियां और खामियां समझ में आती जायंगी उनको दूर करते जायेंगे।

सबसे बड़ा फायदा इससे जो हुआ वह तो यह है कि कम खर्च में, कम समय बरबाद किये हुए आसानी से न्याय मिल जाता है, चाहे मामले छोटे हों चाहे बड़े हों। जब उन पर मुकदमा चल सकता है अगर एक छोटी न्याय पंचायत उनकी कायम रहेगी तो उनको न्याय प्राप्त करने में आसानी रहेगी क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वह तो ऊंची अदालतों में जाकर के पैसा खर्च करके पहुंच सकता है लेकिन वह बेचारा गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह दौड़ धूप कर सके, वह क्या करेगा। वह मजबूरन अत्याचार सहेगा सुनेगा, बरदाश्त

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

करेगा लेकिन अपनी परेशानी के मारे आगे नहीं जा सकेगा। अगर इन न्याय पंचायतों को बन्द कर दिया जायगा तो वह गरीब बेचारा न्याय प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों का रहना उन गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है जिन गरीबों के हित को ध्यान में रखकर माननीय मौर्य जी यह संकल्प लाये हैं। इन न्याय पंचायतों को अवश्य रखा जाय, इनको तोड़ा न जाय। इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाय। माननीय मौर्य जी ने एक बात यह बतलायी थी कि न्याय पंचायत के लिये जो चुनाव की प्रणाली है उसके द्वारा तो बड़ी दौड़ धूप मचती है और नतीजा यह होता है कि सिफारशी लोग पहुंच जाते हैं।

मान्यवर, यह केवल न्याय पंचायतों के लिये ही नहीं है। जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुने जाते हैं। उनके लिये भी दौड़ धूप होती है और उनकी बात जाने दीजिये हम जो लोग विधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं वह लोग भी दौड़ धूप इसके लिये करते हैं और सिफारिश से चुने जाते हैं। तो जहां इस तरह की प्रजातंत्रात्मक प्रणाली हो वहां संभव है कि लोग अपने चुनाव के लिये दौड़ धूप करें लेकिन कौन चुना जाय या कौन न चुना जाय यह तो चुनने वाले के ऊपर निर्भर करेगा। अगर चुनने वाला अच्छा आदमी है तो अच्छे आदमी ही चुने जायेंगे। लेकिन वह चुनने वाला आदमी ही खराब है तो चुने जाने वाले पर दोषारोपण करके यह कहना कि इसको तोड़ दिया जाय यह उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो अच्छे से अच्छा आदमी हैं उन्हीं से उनका चुनाव कराया जाय। लेकिन अगर चुनने वाले में दोष है तो जितनी मात्रा में उनमें दोष है उतनी ही मात्रा में दोष उन लोगों में भी आयेगा जो लोग चुने जायेंगे। अपने भाषण के दौरान में माननीय गेंदासिंह जी ने कुछ स्पष्ट तो नहीं किया कि वह इस संकल्प का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। लेकिन उनके भाषण से यह ध्वनि निकली कि वह किसी का विश्वास करने वाले नहीं हैं। उनको किसी पर विश्वास नहीं है, न उनको अफसरों पर विश्वास, न उनको सरकार पर विश्वास, न उनको विधान सभा पर विश्वास, न उनको एम० एल० ए० लोगों पर विश्वास और न उनको स्वयं अपने पर विश्वास। जब किसी पर विश्वास नहीं तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से सब लोग अविश्वासी हो जायं तो एक बड़ा भारी दोष आ जायगा और इसका निश्चित परिणाम एक ही होगा और वह यह कि "संशयात्मा विनश्यति"। जो काम हम प्रयोग की दृष्टि से कर रहे हैं उसको संदेह की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है "कौनो सिद्धि न बिनु विश्वासा"। हम एक काम, एक प्रयोग कर रहे हैं। उसमें शुरू से ही यह अविश्वास कर लेते हैं तो वास्तव में सफलता में आशंका पैदा हो जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब यह एक प्रयोग है तो हमको इस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और देखते रहना है कि इसमें कोई त्रुटि अगर कहीं दिखाई पड़ती है तो उसको हम दूर करें।

*श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य के इस संकल्प का कि "सदन का यह निश्चित मत है कि न्याय पंचायतों से गांवों की दशा में सुधार होने की अपेक्षा हानि अधिक हुई है, और अनावश्यक रूप से मुकद्दमों में वृद्धि हुई है, जिससे गांवों का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है अतः उन्हें समाप्त कर दिया जाय" विरोध करता हूं। मान्यवर, इस कल्याणकारी राज्य के प्रथम जब कि अंग्रेजों का राज्य हमारे देश में था उस समय से और इसके पहले काफी अर्से से हमारे देश में न्याय पंचायतों की प्रथा थी। अंग्रेजों के समय में देहातों में और सब जगह अदालती पंचायतें अंग्रेजों द्वारा मुकर्रर की गई थीं जिनके द्वारा वहां पर फैसला होता था। उसके बाद वह तोड़ दी गयीं। अलावा इसके कि अंग्रेजों के समय से पहले हमारे देश में पंचायतें थीं, इसके अलावा हमारे पूज्य बापू जी ने जो संकल्प किया था कि गांवों में सही फैसले होने चाहिए क्योंकि यहां अदालतों पर आकर गवाहों के दबाव डालने में जो लोग सफल होते थे वह गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैसले करा लेते थे, मान्यवर हमारे कानून तो अच्छे हैं लेकिन कानून का फैसला जिस तरह से होता है वह हर व्यक्ति को विदित है। अदालतों में ज्यादातर फैसले गवाहों के ऊपर निर्भर होते हैं। चाहे जितना केस सच्चा क्यों न हों कहा जाता है कि अदालतों से छूट जा सकता है। इसका कारण क्या है ? इसका सीधा सादा कारण यह प्रतीत होता है कि अगर अपराधी असरदार है तो उसके खिलाफ अदालत में जाकर कोई गवाह गवाही नहीं देता है। इसका नतीजा यह होता है कि मुल्जिम छूट जाता है और पुनः उस जुर्म को वह करता है और इस तरह से न्याय का हनन होता है और अत्याचार बढ़ता है।

इस चीज को देखते हुए पूज्य बापू जी ने जरूरी समझा कि देहातों में जब फैसला हो तो वह केवल गवाहों के ऊपर न छोड़ा जाय बल्कि एक सही फैसला हो जिससे वहां पर अत्याचार कम हों। अब यह कहना कि गांवों में या जहां न्याय पंचायतें हैं वहां दोष ज्यादा है, यह बिल्कुल गलत बात है। आप जानते हैं कि हमारे सूबे में अभी तक तमाम अत्याचार अदालतों के फैसलों के द्वारा होते रहे। छोटे-मोटे मुकदमे, जैसे ३२३ का केस हुआ, किसी से मारपीट हुई, जरा सी गाली गलौज हुई, किसी ने किसी को धमकी दी तो फौरन वह अदालत की शरण लेता था जिसका नतीजा यह होता था कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ दो बैल हैं और लोटा थाली है, उसका सब सामान वकील साहबान बिकवा लेते थे और हमारी प्रदेश की दरिद्रता और बढ़ती जाती थी। इन न्याय पंचायतों की वजह से आज गरीब आदमी के मामले में भी सच्चा न्याय होता है। इसका कारण यह है कि वहां पर न तो वकील जाने पाता है, न बहकाने वाले जाने पाते हैं। यही नहीं, अगर नियम के अनुसार उनका चुनाव हुआ है तो उनके अच्छे पंच और सरपंच होते हैं और उनका अच्छा फैसला होता है। इसके अलावा पंचायत राज ऐक्ट में है कि वे मौके पर जाकर जांच करें। शहर में जब मुकद्दमा होता है और अगर कमीशन मुकर्रर किया जाता है तो उसको खर्चा देना पड़ता है लेकिन देहात में नहीं देना पड़ता है। एक पंच वहां पर जाता है और गांव में देखता है कि किसकी कितनी गलती है। उसके खिलाफ चाहे सबूत हो या न हो, वह अपना फैसला सच्चा ही देता है। उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। यही नहीं, बल्कि शहरों में जो वकील साहबान गलत तरीके से गवाह से जिरह करके कुछ का कुछ कहला देते हैं, देहातों में पूर्ण स्वतंत्रता है जिसके कारण हम सही फैसला देने में समर्थ होते हैं। इसलिये हमारे मौर्य जी का यह प्रस्ताव बिलकुल गलत-सा है।

हां, यह बात जो उन्होंने कही कि चुनाव ठीक तरह से नहीं होते इस सम्बन्ध में मेरा भी ख्याल है कि चुनाव का जो रवैया इस साल रहा है उसमें थोड़ा सा संशोधन जरूर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे पहले डायरेक्ट एलेक्शन होता था तो उसमें तो ऐसा था कि गांव के लोग जानते हैं कि अमुक आदमी बदमाश है, इसको अबकी बार वोट नहीं देना चाहिये। लेकिन अबकी बार जो यह तरीका बनाया गया है कि पंचायतों को चुनने वाली समिति और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पंचों को चुने। मेरी जानकारी है कि अब की बार समिति की राय बहुत कम ली गयी है। डिप्टी कलेक्टर से जो ५ सदस्यों के नाम मांगे गये उसमें लेखपालों ने ऐसा किया कि गांव में अगर २० मेम्बर या १५ मेम्बर हैं तो लेखपाल ने जिस व्यक्ति को चाहा उसका नाम ऊपर रख दिया और तीन नाम नाबालिग रख दिये। इस तरह से चुनने वाली समिति या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजबूर हो जाता है और उन्हीं दो नामों को चुन देते हैं। इस प्रकार जिस को वहां का लेखपाल और सेक्रेटरी चाहते हैं वहीं पंच हो जाता है। इस चीज को जरूर दूर करना चाहिये। यहीं नही, कई जगह ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समिति के लोगों से राय नहीं ली बल्कि स्वयं चुन दिया है। ऐसी प्रथा में थोड़ा संशोधन जरूर करना चाहिये लेकिन यह कहना कि न्याय पंचायतें खत्मकर दी जायं, यह गलत बात है। जैसे कि हम कहें कि हमारा सिर दर्द करता है तो सिर को ही काट कर फेंक दें उसी तरह से यह बात है और यह दलील

[श्री तुलाराम रावत]

गलत चीज है। अगर हमारे सिर में दर्द होता है तो हमें उसका इलाज करना चाहिये इसी तरह से यदि न्याय पंचायतों में खराबी है, उनके प्रबंध में खराबी है या उनके व्यवहार में खराबी है तो हमारा फर्ज है कि उनको दूर करने की चेष्टा करें।

मान्यवर, न्याय पंचायतों के बारे में जो हमारे मित्र ने दोष लगाया है और विरोधी सदस्यों ने दोषारोपण किया है उसमें न्याय पंचायतों को ऐसी संस्था क्यों समझते हैं जिसे सरकार को ठीक करना है। क्या कोई मैजिस्ट्रेट गल्ती नहीं करता है ? क्या आप समझते हैं कि देहात के व्यक्ति ही गलती करते हैं ? गल्ती करना या गलत फैसला देना तभी ठीक होगा जब हम अपने चरित्र को दुरुस्त करेंगे। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हम किसी की तरफदारी करते हैं तो हम अपने चरित्र से पतित होते हैं तब तक यह ठीक नहीं हो सकता है। हमारे देश में और प्रदेश में ऐसी मिसालें पाई जाती हैं कि बड़े-बड़े डिप्टी कलेक्टर, बड़े-बड़े तहसीलदार और उच्च पदाधिकारी तक गलत फैसला कर देते हैं तो यह कहना कि मुकद्दमा खत्म कर दिया जाय, गलत बात होगी। हमारा फर्ज तो यह है कि पूज्य बापू जी के बतलाये हुए नियम के अनुसार चलें कि कम खर्च में हम निर्धनों को न्याय दिला सकें और इसमें हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम न्याय पंचायतों को बनाये रखें।

आज हम देख रहे हैं कि देहात का किसान खुश है। इसलिये कि किसी ने गाली दी तो आठ आने पैसे खर्च करके सरपंच को दरख्वास्त दे देना है और मुकदमा दर्ज होकर सबूत देने पर न्याय हो जाता है। थोड़ी सी बेइमानी हो जाय तो आप उसको निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं कि यह उसका रिश्तेदार है यह तो ऐक्ट में दिया हुआ है। अगर सरपंच बेइमानी करता है या रिश्वत लेता है तो यह भी दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सरकार उसको बरख्वास्त कर सकती है। यह चीज पंचायत राज ऐक्ट में है तो सच्ची प्रथा को खत्म कर देने से काम नहीं चल सकता है।

इससे तो हमारे प्रदेश में जो सच्चा न्याय होता है वह खत्म हो जायगा और फिर हम वकीलों के हाथ में बिकने लगेंगे और सच्चा फैसला नहीं हो पायगा। शहरों में गवाही पर सब चीजें होती हैं, यदि ऐसा है तो फैसला कहां रहा। देहातों में जानते हैं कि सच्चाई किस में है और क्या हो रहा है ऐसी अवस्था में हम चाहते हैं कि माननीय मौर्य जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि अभी शुरूआत है, बिगनिंग है। इन चार पांच सालों में जो तरक्की इसने की है उसमें आपने कैसे जज किया कि लोगों में असंतोष फैल रहा है। इसको अधिक से अधिक समय मिलना चाहिये। यदि असंगत न हो तो क्या मैं मौर्य जी से पूछ सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सफलता दिखाने के लिये अधिक से अधिक समय मिलना चाहिये। थोड़े दिनों में किसी की सफलता को नहीं देखा जा सकता है। चार साल पहले हमारा प्रदेश किस अवस्था में था जो चीज नहीं थी वह आज तैयार हो रही है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम तरक्की करते चले जायंगे। इसी तरह से न्याय पंचायतें जो ऐक्सपैरीमेंटल बेसिस पर हैं तो अभी से हम ऊबने लगें तो ठीक नहीं है। यह हमारी बरबादी नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बरबादी है। मैं अन्त में माननीय मौर्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके इसको वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं उनके संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हर तर्कशास्त्री इस बात को जानता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से कुछ प्रस्ताव भी ऐसे होते हैं कि जिनका न तो पूरा विरोध ही किया जा सकता है और न पूरा समर्थन ही किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भी वैसे प्रस्तावों में से है। जहां तक न्याय पंचायतों की आवश्यकता है वहां तक तो सिद्धान्ततः और व्यव-

हारतः दोनों दृष्टियों से हमारे देश का भविष्य, उसकी उन्नति, उन्हीं की स्थापना के ऊपर निर्भर है। चूंकि हमारा देश गांवों का देश है और देश का समुन्नति तभी हो सकती है जब गांवों का उत्थान हो। मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं और जो इस नारे में विश्वास करते हैं कि "आल पावर टु विलेजेज", सब सत्ता गांवों को मिलनी चाहिये। महात्मा गांधी के अनुसार भी हमारे देश की सत्ता के आधार, केन्द्र और स्रोत तीनों ही गांव होने चाहिये तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। संत विनोबा बहुत साफ यह कहते हैं कि अगर हम अपने देश में सचमुच रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं तो वह तभी हो सकता है जब कि देश में ग्राम राज्य स्थापित हो और ग्राम राज्य की स्थापना में न्याय पंचायतों का शामिल होना जरूरी है। उनका स्थापित होना जरूरी है। इसलिये इन न्याय पंचायतों की स्थापना के बारे में विरोध जहां तक मैं समझता हूं कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता।

व्यवहारतः यह भी बहुत साफ बात है कि देश में इस समय जो न्याय पद्धति प्रचलित है उसके बारे में यह सब लोगों को शिकायत है, इसके बारे में भी कोई मतभेद नहीं है कि उससे शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलता और चीप और स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पाती है और यदि शीघ्र सस्ता और सरल न्याय गांव की जनता को जो वास्तव में हमारे देश की सही जनता है, मिलना है, तो वह उसको तभी मिल सकता है जबकि वह गांवों में ही मिल सके और वह न्याय पंचायतों द्वारा ही मिले। ये गांव पंचायतें और न्याय पंचायतें भी, हमारे देश की पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, पुरानी परम्परा और पुराने इतिहास के साथ बंधी हुई हैं और उनको पुनर्जीवित करना इस स्वाधीन भारत में तो हमारा सबसे पहला और सर्वोपरि कर्त्तव्य है। इसलिये मैं इस बात के लिये तो सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उसने इन न्याय पंचायतों की और गांव सभाओं की स्थापना की ओर ध्यान दिया। इसलिये न्याय पंचायतों की स्थापना का मैं पूरे अपने हृदय की सच्चाई के साथ समर्थन करता हूं। लेकिन इसके अलावा सही बात यह है कि जिस पद्धति से इन न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है उससे उन न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में जो कुछ माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने अपने इस प्रस्ताव में कहा है वह बहुत कुछ सही है, न्यूनाधिक उसकी सच्चाई के बारे में इन्कार नहीं किया जा सकता। जैसी न्याय पंचायतें इस वक्त हैं उनके बारे में यह बात सही है कि उनमें गांव का सुधार अधिक हुआ है या गांव की हानि अधिक हुई है, यह बहुत निर्णयात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता, यह विवादग्रस्त है। इसके बारे में भारी मतभेद है और यह बात भी सही है कि उससे मुकदमों में कुछ वृद्धि हुई है चाहे वह अनावश्यक रूप से हुई हो चाहे आवश्यक रूप से हुई हो और यह बात भी सही है कि उससे गांवों का वातावरण क्षुब्ध हो उठा है। लेकिन जैसा कि मुझ से पहले अभी पूर्व वक्ता ने कहा, इसमें न्याय पंचायतों का दोष नहीं है। यह दोष तो उस पद्धति का है जिसके अनुसार न्याय पंचायतें कायम की गई हैं। यह पद्धति जो खास तौर पर इस मर्तबा काम में लाई गई है और जिसके अनुसार अभी जो न्याय पंचायतें कायम की गई हैं, उनके बारे में तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि उनके कायम करने का ढंग कतई गलत है।

इस सदन के माननीय सदस्यों और आपको भी मालूम होगा कि इसमें न्याय पंचों के चुनाव की यह व्यवस्था रखी गई है कि जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जिले के देहातों के एम० एल० ए० और वहां के जिला बोर्ड के अध्यक्ष इन न्याय पंचों को चुन लेंगे। अब जिस आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्तियां कर ली जाती हैं और माननीय मिनिस्टरों तक को अधिकार नहीं दिया जाता कि वे नियुक्तियां करें, उसी आधार पर और उसी सिद्धान्त के अनुसार यहां भी एम० एल० एज० को न्याय पंचों का चुनाव नहीं करना चाहिये अगर वह किया जाता है तो यह घोर असंतोषप्रद है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह सार्वजनिक दुराचार है और जनतंत्र की हत्या है। राजनीति की अ, आ, इ, ई को जो लोग जानते होंगे उन्होंने ग्राहमवाला जी की एक किताब "ह्यूमन फैक्टर्स इन पालिटिक्स" पढ़ी होगी

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

और वह जानते होंगे कि जो जन प्रतिनिधि होंगे उनके लिये यह संभव नहीं है और खास तौर से उस समय जब कि चुनाव सिर पर आया हुआ हो कि वह अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में पंचों के चुनाव का निर्णय पूर्ण निष्पक्षता से कर सकें। वे मिनिस्टर हों या कोई भी हों, मैं किसी पार्टी अथवा एम० एल० एज० अथवा किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करता हूं, मैं तो समझता हूं कि अगर मैं भी होता और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि अगर आप भी होते, तो भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी मानव हैं, हम पर भी यह प्रभाव पड़ता कि अभी कुछ ही महीनों के बाद हमें इन्हीं क्षेत्रों में वोट लेने जाना पड़ेगा चुनाव के दौरान में और इस लिये मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं ऐसे लोगों को चुनूं कि जो चुनाव में हमारा समर्थन कर सकें। इसके अलावा पंचों पर भी यह प्रभाव पड़ सकता है कि अमुक एम० एल० एज० ने हमको पंच बनवाया है इसके लिये हमको चुनाव में इनकी तरफदारी करनी चाहिये और जब वह तरफदारी करेंगे तो यह सही है कि वह निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकेंगे, इसलिये कि वे भी मनुष्य हैं और जिन के वे वोट दिलावेंगे उनके साथ भी उनको थोड़ा बहुत पक्षपात करना पड़ेगा। इसलिये इस पद्धति को आम चुनाव के शुरू होने पर रखना और उसके अनुसार न्याय पंचों का चुनाव करना, न्याय पंचायतों की स्थापना करना, मैं समझता हूं कि उससे भी अधिक बुरी साबित होगी जितनी कि माननीय मौर्य जी ने बताई है, खास कर मानव स्वभाव के कारण और उन सिद्धान्तों के कारण, जिन सिद्धान्तों के कारण जनतंत्र में, संसार भर में जन प्रतिनिधियों को, यहां तक कि मिनिस्टरों तक को भी, सरकारी नौकरों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं दिया जाता है।

जिस तरह से सरकार चाहती है कि जुडिशरी और एक्जीक्यूटिव अलग हो, जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव के प्रभाव में नहीं होनी चाहिये उसी तरह से गांव की पंचायतों को भी एम० एल० एज० के प्रभाव से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रभाव से बरी होनी चाहिये। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका चुनाव करता है तो वे उसके असर से कैसे निष्पक्ष रह सकते हैं, उससे बरी कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान में अभी एक नया फ्रेज क्वायन किया गया, "कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी"। मैं निहायत अदब के साथ इस सदन से कहूंगा कि जिस तरह से इन पंचायतों की स्थापना इस साल हमारे प्रदेश में की गई है, क्या वह उस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी से भी बुरी नहीं है जिसका चर्चा हम पाकिस्तान में पत्रों द्वारा देखते रहते हैं। इसलिये मैं जहां न्याय पंचायतों का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं वहां उस पद्धति का विरोध करता हूं कि जिस तरह से कि न्याय पंचायतों की स्थापना की गई है, उनकी स्थापना की पद्धति का मैं विरोध करता हूं।

मुझे इस बात का निजी ज्ञान है यानी मेरे पास आगरा जिले की शिकायत आयी है कि इन न्याय पंचायतों के चुनाव में काफी धांधली हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन एक जो बात हुई है उसकी ओर माननीय सदन का और आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा और वह यह है कि ऐसे चुनाव हुए हैं समूचे तहसील के चुनाव क्षेत्र में कि जो वहां का स्थानीय एम० एल० ए० हैं उसी की मर्जी से हुए हैं और जो उनकी पार्टी के लोग नहीं थे उनका कत्लेआम हुआ है। ऐसा कोई आदमी नहीं लिया गया जो उनकी पार्टी का न हो और उनके साथ बैठने वाला न हो। मैं समझता हूं इस तरह की शिकायत न्यूनाधिक सभी जिलों की होगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस पद्धति को जितना जल्दी हो सके उतने ही जल्दी समाप्त किया जाय। इस पद्धति को समाप्त करने के बाद अगर हम सचमुच चाहते हैं कि न्याय पंचायतों का स्तर ऊंचा हो तो वह तभी हो सकता है जब हमको अधिकाधिक अधिकार दें। यह दलील दी जाती है न्याय पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पंचों को सजा भी नहीं दे पायेंगे इसलिए कि वह पक्षपात करेंगे तो वह दलील हमेशा हर सत्ताधारी सत्ता के विकेन्द्रीय करण के विरोध में देते हैं। जब हम स्वतंत्रता का आन्दोलन कर रहे थे तब हमारे बारे में यही दलील दी जाती थी कि आप इस योग्य नहीं हैं। इसका जवाब लोक मान्य तिलक यही दिया करते थे कि जब तक पानी

में घुसेंगे नहीं तब तक हम तैरना सीखेंगे नहीं। स्वराज्य तो हरएक का बुनियादी अधिकार है और गांव के लोगों का बुनियादी अधिकार है इसलिये इन पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने जो संकल्प रखा है मैं उसके समर्थन में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ तो जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि उस प्रस्ताव के अन्दर अच्छाई भी है और बुराई भी है। आज इस विषय पर सदन में बहस होने से यह मालूम हो जायगा कि किसकी क्या सम्मति है। मैं तो न्याय पंचायतों को समाप्त करने का विरोध करता हूं। पूज्य महात्मा गांधी जी अपने जीवन में कहा करते थे कि आजादी मिलने के पश्चात् इस देश में हम रामराज्य स्थापित करेंगे। पंचायत राज ही रामराज्य की नींव थी। इसका सुन्दर उदाहरण हमें यह मिलता है कि जो पंचनमत लागे नीका, करहु राम कहं सुन्दर टीका। हमारे अन्दर कुछ दोष हैं जिन्हें दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। अवगुण और अज्ञान को दूर करना सज्जन लोगों का काम है। जैसा संकल्प में भी कहा गया है। पंचायतों में वास्तव में दूषण अधिक हैं। यह हम मानते हैं। उनका कारण यह है कि हमारे जिस रामराज्य को महात्मा गांधी जी चाहते थे वह हम पूरे तौर से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं यद्यपि हमारी सरकार उधर प्रयत्नशील है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी जब गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य में "जड़चेतन गुणदोष मय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहैं पय परिहरि वारि विकार"। सबसे पहले अविद्या दूर की गई थी और उससे मानवता के अन्दर सुन्दरता आ गई थी जिसके कारण रामराज्य की सुन्दरता को सुनकर हृदय में यह भावना होती है कि हमारे देश और प्रदेश में रामराज्य हो। हमें उदाहरण मिलता है--

"१--राम राज्य बैठे त्रैलोका।
हर्षित भयो गयो सब शोका।।
२--जिन्हें शोक ते कहों बखानी।
प्रथम अविद्या निशा निशानी।।"

इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां पर साधन ठीक नहीं होता वहां पर सिद्धि नहीं मिलती है चाहे जितना प्रयास किया जाय। गोस्वामी जी ने लिखा है 'घृतपूरण कड़ाह अन्तर्गत शशि प्रतिबिम्ब दिखावे, इंधन अनल लगाय कलप शति औटति नाश न पावे'। किसी सज्जन ने कढ़ाई में घी रखा और नीचे से अग्नि जला दी और कहा कि चन्द्रमा को औट रहा हूं। तो चन्द्रमा भले ही उसमें दिखाई दें मगर वह उन्हें औटाकर नाश नहीं कर सकता। सही साधन के बगैर सिद्धि नहीं मिल सकती है। सुभग सेज सोवत सपने वारिधि बूड़त भय लागे, कोटिहुं नाऊ न पार पावसों जब लग आप न जागे। कोई खा-पीकर सोये, सपने में देखे कि समुद्र में डूबा जा रहा हूं, यद्यपि नौका लगी हुई है परन्तु जागने पर उसका क्लेश मिटता है। कहने का लक्ष्य यह है कि जब तक साधन ठीक नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। ज्यों-ज्यों छूटन करे उपाई। त्यों त्यों अधिक अधिक गरुआई। जितनी ही छूटने की कोशिश की जाती है उतना ही बन्धन अधिक होता जाता है। क्योंकि छूटने की तरकीब नहीं मालूम है।

आजादी मिलने के बाद पूज्य महात्मा गांधी के लक्ष्य को लेकर हमारे सामने यह ढांचा बना कि हम पंचायतों के द्वारा रामराज्य स्थापना की सुन्दर नींव जमावें और इसलिए पंचायतों का निर्माण किया गया। देहात के छोटे-मोटे झगड़ों को सुन्दर ढंग से निर्णय करने के लिये ये पंचायतें बनाई गईं कि सुन्दर रामराज्य की स्थापना हो। लेकिन उनमें दूषण हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि 'लोभी जश चाह चारगुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी'। जिस व्यक्ति के अन्दर ये दूषण होंगे वह समाज में अपना

[श्री उमाशंकर मिश्र]

मस्तक ऊंचा नहीं रख सकता। केवल देहाती पंचायतें ही नहीं, बल्कि आपकी बड़ी-बड़ी संस्थाओं में भी दूषण हैं जिनका जिक्र हमने सदन में कई बार सुना है। आपकी तमाम न्याय पंचायतों में दूषण हैं जिनके कारण वातावरण क्षुब्ध हो रहा है। इस क्षुब्धता को दूर करने के लिये हमें साधन ठीक करने होंगे। परन्तु इन पंचायतों को समाप्त करना बहुत बड़ी गलती होगी। इनकी स्थापना में सरकार ने काफी पैसा व्यय किया है और किसी किसी पंचायत में सुन्दर कार्य भी हुआ है। सभी मनुष्य एक ही राय के नहीं होते हैं कि सब की दूषित बुद्धि है। सद्बुद्धिवाले और ईमानदार भी हैं क्यों गुणावगुण से सनी हुई दुनिया में गुणग्राही लोग भी हैं जो अपने गुणों के द्वारा व्यक्तित्व को ऊंचा किये हुए हैं, देश की उन्नति चाहते हैं और उन्नत किये हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ८९४३ न्याय पंचायतों का निर्माण हुआ है जिनके अन्दर १,११,४७२ मुकदमे दायर हुए। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ६,३२,१५,७४२ है जिसके अन्तर्गत पंचायतों का निर्माण करके सरकार ने यह भावना रखी थी सुन्दर न्याय होकर समाज का कल्याण होगा। राजनैतिक आजादी तो हमें प्राप्त हो गयी है लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने इन पंचायतों के द्वारा जनता का कल्याण करने का विचार किया। अभी कहा गया कि इन पंचायतों ने कोई काम नहीं किया है, यह असंगत मालूम होता है। बहुत सी पंचायतों ने सुन्दर न्याय किया है। इसका उदाहरण भी पाया जाता है। सन् ५५ में ८,९४३ पंचायतघरों का निर्माण हुआ इसके अलावा ११,१९४ पक्के गांधी चबूतरे बनाये गये, २१,७८१ मील सड़कों का निर्माण हुआ।

श्री अध्यक्ष—अब यह थोड़ा-सा असंगत हो रहा है। यह आप ग्राम पंचायतों के बारे में कह रहे हैं, न्याय पंचायतों और मुकदमों की बात कीजिये।

श्री उमाशंकर मिश्र—मुकदमों के आंकड़े भी मैंने इसमें देखे। ३० सितम्बर, १९५५ तक १,८४,१२७ मुकदमे निबटाये गये, १,२९,२७८ में समझौता कराया गया, ५९,०७१ पिटीशन दायर हुई, जिनका फैसला किया वह २८,२२३ हैं। इसलिये उसवह ढांचा तोड़ना असंगत मालूम होता है। दोष के निवारण की एक तरकीब है और का यह कि कांटे से कांटा निकलता है। तमोगुणी कांटा सतोगुणी कांटे से दूर हो सकता है। लेकिन किसी एक दोष के कारण से उसको समूल नष्ट कर दिया जाय, यह एक असंगत सी बात है। इसलिये मैं न्याय पंचायतों को समाप्त करने का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। एक बात और है। बहुत सी गांव पंचायतों का चुनाव होना है। उनकी जिलेवार लिस्टें भेजी गयी हैं। तहसीलों से डिप्टी कलेक्टर और लेखपालों द्वारा ५–५ नाम भेजे गये हैं उनमें कहीं-कहीं यकतर्फा नाम भेज दिए गये हैं। उन नामों में ऐसे लोगों के नाम भी हैं जिनको मैं समाज को ऊंचा उठा सकने में असमर्थ समझता हूं। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जब सरकार के सामने ऐसे मसले आयें तो सरकार इस बात पर विचार करे कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा कल्याण हो सकेगा या नहीं अगर नहीं तो उसके लिये उचित साधन देखने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है—

"अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी,
सम सन्तोष दया विवेक सो व्यवहारी सुखकारी।"

बिना विचारे हुए संसार में कदम रखने से कोई भी सुखी नहीं हो सकता, भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालों में सुखी नहीं हो सकता और आपके पैर कहां पड़ेंगे—

"कांत कुराय लपेटन लोटन ठांवहिं ठाऊं बजाऊं रे,
जस जस चली दूर तस तस निज बांस न बेंट लगाऊं रे।।"

कहीं भी बांस बल्ली नहीं लग सकती। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार विवेक द्वारा काम ले, जिससे समाज का कल्याण हो और वास्तव में पूज्य महात्मा गांधी का रामराज्य स्थापित हो।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, जो रिजोल्यूशन मौर्य जी ने सदन के सामने पेश किया है, वह बहुत ही अहम है, इसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं। मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले मौके पर जब मौर्य जी ने यहां तकरीर की और इसके अलावा और दोस्तों के भाषण हुए, उनको सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज इस सदन के अन्दर जो बहस अब तक हुई है उसको मैंने बहुत गौर से सुना है और मैं यह समझता हूं कि यह मसला ऐसा है जिस पर हमें इस नुक्तेनजर से गौर करना चाहिये कि हमने ५ साल के अन्दर सूबे में एक बहुत बड़ा तजुर्बा किया और उस तजुरबे से क्या नतायज निकले, क्या कमियां और क्या अच्छाइयां रहीं और क्या हेरफेर उसमें किये जा सकते हैं। अगर हम इस नजर से देखें तो हमें मालूम होगा इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायतों की तवारीख सूबे और मुल्क के अन्दर बहुत पुरानी है।

मैं यह भी जानता हूं कि कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल ४० में पंचायतों का जिक्र किया गया है। न्याय पंचायतों का नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों का; लेकिन हमने यह भी सुना है कि हमारे मुल्क में बहुत पहले से इन पंचायतों का जिक्र चलता चला आया है। लेकिन अगर पुराने इतिहास पर नजर डाली जाय तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क के अन्दर जो पंचायतें थीं वे दो किस्म की थीं। एक पंचायत तो वह थी जिसे कास्ट पंचायत कह सकते हैं, उसमें जाति-पांति के मुताल्लिक जो मामले होते थे उसके ऊपर फैसले होते थे और दूसरी पंचायत गांव पंचायत के किस्म की होती थी जिसमें गांव के बुजुर्ग और बूढ़े लोग जमा होते थे और उस गांव के कोई झगड़े होते थे तो वे बैठ कर उसको चुका देते थे और लोगों को अदालत में जाने का मौका नहीं मिलता था। इस सूरत से उनके लिटिगेशन के बहुत से पैसे बच जाते थे। जिस वक्त हमारे सामने यह सवाल आया कि इस सूबे के अन्दर न्याय पंचायतें बनायी जायं, गांव पंचायतें बनायी जायं, तो जनाबवाला, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस कमेटी के सदर आप ही थे और मुझे भी उस कमेटी में शामिल होने का मौका मिला था। उस वक्त पंचायतों के ढांचे के ऊपर कि हमारे सूबे के लिये ये ठीक नहीं हैं काफी बहस हुई, उसके ऊपर काफी गौर व खौज हुआ और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहां इस सूबे में पंचायतों के सिलसिले में ट्रायल दिये जायं और उसके जरिये हम ग्राम पंचायत बनायें और ग्राम पंचायतों के साथ-साथ न्याय पंचायतें भी बनायें। वैसी न्याय पंचायतें बनीं और ५ साल काम किया।

मैंने शुरू में यह कहा था कि हमने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और बहुत बड़ा तजुर्बा किया। उस तजुर्बे से यह भी मालूम हुआ कि कंस्टीट्यूशन के मातहत गांव पंचायतों के लिये एलेक्टिव बाडी होने का प्रबन्ध है, लेकिन न्याय पंचायतों के लिये ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके भी मेम्बर एलेक्टेड हों। शायद कहीं भी न्याय पंचायतें एलेक्टेड तरीके पर नहीं बनायी जाती हैं। मुझे मालूम हुआ है कि अमेरिका में एक बार एलेक्टेड जुडिशियरी का तजुर्बा किया गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वह फेल हो गया और फिर उनको दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ा। आज भी मैंने इस सदन के अन्दर जो तकरीरें सुनीं, उससे इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे साथियों को इस बात के मुताल्लिक शिकायत है कि पंचायतें कहां तक कामयाब हुई हैं। लेकिन मैं इतना और अर्ज करूंगा कि जहां तक मैंने महसूस किया किसी ने भी कोई ओल्टरनेटिव सजेशन दिया नहीं है कि अगर ये पंचायतें हटा दी जायं तो किस किस्म की पंचायतें कायम की जायं या किस अदालत में ये मुकदमे जायं। इसमें शक नहीं कि अगर वाकई में जैसा कि मेरे बुजुर्ग माननीय पालीवाल जी ने कहा कि अगर हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

गांवों के अन्दर रामराज्य कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं वहां इन्साफ हो, आराम और आशायस हो, तो कोई ऐसी तदवीर जरूर अख्तियार करनी पड़ेगी। यही वजह थी, यही भावना थी जिसके मातहत हुकूमत ने न्याय पंचायतों का यह तजुर्बा इस सूबे के अन्दर जारी किया। यह बात भी सही है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस तजुर्बे से हमको जितनी उम्मीद थी, जितनी आशा बावस्ता थी वह पूरी नहीं हो सकी। खासतौर पर पहली मर्तबा जब गांव पंचायतें इस सूबे के अन्दर बनायी गयीं तो वे बिल्कुल एलेक्शन के ऊपर थीं।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद को जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी एक घंटा पहले मैं यह अर्ज कर रहा था कि पंचायतों की तश्कील में और उनके काम में तब्दीलियां हुई और पिछले मौके पर सभी पंचायतें एलेक्टेड बनाई गई थीं और इस मौके पर कुछ लोगों ने शिकायत की कि वैसा नहीं किया गया और नामिनेशन की बात भी लाई गई। यह एक ऐसा सिस्टम जारी किया गया कि कुछ एलेक्शन भी रहे और कुछ नामिनेशन भी रहे और वह यह कि पंच नामिनेट किए जायें और वह अपने में से चेयरमैन एलेक्ट करें। उस सिलसिले में मुझे भी कमेटी में बैठने का मौका मिला और उन पंचों की नामजदगी या चुनाव में मैंने भी हिस्सा लिया, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मौकों पर ऐसे केसेज सामने आए कि जिनमें मुश्किल से कोई आदमी लिस्ट में ऐसा मिल सका कि जो तालीमयाफ्ता हो और कई केसेज तो ऐसे हमारे सामने आए कि जिनमें अनडिजारेबिल आदमियों को लेना पड़ा जो नहीं आने चाहिए थे। सब से बड़ी बात यह है कि उस मौके पर इतना ज्यादा कनवेसिंग हुआ, इतनी ज्यादा दिलचस्पी लोगों ने ली, इतनी ज्यादा दौड़धूप हुई कि जो किसी तरह से भी मुनासिब और सही नहीं थी। बहरहाल एलेक्शन्स हुए, पंचायतें भी बनीं, लेकिन सवाल यह है जैसा कि मैंने सुना और अक्सर लोगों को शिकायत है कि पंचायतों में उतना अच्छा काम नहीं होता जैसा कि होना चाहिए, लेकिन मुझे किसी तरह से कोई ऐसी तजवीज नहीं मिली कि जिसमें कोई आलटरनेटिव प्रोपोजल बताया गया हो। मैं आप से अर्ज करूंगा कि न्याय पंचायतों के कोई खिलाफ नहीं हो सकता और न उनके मुताल्लिक कोई दो राय हो सकती है। वह एक जुडीशरी का तरीका है उसका नाम कुछ भी रखा जाय, इससे कोई बहस नहीं है। लेकिन वह जुडीशरी जो गांव के मुकदमात के लिए बनाई गई है, जो वहां के लिटिगेशन को कम करने के लिए बनाई गई है, वह कैसी बनाई जाय और कैसे काम करे?

मैं यह नहीं कहता कि सभी पंचायतें बुरी हैं, उनमें कुछ अच्छी भी हैं, ऐसे भी मेम्बर बहुत सी जगह होंगे जिन्होंने वाकई अच्छा काम किया हो, लेकिन ऐसी पंचायतें या कमेटियां बहुत थोड़ी हैं जो उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं मेरे जहन में इस सिलसिले में एक तजवीज है और जब यह कमेटी बैठ रही थी जिसने इस पूरे बिल को फ्रेम किया था, मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था और इस हाउस में भी मैं कई बार बता चुका हूं और आज भी मैं फिर अर्ज किए देता हूं कि क्या यह मुनासिब न होगा कि हम हर ४–५ गांव के बीच एक पंचायती अदालत बनाने के बजाय आनरेरी मजिस्ट्रेट की एक बेंच हर परगने में या रीजनल मुकाम पर बना दें। उसमें जो आदमी आयेंगे वह पढ़े-लिखे होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा और उनमें काबलियत भी होगी, मामलात को समझने की। इस तरह से जो यह दौड़धूप और कनवेसिंग होती है वह भी बच जायगी। हमारे बाज दोस्तों ने सवाल उठाया कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ४० में

पाबन्दी है और उसके मुताबिक पंचायतों का आर्गेनाइजेशन हमारे लिए जरूरी है लेकिन मैंने आर्टिकिल ४० को बहुत गौर से पढ़ा, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि यह पंचायतें इसलिए बनाई जायंगी कि उनके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम चलाया जा सके। आपकी इजाजत से मैं उस आर्टिकिल को यहां पढ़े भी देता हूं :—

"The State shall take steeps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

सेल्फ गवर्नमेंट के मानी यह हैं जैसे हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया आते हैं वैसे ही एक और छोटे पैमाने पर एक यूनिट हमने कायम किया है और वह गांव पंचायत है। तो इसके लिये हमको पाबन्दी है। कांस्टीट्यूशन के मातहत जरूर करें— न्याय पंचायतें बनायें तो कोई मना नहीं करता। लेकिन मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि कोई ऐसी हमारे ऊपर पाबन्दी नहीं है कि न्याय पंचायतें जरूर ही हमारे कांस्टीटयूशन के मातहत जरूरी हैं और उसे बनाया ही जाय।

एक बात कही गई, वह गौर करने के काबिल है। एक दोस्त ने फरमाया कि न्याय पंचायतें इसलिये बनाई गई हैं कि इसमें लिटिगैन्ट पब्लिक का कम से कम पैसा खर्च हो— उसमें वकील नहीं आता है वकीलों को मुकदमों में दो रुपये लेना और मुकदमा कायम करना इसका मौका नहीं मिलता है, यह सही है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि वह कोई क्राइटेरियन इस बात का नहीं है कि हमारे मुकदमों के जजमेंट जो हैं वह चीप हों। चीप हों तो अच्छा है और आसानी से हो सकें लेकिन जजमेंट सही मिलता है किसी शख्स को वह ज्यादा जरूरी है बनिस्बत चीप होने के।

एक चीज और है। तमाम चीजों के साथ-साथ उन दोस्तों का जो वुकला हैं उनका भी खयाल करना है। वे भी हममें से ही हैं। इस मुल्क के बाशिन्दे हैं और इस मुल्क में पैदा हुए हैं; उनको शायद डिबार कर देने का इरादा है कि न्याय पंचायत बनायेंगे तो वे नहीं आ सकेंगे। जस्टिस चीप हो लेकिन चीप होने के साथ स्पीडी हो, जस्टिस एश्योर्ड हो ये दोनों बातें हमारी पंचायतों में नहीं मिलती हैं। आम तौर पर मैं समझता हूं कि इस ५ साल के तजुर्बे को हासिल करने के बाद अब मौका है कि हम उस पर ध्यान दें और गौर करें कि क्या सूरत मुमकिन हो सकती है जिससे हम पंचायतों को ऐसा बना सकें जिससे वे जनता में ज्यादा पापुलेरिटी गेन कर सकें और उनसे वे तवक्कात पैदा हों जिनको हम चाहते थे। क्योंकि मुझे अन्देशा है कि यह चीज पूरी नहीं हो सकी और यह तवक्कात हासिल नहीं हुए और इनको वैसा ही छोड़ दिया गया और कोई तवज्जह नहीं की गई तो शायद इससे कुछ और ज्यादा प्राब्लम्स पैदा हो जायंगे और ऐसी दिक्कतें व दुश्वारियां पैदा हो जायं...

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि अगर्चे मूवर आफ दी रिजोल्यूशन सदन में न हों....

श्री उपाध्यक्ष—वह सामने बैठे हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं अर्ज यह कर रहा था जब यह बात मान ली गई कि हमारे इस तजुर्बे से जो बातें हमें मालूम हुई हैं वे इस किस्म की हैं कि इसमें इसलाह की जरूरत है, रिफार्म की जरूरत है तो इसके लिये यह मामला भी बहुत जरूरी है, कोई बहुत मामूली चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरफ कदम उठाने के लिये और इस पर गौर करने के लिये जो मुनासिब तरीका गवर्नमेंट समझती हो उसे अख्तियार करना चाहिये। हमारे सामने एक रिव्यु मौजूद है, हमारे सामने संख्या मौजूद है और उसके बाद हम इस बात को सोच भी सकते हैं, कि आया हमको इसमें

[श्री सुल्तान आलम खां]

क्या परिवर्तन करना चाहिये। मैंने एक सजेश्चन जो बिल्कुल एक आल्टरनेट सजेश्चन के तौर पर दिया। मैं यह नहीं कहता कि पंचायत का नाम उड़ा दिया जाय। पंचायत में जो खराबियां हैं वे जाती रहें, यही मेरा मकसद है। मुझे मिसअंडरस्टेंड न किया जाय लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि पंचायत के काम में जो खराबियां हैं वे जरूर दूर होनी चाहिये। चाहे वे पंचायतों के नाम से कायम रहें लेकिन ये पंचायतें इस तरह से होनी चाहिये कि उनमें इलेक्शन न होना चाहिये। इसलिये कि कोई भी जुडीशियरी इलेक्शन के जरिये से आये तो हालात का तकाजा है, इंसानी कमजोरियों का तकाजा है कि उससे यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वह इंसाफ उसी तरह से करेगी जो एक ऐसी जुडीशियरी करेगी जो इलेक्शन से मुंतखिब होकर न आई हो।

मैंने अपनी तकरीर के पहले हिस्से में यह बतलाया कि एलेक्टिव जुडीशियरी कि हिन्दुस्तान में किसी जमाने में नहीं रही है, दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं रही, अलावा अमेरिका के जहां एक मर्तबा ऐसा हुआ था लेकिन वह भी नाकामयाब हुई और जैसा कहा गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर पंचायतें बहुत पुरानी रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वह पंचायतें दो किस्म की रही हैं, या तो कास्ट पंचायतें रही हैं या एल्डरली लोगों की पंचायतें रही हैं। जब कोई मामला उनके पास आर्बिट्रेशन के लिये जाता था तो वह बैठ कर उसका फैसला कर देते थे और उनका फैसला एहतरामन सब लोग मंजूर कर लेते थे। लेकिन ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रहा जहां तक मेरी वाकफियत है कि कोई पंचायतें इस किस्म की रक्खी गयी हों, जिनको यह अख्तियारात दिये गये हों कि वह लोगों को फौजदारी की अदालतों के तौर पर सजा दें या उसमें इस किस्म की चीजें कर सकें।

जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है, पंचायतें कई किस्म की हो सकती हैं। पंचायतें फौजदारी के काम के लिये भी कायम हो सकती हैं, माल के काम के लिये कायम हो सकती हैं और अगर कायम करें तो दीवानी के काम के लिये भी हो सकती हैं। मेरा यह सजेशन है कि क्या यह मुनासिब न होगा कि तहसीलों के हर परगने में एक अदालत इस किस्म की बनायी जाय मैं इसका कतई कायल नहीं हूं कि एक शख्स को यह अख्तियारात दे दिये जायं कि वह फौजदारी या माल या दीवानी का काम कर सके। लेकिन एक बेंच के तौर पर बना दी जाय जो वह फौजदारी का काम कर सकें, माल का काम कर सकें वहां का दीवानी का काम कर सकें। वह क्वालीफाइड लोग हों। वह एलेक्शंस से न आये हों। ताकि हम लोगों में यह यकीन पैदा कर सकें कि हमारी पंचायतें इंसाफ दे सकेंगी। एक बात अक्सर यह कही गयी कि जो इंसाफ मिले वह चीप हो। इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि अगर सेंट्रलाइज्ड जस्टिस किया जाय अगर जिले के हेडक्वार्टर पर ही तमाम अदालतें हों तो लोगों को जाने में दिक्कतें होंगी, वकील भी ज्यादा पैसा लेंगे। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाय, जो पंचायत का बुनियादी उसूल है और उसके अलावा परगना हैडक्वार्टर पर दीवानी फौजदारी और माल की अदालतें बना दी जायं; वह चाहें तो वकील को ले जा सकते हैं या बगैर वकील के भी जा सकते हैं और इलेक्शन का कायदा बाकी न रहे : तो मैं समझता हूं कि जो तजुरबा हमने पंचायतों का किया है उससे परगना पंचायतों का तजुरबा ज्यादा कामयाब होगा और हम लोगों के अन्दर यकीन और इत्मीनान की भावना पैदा कर सकेंगे। इन मुख्तसिर अल्फाज के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करता हूं जो हमारे दोस्त मौर्य जी ने पिछले दिन हाउस के सामने पेश किया था।

*श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। हमारे पिछले वक्ताओं ने इस मसले पर काफी बहस की है कि न्याय पंचायतें जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वक्त हैं वह मुनासिब नहीं है। मेरे नजदीक यह बहस जो संकल्प हमारे सामने है उससे बिलकुल अलहदा है। संकल्प यह है कि यह न्याय पंचायतों का जो तरीका है, जो न्याय पंचायतें हैं, इन्हीं को उड़ा देना चाहिये। यह नहीं है कि न्याय पंचायत के बनने के जो तरीके हैं वह गलत हैं। चुनान्चे जो पहला तरीका उनके चुनाव का था वह इसी ऐवान से तब्दील होकर अब इस वक्त दूसरा तरीका तैयार किया गया है। उसके मातहत नयी पंचायतें बनने जा रही हैं। तो मेरी गुजारिश यह है कि यह बहस इस रेजोल्यूशन से गैर मुताल्लिक है। अगर यह न्याय पंचायतें कायम रहेंगी, जो नयी पद्धति इस वक्त कायम की गयी है अगर यह भी कारामद साबित न होगी तो इस ऐवान को हर वक्त अख्तियार हासिल है कि जो तजुरबा हो उसकी बिना पर दूसरा कोई तरीका अख्तियार किया जाय, लेकिन जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है यह बहस इस वक्त बिलकुल इर्रेलेवेंट है। यानी इस संकल्प के अन्दर यह बहस पैदा ही नहीं होती। यह संकल्प तो यह है कि पंचायतें रहनी ही नहीं चाहिये। मैं इस संकल्प के बुनियादी उसूलों से इत्तफाक जाहिर नहीं करता। यह संकल्प यह बताता है कि न्याय पंचायतों से गांव वालों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है बजाय फायदे के, यह मेरे नजदीक, यह बुनियाद ही जो इस संकल्प की है वही गलत है। हमारे दोस्त ने यह खयाल नहीं किया कि अगर वह आंकड़ों को देखते तो उन्हें मालूम होता कि करीब-करीब दो लाख मुकदमें उस पुरानी पद्धति की जो न्याय पंचायतें हुई थीं उन्होंने फैसले किये। उन्होंने शिकायत यह की है कि मुकदमें ज्यादा पैदा हो गये, ठीक है। जब इतनी सुविधा होगी कि बगैर खर्चे के, बगैर वकील की फीस के, बगैर अपना गांव छोड़े बगैर गवाहों को खूराक दिये उनकी परेशानी, उनका कोई मामला तय हो जाय तो जाहिर है कि मुकदमों की तादाद बढ़ेगी। यह कोई हानि की बात नहीं। बल्कि यह तो एक खुशी की बात है कि उनकी शिकायत, उनकी तकलीफ और उनके झगड़े जो हैं उनको किसी पंचायत या किसी अदालत के सामने रखकर फैसला कराने का सस्ता और आसान मौका मिल जाता है। लेकिन अगर उन आंकड़ों को देखा जाय और उन नतीजों पर गौर किया जाय दो लाख मुकदमे फैसल हुये, उनके खिलाफ अपीलें जहां तक मेरा खयाल है सही आंकड़े तो मेरे पास इस वक्त नहीं है मगर जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे याद है ज्यादा से ज्यादा दस फीसदी अपीलें हुई और उन दस फीसदी अपीलों में ज्यादा से ज्यादा दस फीसदी या उससे भी कम आठ या सात फीसदी मंजूर हुई। अलावा इसके इन एक लाख अस्सी हजार मुकदमों में करीब करीब आधे मुकदमें वहीं पंचायत में समझौते के जरिये से तय हो गये। तो इससे मजमुई नतीजा यह निलकता है कि इससे गाँव वालों को अपने झगड़े तय कराने में बहुत सुविधा हो रही है और उनको मजमुई तौर पर तकलीफ नहीं बल्कि राहत है।

गलतियां हो जानी लाजिमी हैं। गलतियां जो अदालतें हैं जिनको कि हम तनख्वाहें देते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं और जो एम० ए०,एल-एल० बी और बी० ए०, एल-एल० बी० हैं, उनसे भी होती हैं। बेइमानियां भी होनी लाजिमी है कुछ हद तक, क्योंकि मुल्क में बेइमानी मौजूद है। लेकिन जब कोई चीज कसौटी पर जांची जाती है तो उससे उसके आंकड़े जो हैं उनकी तादाद को देखा जाता है कि इतने मुकदमें फैसल होना इतनी कम अपीलें होना, इतने मुकदमों का आपस में तय हो जाना, इतनी अपीलों का मंजूर होना, यह सब इस बात का नतीजा है कि उनको बहुत सुविधा हो रही है और काम ठीक हो रहा है। यह मैं नहीं कहता कि न्याय पंचायतें जो है वह जा बजा बेइमानी नहीं करती हैं या जा बजा उनसे गलतियां नहीं हो जाती हैं लेकिन उन आंकड़ों को देखते हुये वह इस कदर कम है कि यह संकल्प इस काबिल नहीं है कि मंजूर किया जावे और वह पद्धति बिलकुल तोड़ दी जावे और जो आप बराबर सुनते हैं वह मेरे नजदीक मेरे खयाल से, मेरे तजुर्बे से, मैं भी एक पुराना वकील हूं, मेरे तजुरबे से वह इस वक्त गांव की जागृति से आपको ज्यादा झगड़े मालूम होते हैं। एक शख्स जिसके फैसले में कोई गलती हो गई या कोई बेईमानी हो गई वह शहर भर में गाँव भर में एम० एल० एज० के पास मिनिस्टर के पास सबके पास जाकर कहेगा। वह उसका बहुत प्रोपेगेंडा करता है। तो वहां इस वजह से भी एक दिमाग पर असर रहता है कि देखो फलां गांव में यह हो गया। इनको तोड़ने के लिये संकल्प लाना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं

[श्री त्रिलोकीनाथ कौल]

हूं। देहात वालों को काफी सुविधा पहुंच रही है और जो नया तरीका इस्तेमाल किया गया है उससे उम्मीद है कि ज्यादा अच्छा हो सके। हमारे एक आध दोस्तों, बल्कि बुजुरगों ने, गो उन्हें बुजुर्ग ही कहना चाहिये वैसे उनमें वह मुझ से बुजुर्ग नहीं है और शायद इस ऐवान में कोई न हो, उन्हें यह कहा कि यह तरीका होने चाहिये कि मजिस्ट्रेट और उस जगह के एम० एल० एज० तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट चुनें तो यह तरीका भी सही नहीं है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि चुनाव का तरीका सही है या नहीं यह मसला इससे बावस्ता नहीं है। यह संकल्प तो न्याय पंचायतों को तोड़ देने के लिये है। अगर रखी जायं तो मौका है कि जो मुनासिब तरीका निकले या अनुभव से मालूम हो उसको काम में लाया जाय। उनका कहना यह था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के बाबत कोई ऐतराज नहीं हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई चुनाव नहीं करना है। एम० एल० एज० का यह था कि इलेक्शन में वह काम लेंगे। इसलिये इस चीज को आप पोलिटिक्स से अलग कर दें।

मेरे नजदीक यह सवाल पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि अभी जो गांव सभा और पंचायतों के चुनाव हुये हैं उसमें क्या एम० एल० एज० का पसन्द किया हुआ कोई आदमी नहीं आया है और चुनाव होंगे तो क्या पारटी वाले मदद नहीं करेंगे? इसके लिये बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि रोजाना के डीलिंग्स से पोलिटिक्स को अलग कर दिया जाय। बहरहाल, इसके मुताल्लिक और मौका हो सकता है। इस रिजोल्यूशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस संकल्प को वापस ले लें। अगर उनको न्याय पंचायतों के मुताल्लिक और कोई एतराज है तो वह मुनासिब सूरत निकालकर इस ऐवान में पेश करें और जो बनाया गया है उसमें तब्दीली हो सकती है, अभी बन रहा है और कुछ दिनों के तजुर्बे के बाद जो नुक्स हों वह निकाले जा सकते हैं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसको पढ़कर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायतें हमारे यहां जो कायम हो रही हैं, उनमें इस कदर खराबी आ गई है कि उनका रहना संभव नहीं मालूम होता है। अगर यह संकल्प किसी और व्यक्ति की तरफ से आता तब तो उस तरफ के बैठने वाले लोगों के लिये यह कहना संभव होता कि यह एक बड़ा प्रतिक्रियावादी मूव है। लेकिन आश्चर्य तो यह होता है कि संकल्प उस तरफ के बैठने वाले व्यक्तियों में से उस सदस्य की ओर से आया है जो राजनीति में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं और कांग्रेस के इने-गिने नेताओं में से कहे जा सकते हैं। यह कहना कि उनका यह मूव बिल्कुल प्रतिक्रियावादी है मैं इस खयाल से सहमत नहीं। वह एक विचारशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जब पंचायतों के कार्यों को देखा होगा, उनका व्यक्तिगत अनुभव हुआ होगा उसी आधार पर उन्हें मजबूर होना पड़ा इस बात के लिये कि यह संकल्प इस सदन में लायें। इसलिये इसके ऊपर यह कह देना कि यह अच्छा मूव नहीं है, कुछ समझदारी की बात नहीं होगी बल्कि इस पर बड़ी गम्भीर दृष्टि से विचार करना आवश्यक होगा।

श्रीमन्, आजादी से पहले प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ख्वाब देखता था कि आजादी के पश्चात् एक रामराज्य की स्थापना होगी। और जब आजादी हासिल हो गयी तो उसके पश्चात् हमारे देश में एक प्रजातंत्र की इमारत खड़ी की गयी जिसकी आधारशिला दो ही बातों पर मुनहसिर है। वे दो कड़ियां उस इमारत की एक पंचायत है और दूसरी प्लानिंग है। ये दोनों कड़ियां बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर एक कड़ी टूट जाती है तो दूसरी कड़ी नहीं रह सकती। अगर पंचायत की कड़ी खत्म होती है तो रामराज्य का स्वप्न भी खत्म होता है। इसलिये इस प्रकार यह सोचना कि जिस बुनियाद पर आप एक प्रजातंत्र की बुनियाद खड़ी कर रहे हैं उस बुनियाद को ही यहां से निकाल दिया जाय, यह भी एक उचित बात नहीं होगी। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि न्याय पंचायतों के अन्दर या ग्राम पंचायतों के अन्दर कोई कमियां अगर आ गई है और ऐसी खराबियां आ गयी हैं जिनको अगर ठीक समय पर रोका

न जाय, उनका सुधार न किया जाय तो पंचायतें खत्म होने की संभावना हो सकती है । इसलिये मेरे विचार से जितनी खराबियां आज हैं हमें इसी दृष्टिकोण से सोचना है कि वे कैसे दूर हो सकें और पंचायतें मजबूत बन सकें। जहां तक खाली पंचायतों का सवाल है, मेरा तो निजी तजुरबा यह है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के सदस्य होने में लोगों की दिलचस्पी नहीं है। भले ही कोई प्रधान होना चाहता हो, लेकिन प्रत्येक सदस्य ग्राम सभा का इस बात का इच्छुक है कि वह न्याय पंचायत का सदस्य बने और न्याय पंचायत जो एक प्रकार की अदालत है इसमें डिप्टी कलेक्टर बन जाय। हर आदमी ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिये इसलिये खड़ा हुआ है कि वह न्याय पंचायत में जा सके। हमारी सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति विद्यमान हुई है कि बहुत से हिस्सों से अभी तक भी ग्राम पंचायत के लिये सदस्यों के स्थान रिक्त हैं। तो जिस न्याय पंचायत में जाने के लिये ग्राम सभा का चुनाव हुआ प्रत्येक सदस्य इतना इच्छुक है उसको खत्म किया जाय, यह कोई संगत सी बात नहीं जंचती।

श्रीमन्, न्याय पंचायतें जैसे कि आज कार्य कर रही हैं वह बल्कुल संतोषजनक नहीं है। इसमें दुनियाभर का भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। लोगों में पक्षपात और अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है और यह भी देखा गया है कि जिस खयाल से न्याय पंचायतें बनी थीं कि जनता को शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले उसकी पूर्ति की भी संभावना इसमें नहीं है। तो अगर हम इन खराबियों को पकड़ लेते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी न्याय पंचायतें बहुत हद तक कारगर हो सकती हैं। और अगर हम इसमें सफल नहीं होते हैं तो पंचायतों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है ऐसी हमारी निश्चित धारणा है।

श्रीमन्, सबसे पहली बात कि न्याय पंचायतों के संबंध में जिनके बारे में कि ऐसी धारणा आज उत्पन्न हो रही है मैं अफसोस जाहिर इसलिये करता हूं, क्योंकि इस प्रकार की पंचायतें हमारे देश में नयी पंचायतें नहीं हैं। एक समय था हमारे देश में जबकि आटोक्रेटिक रेजीम्स भी थे उस जमाने में भी विलेज रिपब्लिक्स थीं। गांवों का हर काम पंचायतों से हुआ करता था, पंच का फैसला परमेश्वर का फैसला माना जाता था इसमें पक्षपात की बू नहीं थी और उस वक्त यह विलेज रिपब्लिक इतनी सफल हुई जिनकी तुलना आज दुनिया में नहीं है और इसी को आधार मानते हुये हमारी कांग्रेस सरकार ने यह पंचायतें अब चालू की हैं। इसमें सबसे बड़ी खराबी मैं तो यह समझता हूं कि इन पंचायतों में राजनीति का समावेश है जो बुनियादी रूप से नहीं होना चाहिये। मेरी निश्चित धारणा है कि चाहे प्लानिंग का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, सहकारिता का काम हो कोई भी काम हो जिसे आप नियोजन के अन्दर ला सकते हैं अगर इसमें किसी कदर भी राजनीति घुस गई तो वह काम सफल नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति है, उसमें प्रत्येक राजनीतिक दल का आदमी इस बात की कोशिश करता है कि हमारा आदमी उसमें आ जाय, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि किस व्यक्ति को इसमें आना चाहिये। उसका नतीजा चुनान्चे यह है कि पंचायतों के जितने सदस्य हैं वह इस प्रकार के हैं जिनको मैं बहुत सही नहीं मान सकता, उसमें जो एलिमेंट आज है वह बहुत बुरा एलिमेंट है। गांवों में जो थोड़े अमीर हैं, जिस आदमी का वहां थोड़ा सा असर है, वह आदमी जो गरीबों को कर्ज दे सकता है और जो अपने धन के बल पर बोलबाला कायम कर सकता है जिस आदमी की पहुंच आगे हो सकती है वही आदमी पंचायतों में आगे आता है और दूसरों को मौका नहीं देना चाहता। मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी का यह संकल्प इसीलिये प्रस्तुत हुआ है कि न्याय पंयायतें कायम होने के बावजूद भी जो कमजोर तबका है उसको प्रोत्साहन नहीं और उनकी हालत जैसी पहले गिरी हुई थी वह आज भी है। इसलिये ऐसे अनडिजाइरेबिल परसन्स को इसमें आने से कैसे रोका जाय, यह बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है।

श्रीमन्, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि न्याय पंचायतों को आखिर फैसले करने होते हैं। इस प्रकार के फैसले नहीं करने होते कि प्रत्येक मामले पंचायतों के पास चले जायं, दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हों और वे पंच को परमेश्वर मान लें और उनके सामने कोई प्रोसीजर

[श्री सत्यसिंह राणा]

न हो और लोगों को सलाह मशविरे से जो दोनों पक्षों को मान्य हो ऐसा फैसला कर दें। इस किस्म की पंचायतें कायम होतीं जिनके ऊपर कोई खास किस्म का प्रोसीजर न लगा होता तो वे इस किस्म का फैसला कर सकतीं और उसको करने में कारगर होतीं जो दोनों को मान्य होता। लेकिन आज पंचायतों को "ताजीरात हिन्द" की कुछ दफाओं के अधिकार दिये गये हैं। मैं मानता हूं कि वहां पर अदालत जैसी कार्यवाहियां नहीं हैं, अदालतों के जैसे वकील नहीं हैं, पेचीदगियां नहीं पैदा होतीं, लेकिन जब वे मामले रिवीजन में जाते हैं तो वहां पर पूरी कानूनी बहस होती है और सारा किया कराया रद्द हो जाता है तो, श्रीमन्, चाहे सदन माने या न माने कानूनी बातों का जहां तक ताल्लुक है पंचायतों में ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो इन बातों को समझते हैं। जब कानून उनके हाथ में दिया जाता है तो उनसे इस बात की आशा की जाती है कि वे एक खास किस्म के प्रोसीजर को अख्तियार करें और ऐसा फैसला दें तब उनको इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी न होने पर हम देखते हैं कि जितने फैसले अपील में जाते हैं वह करीब-करीब सब रद्द हो जाते हैं और उनके सभी के खिलाफ करीब करीब अपील एलाउ हो जाती है। तो गैरजानकारी भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सभी लोग कानूनी जानकारी नहीं रखते, सभी गांवों में पढ़े-लिखे नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ लोगों का ऐसा होना अनिवार्य है जिनको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हो।

तीसरी बात जो मैं समझता हूं वह यह है कि सरकार की ओर से भी जो पंचायत के सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं उनके पास गांव सभाओं का बहुत बड़ा काम होता है और वे अपना पूरा समय न्याय पंचायतों क लिये नहीं दे सकते। और उसके साथ-साथ वह खुद भी इससे गैरवाकिफ है, वह नहीं जानता कि कानून क्या बला है। मुझे तो इस बात की भी जानकारी है कि जो नये नये पंचायत राज इंस्पेक्टर नियुक्त हुये हैं उनको भी जानकारी कतई नहीं है। तो जब सारे का सारा तबका पंचायत का, सदस्यों, इंस्पेक्टर और सेक्रेरीज को लेकर, गैरजानकार हैं तो उनसे यह आशा करना कि वह इस प्रकार का फैसला दें कि जो आगे रिवीजन में जाने पर न टूटे, संभव सी बात नहीं हो सकती। श्रीमन्, इस संबंध में मेरा सुझाव यह हो सकता है कि सब सदस्यों को एल०-एल० बी० तो पास कराया नहीं जा सकता, लेकिन एक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि पंचायत राज विभाग की तरफ से उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हो उनमें आफिसर्स और नान आफिशियल होने चाहिये कि जो प्रत्येक क्षेत्र में दौरा करके सदस्यों को ट्रेनिंग देते रहें। इससे मैं समझता हूं कि उनको कुछ न कुछ जानकारी हो जायगी। दूसरे, श्रीमन्, जहां तक पंचायत राज सेक्रेटरी का ताल्लुक है उनके लिये यह अवश्य होना चाहिये मेरी समझ में कि उसको अपने पद पर जाने के पहले, काम शुरू करने के पहले किसी अदालत में अटैच कर दिया जाय और वह वहां पहले साल भर और नहीं तो ६ महीने रह कर कोर्ट देखकर कानून की जानकारी हासिल करें। इससे यह होगा कि पंचायत राज सेक्रेटरीज पंचायतों को सही रास्ते पर चलने के लिये अपना सलाह मशविरा दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत जानकारी न्याय पंचायतों में कानून की जरूरी होनी चाहिये उस तरह के केसेज की, जिनको वह डील करती है। और जब ऐसा होगा तभी वह कुछ कारगर हो सकती है।

श्रीमन्, वैसे खराबियों का वर्णन करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता इसलिये कि खराबियां बहुत हैं, इसलिये भी कि चूंकि यहां का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस प्रदेश में डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर हो और गांव सभायें इसका गढ़ हैं, वह मजबूत हों। लेकिन, श्रीमन्, इसके ऊपर भी हमें गौर करना है कि यह हमारा गढ़ किस प्रकार से मजबूत रहे। हमें इस बात को मानना चाहिये कि जब से न्याय पंचायतें बनी अदालतों में मुकदमे जाने कम हो गये, लेकिन पंचायतों में मुकदमे बढ़ गये और गैरजानकारी की वजह से यह मुकदमें फैसल भी देर में होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। लेकिन इससे लोगों को एक फायदा जरूर हुआ कि एक तो उन्हें फैसले के लिये कहीं दूर नहीं जाना पड़ा और दूसरे कोर्ट

में जाकर वकीलों के चक्कर में पड़ने से बच गये। एक और नयी समस्या पैदा हो गई है और वह यह है कि पहले पंचायतों के फैसले का जो रिवीजन होता था वह रद्द या बहाल हो जाता था और वह अदालत अपना फैसला दे देती थी। अब एस० डी० एम० उसको रद्द न करके बल्कि उसकी कमजोरियां निकाल कर उसे फिर पंचायतों को वापस कर दे तो इस तरह से पंचायतों तो सीखेंगी लेकिन उस लिटीगेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जायगा। तो इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन पंचातों के सदस्यों और अधिकारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

अब इनका चुनाव भी एक विकट समस्या है। इस पर बहुत से सदस्यों ने अपना अपना मत प्रकट किया। सरकार ने इसके लिये एक कानून बना दिया है, लेकिन जब यह प्रस्ताव आ गया है तो उचित है कि प्रत्येक मेम्बर अपनी अपनी राय दे और सरकार उस पर अमल करे। मेरा खयाल है कि न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव भी ग्राम सभाओं द्वारा अलग होना चाहिये क्योंकि गांव पंचायतों में आने के लिये प्रत्येक व्यक्ति इच्छुक नहीं होगा और वह इच्छुक तभी होगा जब कि वह न्याय पंचायत में जाना चाहता है। जब गांव पंचायत में वह आ जाता है तो वह न्याय पंचायत में आने की कोशिश करता है। तो ग्राम सभा के सदस्यों को उसे न चाहते हुए भी बरदाश्त करना पड़ता है। अब सरकार ने जो आदेश भेजे हैं कि एस० डी० एम० प्रत्येक ग्राम पंचायत से पांच, पांच नाम भेज दें तो उस सिलसिले में मैंने देखा है कि लेखपालों और पटवारियों के पास ऐसे आदमियों के नाम को भेजने के लिये जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला हुआ है उसको कहना यहां शायद अच्छा न होगा क्योंकि सभी इसे जानते हैं। मैंने जैसा कहा, आज इस तरह की व्यवस्था है कि जिसके अन्दर हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है चाहे उसे घूस देनी पड़े। इसलिये ऐसे अवांछनीय सदस्यों की न्याय पंचायतों में आने की पूरी सम्भावना है। जिस तरह से सरकार ने कायदा बनाया है कि जिला मैजिस्ट्रेट कुछ लोगों की, जैसे वहां एम० एल० एज० हैं, राय से आदमियों को चुनकर इन न्याय पंचायतों को बचावें, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। लेखपालों के द्वारा जो नाम भेजे गये हैं इससे भी ७५ फीसदी नाम अनडिजायरेबिल हैं। अगर सरकार को उसके मुताबिक ही कार्यवाही करनी है तो सरकार को दोबारा हुकुम जारी करना चाहिये। जो उस एरिया में ब्लाक ऐडवायजरी कमेटी है उसके सामने के नाम आवें। वहाँ पर सभी पट्टियों के लोग अपने विचार प्रकट करें और तब पंचायतें बनें। इसलिये मैं उसका समर्थन न करते हुये भी माननीय मौर्य जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह चीज लाकर सदन को विचार करने का मौका दिया।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—श्रीमन्, ये न्याय पंचायतें आज हमारी कोई नई संस्थायें नहीं हैं। प्राचीन काल में भी ऐसी संस्थायें थीं। इतिहास के पन्ने उलटने से यह सिद्ध होगा कि बीच में सामन्तशाही ताकतों के कारण हमारी ये संस्थायें समाप्त हुईं जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह संकल्प हुआ कि हमारे देश में ग्राम राज्य स्थापित किया जाय, जिसे दूसरे शब्दों में राम राज्य या पंचायत राज्य कहते हैं। राम राज्य की स्थापना में एक प्रमुख स्थान हमारी न्याय पंचायतों का है। जब हम रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं तो न्याय पंचायतों की ओर हमें एक निगाह डालनी होगी। १५ अगस्त सन् १९४९ को हमारे प्रदेश में न्याय पंचायतों की स्थापना हुई जबकि अभी ७ वर्ष ही हुये हैं और हमारी ये संस्थायें अपने शिशुकाल में ही हैं तो मुझे इस प्रकार का संकल्प देख कर कि ये न्याय पंचायतें रहें अथवा न रहें, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा यह गया है कि चूंकि न्याय पंचायतों की स्थापना से देहातों में मुकदमेंबाजी अधिक हो गई है इसलिये इन्हें समाप्त करना उचित होगा। मैं अपने इस संकल्प के प्रस्तुत करने वाले साथी का ध्यान न्याय पंचायतों के कार्य की ओर दिलाऊंगा। जो निगरानियां हमारी न्याय पंचायतों की हाई कोर्ट में गई हैं अगर वे उन पर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि लगभग ८० फीसदी फैसले हमारी न्याय पंचायतों के बहाल रहे। सही है कि कुछ न्याय पंचायतों में गड़बड़ी हो, लेकिन आंकड़ों के देखने से यह

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

जाहिर होता है कि हमारी पंचायतें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। यह सिर्फ दृष्टिकोण का अन्तर है। हमारे दृष्टिकोण में अधिकतर जो प्रणाली आज तक काम की रही वह पेपर जस्टिस की रही है। आज हम अपनी बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि उस कागजी न्याय के हम आदी बन चुके हैं जो कि वर्षों से स्थापित रहा है। मैं सदन का और उनका ध्यान कचहरियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमारी न्याय पंचायतों में तरह-तरह की गड़बड़ी मची हुई है। जो हमारी यह न्याय प्रणाली सैकड़ों वर्षों से चल रही है जरा वह उसको कचहरी में जा कर देखे तो वहां पर क्या होता है। हमारी यह न्याय पंचायतें तो अभी ७ वर्ष से ही हुई हैं। मैं तो यह कहूंगा कि रोम एक दिन में नहीं बना। उसके बनने में भी समय लगा है। आज जो कागजी न्याय हमारे इन न्यायालयों में हो रहा है वह एक दिन का नहीं है। वह धीरे-धीरे बनते-बनते सैकड़ों वर्षों के बाद उसकी आज यह सूरत सामने आयी है और सूरत में भी आज इतनी उसमें खराबी है जिसको हमारे भाई कचहरियों में जा कर देख सकते हैं। होता यह है कि जो अच्छा वकील करते हैं उनको न्याय मिलता है। पैसे वाले लोगों को न्याय मिलता है गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। गरीब लोग, जिनके खिलाफ जुर्म होता है उसको बरदाश्त करके गांव में बैठ जाते हैं लेकिन न्याय पंचायतों की स्थापना इसी वजह से की गयी कि जिनको न्यायालय तक आने का मौका नहीं मिलता है वे थोड़े पैसे में अपनी जगह पर अपने झगड़े का फैसला करा लें। यही उद्देश्य था जिस उद्देश्य को लेकर गांवों में न्याय पंचायतों की स्थापना की गयी।

हमारे कुछ भाइयों ने इसकी पद्धति की ओर भी इस सदन का ध्यान दिलाया सही है। कि बुराई हुई और उस बुराई की चर्चा भी की गयी कि किस तरह से इसका पुनः संगठन किया जाय। चूंकि यह एलेक्टेड जुडिशियरी है इसमें चुनाव का विशेष स्थान है तो ऐसा सोचा गया कि जो गांव सभा के हमारे व्यक्ति हैं वे कुल तादाद चुनेंगे और वही चुनी हुई तादाद न्याय पंचायत के पंचों का चुनाव कर दे। यह ठीक ढांचा सोचा गया। एक तजुर्बा हो रहा है और अभी ७ वर्ष हुये तजुर्बा हुआ और इसको बहुत दिन नहीं हुये हैं। आज हम प्रजातंत्र में चल रहे हैं। प्रजातन्त्र के क्या उद्देश्य हैं और क्या ट्रेडीशन्स हैं, हम स्वयं नहीं सीख पाये हैं तो फिर जो देहात के रहने वाले हैं उसके बारे में क्या कह सकते हैं मैं साफ कहता हूं कि उनको अभी सीखना है और अपनी बेवकूफी से सीखना है और अपनी त्रुटियों से सीखना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हम ऐसे मौके पर जब कि वह सीख रहे हों और वे शिशुकाल में हों आज इस प्रकार का संकल्प इस सदन के सामने ले आवें जिससे वह हताश हो जायं, जो प्रयास वह अपनी उन्नति के लिये कर रहे हैं, हमारे देहात के भाई, हताश होने पर वे बाध्य किये जायं कि उन्नति न कर सकें यह उचित नहीं मालूम होता है। यह तो उसी तरह की मिसाल है कि जिस प्रकार से एक बच्चा अगर वह दौड़ता है और जल्दी जल्दी अपने घुटनों के बल चलता है और वह फिर गिर पड़ता है। यदि उसकी मां उसको देखती है कि बच्चा गिर पड़ा और उसको कह देती है कि तुम गिर पड़े तो वह बच्चा हताश हो जाता है और अगर मां मुंह फेर लेती है और बच्चा फिर अपने घुटनों से खड़ा हो जाता है तो वह फिर चलने लगता है और उसको अपने प्रयास में सफलता मिलती है। यही चीज पूर्णतः इन पंचायतों के ऊपर लागू होती है। यदि इन न्याय पंचायतों से उनकी शिशुकाल की अवस्था होने के कारण इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से हों तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनको प्रोत्साहित करें जिससे वह आगे बढ़ें और आगे उन्नति करें। इस प्रकार से उनको कह कर हताश करना है यदि हम यहां संकल्प लाते हैं।

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि न्याय भी दो प्रकार के हैं। एक तो कागजी न्याय जिसको हम अदालतों में देखते हैं और एक वास्तविक न्याय जो हम पंचायती अदालतों में देखते हैं। जो आज हमको कागजी न्याय दिखाई देता है उसको हम नेचुरल जस्टिस समझते हैं और उसके हम आदी हो चुके हैं और उसकी खराबियों को हम नजरन्दाज करते हैं जो कि आज कचहरियों में

काफी फैली हुई है। उनकी तरफ हम निगाह नहीं डालते। लेकिन आज जो हम न्याय पंचायतों में न्याय देखते हैं उसमें और हमारे इस न्याय में अन्तर है। हमारे बहुत से बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग भी, जो प्रणाली न्याय पंचायतें अपना रही हैं, उसको नहीं समझ पाये हैं तो उन बेचारों के बारे में क्या कहा जा सकता है जिनको न्याय करना है ? वहां पर वास्तविक न्याय होना चाहिये और वहां पर जो हालत है उसकी जानकारी के आधार पर ही फैसला होना चाहिये। इसके मुकाबले में सरकारी कचहरियों में जो न्याय होता है वह कागजात पर अवलंबित होता है। यदि कोई मामला सच्चा है लेकिन कागजात पूरे नहीं हैं तो वादी उसको साबित नहीं कर सकता है, अगर कोई अच्छा वकील खड़ा नहीं कर सकता तो उसको न्याय मिलना कठिन है। ऐसे लोगों की वहां मामला सच्चा होते हुए भी हार हो जाती है। लेकिन यह चीज हमारी न्याय पंचायतों में नहीं है। वहां के सभी पंच वहीं गांव के रहने वाले होते हैं। वह जानते हैं कि यह खेत किसने जोता है, किस आदमी को किसने मारा है और किसने नहीं मारा है। तो इस प्रकार से उनके सभी फैसले जानकारी के आधार पर ही होंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल––श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव––श्रीमन्, मैं तुलना कर रहा था मौजूदा कचहरियों और पंचायतों की। इस समय मुझे नौशेरवां का एक फैसला भी याद आ रहा है। एक व्यक्ति का एक घोड़ा चोरी गया। उसके लिये दो आदमियों में झगड़ा था कि वह घोड़ा किसका है। एक ने कहा मेरा है, दूसरे ने कहा कि मेरा है। नौशेरवां ने घोड़े को अपने अस्तबल में बंधवा दिया। एक आदमी से कहा कि तुम अस्तबल में जाओ। जब वह अस्तबल में गया तो घोड़े ने उसकी ओर पैर फेंके उसको मारने के लिये और मुंह से काटने दौड़ा। जब प्रतिवादी गया तो घोड़ा हिनहिनाने लगा। बस नौशेरवां ने फैसला दिया कि जिसको देख कर घोड़ा हिनहिनाता है, वह उसी का है। इसी प्रकार से न्याय पंचायतों का न्याय भी होना चाहिये। और इसी प्रकार का जानकारी का न्याय होता है। लेकिन इन कचहरियों में अगर वह न्याय होता तो क्या होता ? वहां गवाह लोग आते हैं और अगर कोई गवाह रंग गलत बता देता तो चाहे वह घोड़ा उसी का होता, लेकिन फैसला उसके खिलाफ होता। इस प्रकार से हमारी पंचायतों में वास्तविक न्याय होता है। ऐसी अवस्था में इन न्याय पंचायतों की अत्यन्त आवश्यकता है।

यह जो कहा गया कि मुकदमे बढ़ गये तो वह इस वास्ते बढ़ गये कि जिन गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था उनको भी अब बिना पैसा खर्च किये न्याय मिलने लगा है, घर बैठे गांव में मिलने लगा है। इसलिये जब कि हमारी न्याय पंचायतें शैशव काल ही में हैं, जबकि वे अपनी तरक्की के लिये प्रयास कर रही हैं जबकि जुडीशियरी सिस्टम को वे आगे बढ़ा रही हैं, उस समय इस प्रकार के संकल्प सदन में लाकर उनको हतोत्साह करना ठीक नहीं है। मैं अपने भाई, जिन्होंने यह प्रस्ताव रक्खा है, उनसे कहूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो हमारे सामने उपस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संकल्प के बजाय यदि दूसरा संकल्प उपस्थित किया गया होता तो वह आवश्यक होता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने उस संकल्प को जो मैंने माननीय अध्यक्ष के सामने पेश किया है, पढ़ कर सुना दूं और उसके बाद उस पर भाषण करूं। मेरा संशोधन यह है और संशोधन के बाद उस संकल्प का रूप इस तरह से हो जायगा। "सदन का यह निश्चित मत है कि न्याय पंचायतों द्वारा गांवों की दशा में सुधार होने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि वर्तमान न्याय पंचायतों का चुनाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाय। और ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा न्याय पंचायत के पंचों का चुनाव कराया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—आपको इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामभजन शर्मा—बहुत अच्छा। जो संकल्प हमारे सामने पेश है वह इस बात का द्योतक है कि न्याय पंचायतों का होना हमारे देश के लिये अनावश्यक है। मैं इस बात को बड़े ही जोर के साथ आपके सामने अनुरोध करूंगा कि न्याय पंचायतों का होना हमारे देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो हमारा देश जनतांत्रिक प्रणाली का देश है लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे देश में न्याय पंचायतों की स्थापना, जनता के हित और जनता क अधिकार की बहुत जोरों के साथ मांग है। न्याय पंचायतों के लिये यह दलील देना कि न्याय पंचायतें कायम होने के बाद हमारे देश में काफी मुकदमे बढ़े हैं इसलिये न्याय पंचायतें तोड़ दी जायं, यह तो उसी प्रकार की दलील है जैसे अगर किसी स्कूल में बहुत लड़के हो जायं तो यह कहा जाय कि स्कूल ही तोड़ दिया जाय।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामभजन शर्मा—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाय तो उसकी यह दलील नहीं है कि स्कूल ही तोड़ दिया जाय, या इसी तरह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ जाय तो अस्पताल को ही तोड़ दिया जाय। इसी तरह से हमारे प्रदेश के अन्दर मुकदमे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसके लिये यह दलील ठीक नहीं है कि न्याय पंचायतों को तोड़ दिया जाय। बल्कि यह तो इस बात का द्योतक है कि हमारे देश के अन्दर जनता में इस प्रकार भी भावना पैदा हो गयी है, जनता समझने लगी है कि उसके अधिकार क्या हैं और उस अधिकार के लिये उसे लड़ना है और उसे पंचायतों से मनवाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की असहाय-बेवा जो तरह-तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करके कहीं पहुंच नहीं सकती थ, उसकी गुजर तहसीलों या जिलों की अदालतों में पहुंचने में नहीं हो सकती थी, और जिलों में होती भी तो वह वकीलों के भारी बोझ को नहीं बर्दाश्त कर सकती थीं, उसे अच्छे गवाह नहीं मिल पाते थे जिसकी वजह से वह खामोश थीं। लेकिन आज न्याय पंचायतों की स्थापना के बाद हमारे देश में एक नयी जागृति पैदा हो गयी है और उस जागृति के साथ-साथ उन मूक और निर्बल आदमियों के लिये जिनको न्याय पाने की कहीं भी किसी तरह से गुंजाइश नहीं थी, उनको आज अपने अधिकारों को प्राप्त करने का मौका मिला है। यह कहना कि न्याय पंचायतों में न्याय नहीं है, यह सरासर गलत है। हम उस स्टेज से गुजरे हैं जहां कि हमने काफी तजुर्बा किया है। "देर आयद दुरुस्त आयद।" जो चीज देर में होती है लेकिन दुरुस्त होती है तो उसे ठीक ही माना जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की न्याय पंचायतों ने जो रिकार्ड कायम किया है उसके देखने से प्रमाणित होता है कि न्याय पंचायतों ने काफी अच्छे तरीके से न्याय किया है। हमारे न्याय पंचायतों की अपीलें बहुत कम बहाल हुई हैं, कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ है, बहुत जगह तो इस तरह की कोई जरूरत ही नहीं हुई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने जनता की भावना को विशेषता दी है और उनमें एक अच्छा भाव पैदा हुआ है। तो न्याय पंचायतों का तोड़ा जाना हमारे देश के लिये बहुत ही अहितकर है और हमारा देश वैसे ही पंचायतों का सदैव से आदी भी रहा है।

पंचायत सिस्टम के खत्म होने के बाद हमारे देश में एक तरह की गड़बड़ी पैदा हो सकती है और खासतौर से ब्रिटिश शासन काल में इस तरह की विधि रही कि पंचायती सिस्टम खत्म हुआ और न्याय का कोई सम्बन्ध जनता से नहीं रहा। अगर किसी के पास शक्ति नहीं है, उसका असर नहीं है अगर उसका दबाव नहीं है तो उसको न्याय मिलना बहुत

कठिन था। आज भी ऐसी-ऐसी बातें होती रहती हैं कि वकीलों की बारीकियों के सामने बड़ी-बड़ी सच्चाई नहीं ठहरती और हमें बहुत तरह से दबकर रहना पड़ता है, लेकिन यह न्याय पंचायतें ऐसी संस्था हैं, वह ऐसे यूनिट हैं कि जहां ठीक तरह से न्याय मिल सकता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और हम ठीक तौर से उनका निर्माण कर लें तो आशा है कि अभी जो त्रुटियां या गलतियां उनमें नजर आती हैं वह भी दूर हो जायं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश आप के सामने मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी न्याय पंचायतों का चुनाव जिस प्रणाली से किया गया है वह अशुद्ध है। अगर इस चुनाव को ग्राम पंचायतों के पंचों के द्वारा कराया गया होता तो वह ज्यादा जनतांत्रिक होता और पंचों पर कुछ जिम्मेदारी होती और उसके साथ ही उन्हें सन्तोष होता कि वास्तव में हमने सही पंचों को चुना है और हमारी तबियत के वह पंच हैं और उनको चुनने में वाकई सच्चाई और ईमानदारी का लिहाज रखा गया है, लेकिन जो सिस्टम अब अख्तियार किया गया है उससे ठीक तौर से न्याय पंचायतें नहीं बन सकतीं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक लिस्ट जो एस० डी० एम० पेश करता है, जिसको इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी चाहते हैं उनके नाम नहीं भेजे जाते हैं। जो वाकई ईमानदार और योग्य लोग होते हैं वह नजरन्दाज कर दिये जाते हैं, पटवारी और वहां के लोग जिसको चाहते हैं उनके नाम लिस्ट में जाते हैं और जो वाकई ईमानदार और सच्चे आदमी हैं वह रह जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र और अपने जिले की ही बात सदन के सम्मुख रख सकता हूं और मैं समझता हूं कि जैसा हमारे जिले में हुआ है वैसा ही और क्षेत्रों में भी हुआ होगा। हमारे यहां एस० डी० एम० साहब ने लिस्ट भेजी और उसमें मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों के नाम भी हैं कि जिन पर ११० के मुकदमे चल रहे हैं और जो हिट्रीशीटर हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चलते हैं और जो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं। उन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं भेजे गये जो पिछली बार सरपंच थे, जिनका असर था और सारे क्षेत्र में जिसकी न्याय प्रियता की सब तारीफ करते थे और जिसको सारा क्षेत्र चाहता था उसका नाम नहीं भेजा गया और उनको नजरअन्दाज किया गया। उस एस० डी० एम० की लिस्ट के बाद डी० सी० की लिस्ट का नम्बर आता है और वही फाइनल अथारिटी होती है। असल में डी० सी० को क्या ज्ञान हो सकता है कि वाकई कौन समझदार है और कौन ईमानदार है, पढ़ाई आदि बाज मौकों पर कसौटी हो सकती है लेकिन बाज जगह पर तो पढ़े-लिखे और खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जब डी० सी० ने उस लिस्ट के लिये पंचों का चुनाव किया तो शायद उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि पंचायतों के और न्याय के दृष्टिकोण से कौन मुनासिब और उपयुक्त साबित होगा। इसलिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से इन न्याय पंचायतों का निर्माण हुआ है उनके द्वारा जिस तरह से शुद्ध काम होना चाहिये वह नहीं हो सकता है।

हमारे सूबे में अभी इस बात की बड़ी गुंजाइश है कि पंचायतों में सुधार किया जाय और कोई दूसरी प्रणाली चलाई जाय और उसके अनुसार उनके चुनाव कराये जायं; अगर हमारे यहां यही तरीका रहा तो हमारी न्याय पंचायतें अशुद्ध रहेंगी और हम उसके लिये जिम्मेदार होंगे। लिहाजा हमारी कांग्रेस सरकार को चाहिये कि इस प्रस्ताव का समर्थन कर के पंचायतों के निर्वाचन की प्रणाली में संशोधन करे और ठीकतौर से कोई व्यवस्था कायम करे। वैसे पंचायतों का रहना तो बहुत ही जरूरी ही है और अगर वह ठीक तरह से काम करें तो उनके द्वारा हमारे देश में रामराज्य स्थापित हो सकता है और यहां की गुंडागरदी दूर हो सकती है, उनके द्वारा हर ग्रामवासी को चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, निर्बल हो या सबल हो उसे न्याय मिल सकता है। सब को न्याय पाने का अवसर उनसे मिल सकता है। हम चाहते हैं कि पंचायतों को ठीक तौर से चलाया जाय, वह एक ऐसी चीज है जहां पर सस्ता न्याय और शुद्ध न्याय हरएक को मिल सकता है क्योंकि उस में इस बात की व्यवस्था रखी गई है कि उनमें बाहर के वकील वगैरः नहीं आ सकते और वह वहां कानूनी बारीकियां नहीं निकाल सकते। इन पंचों के सामने

[श्री रामभजन शर्मा]

गलत आदमियों को पेश कर के उन को बहकाया नहीं जा सकता और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि न्याय पंचायतों के पंचों ने खाली अपनी निजी जानकारी की बिना पर ही फैसला दिया है और कहा है कि हमें इसकी जानकारी है और उनके फैसले को माना गया है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से अपील करता हूं, माननीय मौर्य जी से भी अपील करता हूं कि वह अपने संकल्प में इस संशोधन को स्वीकार कर लें और पंचायतों की उपयुक्तता को मान लें; तो हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के रहने वाले उन गरीबों और कमजोरों के लिये जिनकी आवाज कहीं पहुंच नहीं सकती, जिनके लिये न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जिनके लिये वहां पहुंचना और गवाहों का पेश करना बहुत मुश्किल है उन्हें भी न्याय प्राप्त होता रहेगा। इसलिये मैं यही अनुरोध करूंगा कि न्याय पंचायतों की चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया जाय और उसे ठीक तरह से ऐसे आधार पर रक्खा जाय जिससे कि पंचायतें शुद्ध काम करने के लिये उपयुक्त बन सकें।

*श्री जगन्नाथमल्ल––श्रीमन्, जो संकल्प माननीय द्वारकाप्रसाद जी मौर्य ने सदन के सामने रक्खा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत तर्क दिये जा सकते हैं। जहां तक कि पंचायतों के खत्म करने का प्रश्न है मौर्य जी चाहते हैं चूंकि न्याय-पंचायतों के कारण बहुत-सी मुकदमेबाजियां हो गई हैं, बहुत-सी खराबियां पैदा हो गई हैं और उनसे कोई फायदा जनता को नहीं मिल रहा है इसलिये उनको खत्म कर दिया जाय। यह भी एक प्रश्न है जरा सोचने का, क्योंकि मैं उदाहरण के लिये सदन के सम्मुख बतलाना चाहता हूं मान लीजिये इस डेमोक्रेसी द्वारा यह जो सरकार बनी है इसमें बहुत सी खामियां हैं, यह तो निश्चित हमारा मत है कि यह सरकार ज्यादातर गलत ही काम करती है इसलिये डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाय। अभी आप देखें कि सेल्स टैक्स के मामले में अनाज तक पर टैक्स लगा दिया। तो फिर क्या डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाय? सरकार गलत काम करेगी तो सरकार हट जायगी। जितने भी कानून सरकार बनाती है उनमें सारी पावर्स अपने हाथ में ले ले तो इसका मतलब यह है कि अगर इस किस्म का कार्य यह सरकार करती है जो गलत होता है तो क्योंकि डेमोक्रेसी के द्वारा यह बनाई गई है इसलिये डेमोक्रेसी को हटा कर डिक्टेटरशिप कर दी जाय, इसको मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी भी पसन्द नहीं करेंगे। और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। कानपुर में मजदूरों में इतने दिन हड़ताल चली, लड़कों के मामले में लखनऊ में गोलयां चलीं।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि बहुत दृष्टान्त देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल––जब तक काफी समझाया नहीं जायगा तब तक न मंत्री जी समझ सकेंगे और न मौर्य जी समझ सकेंगे। मैं यह समझा देना चाहता हूं कि यह सरकार बिलकुल निकम्मा काम करती है और निकम्मी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि डेमोक्रेसी को तोड़ दिया जाय। जनता जब उनके निकम्मेपन को समझ जायगी तो उसको हटा देगी। उसी तरह से मैं समझता हूं कि इसमें भी काफी वजन है कि अगर पंचायतें गलत काम करती हैं और उनकी वजह स काफी नुक्सान हुआ है तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि दरअसल हम न्याय पंचायतों को रक्खें या न रक्खें। मैं मौर्य जी की इस बात से सहमत हूं कि बहुत से गलत काम न्याय पंचायतों ने किये हैं। मैं दृष्टांत के तौर पर अपने यहां का एक मामला बताता हूं। हमारे यहां एक सरपंच साहब थे उन्होंने घूस लेनी शुरू की और गड़बड़ करनी शुरू की तो २२ मेम्बरों ने उन पर लिखित अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया लेकिन इत्तिफाक से वह सरपंच साहब उस पार्टी के थे, जो पार्टी पावर में है इसलिये उनको हटाया नहीं गया। फिर वह ५ आदमी का बोर्ड बना लेते थे, तीन आदमी उनके साथ थे–जल्दी से बोर्ड बना लिया और जिन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था उन पर जुरमाना करवाना शुरू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया कोई न कोई केस चलवा कर। ये सारी चीजें लिख कर भेजी गईं। लेकिन उनके ऊपर कोई जांच नहीं आयी और जब तक पिछला चुनाव नहीं हुआ तब तक वह बने रहे सरपंच। इस तरह के काम भी किये गये हैं। मैं यह भी समझता हूं कि बहुत सी जगह इस तरह के काम हुये हैं। गलतियां हुई हैं पंचायतों में और मैं मौर्य जी से बिलकुल इस बात में सहमत हूं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत जगह अच्छे आदमी भी सरपंच आ गये थे जिनके काम से वहां काफी अमन चैन रहा, जिनके काम से वहां की जनता भी प्रसन्न थी। लेकिन उसके बाद इस सरकार ने जो उसमें नया चुनाव का तरीका रख दिया उसमें जो पिछली गड़बड़ी हुई थी उसने और बढ़ोत्तरी कर दी। पहले जो सरपंचों ने गलत काम किये थे वह समझ गये थे कि अब आगे चुने जाने वाले नहीं है इसलिये जितना गलत काम करना हो और पैसा कमाना हो, कमा लो। हो सकता है कि पहले चुनाव में बहुत से गड़बड़-सड़बड़ लोग भी आ गये हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव होता उसमें खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। जन लोगों ने गड़बड़ियाँ कीं और उनसे जनता नाराज थी उनकी हिम्मत इस बार खड़े होने की नहीं होती उसके बाद अच्छे-अच्छे आदमी चुनकर आ जाते हैं। लेकिन सरकार की जो मनोवृत्ति हमेशा से यह बनी आयी है और है कि किसी तरह से अपने हाथ में पावर लो और अब नामिनेट करो। मैं समझता हूं कि इससे पंचायतों का काम खराब होगा क्योंकि अब वह सोचेंगे कि अब जनता से कोई मतलब नहीं है, अब तो घूस-घास ले कर मामला खत्म करो। मैं मानता हूं कि जज का चुनाव नहीं होना चाहिये। लेकिन जज पेड सरवेंट होता है। यह जो पंचायत वाले हैं, इनको कलेक्टर साहब वहां से बैठ कर क्या जानेंगे कि कौन सा आदमी गांव में कैसा है। वहां की जनता ही बता सकती है कि कौन-कौन आदमी ईमानदार हैं और कौन आदमी बेईमान है। यह वहां की जनता बता सकती है। कलेक्टर साहब या जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो वह हर एक गांव में जा कर उसके लिये असंभव है कि पूरे जिले में जा कर इस बात को जान सकें कि कौन आदमी कैसा है। वह तो गाँव का रहने वाला या उसका पड़ोसी ही जान सकता है और फिर अगरचे उसने एक दफा धोखा खाया, तो यह एलेक्शन अगर पुराने तरीके पर हुआ होता तो मैं समझता हूं कि काम सुधरा होता। मैं नहीं कहता कि एक दम से सुधर गया होता। उसमें भी बहुत-सी खामियां हैं। लेकिन पहले से काम सुधरा होता।

श्रीमन्, बावजूद इसके कि सरकार कोई अच्छाई की चीज उसमें लाई है, सरकार ने ऐसी-ऐसी उसमें गड़बड़ी पैदा कर दी जिसके कारण मैं समझता हूं कि और गड़बड़ी होगी और मौर्य जी के प्रस्ताव की और भी जरूरत पड़ जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार ने न्याय पंचायत के चुनाव का जो तरीका रखा है उसमें बहुत गड़बड़ी पैदा होगी और अब के चुनाव में बहुत गड़बड़ी होगी। मंत्री जी तो अभी लटकायें हुये हैं, पिछला चुनाव नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी एक आध महीने और लटकायें और एक दूसरा बिल ले आयें। अच्छा हुआ कि मौर्य जी ने इस सदन और इस गवर्नमेंट का ध्यान इधर आकर्षित किया। एक दूसरा बिल मंत्री जी ले आयें और जो चुनाव का तरीका पहले था वह रखें और उन चीजों पर सदन बैठ कर विचार-विनिमय करे और जल्द से जल्द इस सदन में पास कर दें ताकि उसके मुताबिक न्याय पंचायत का काम चालू हो जाय। यही एक तरीका है न्याय पंचायतें ठीक से चलाने का।

दूसरी चीज, श्रीमन्, मैं यह भी चाहूंगा कि कम से कम हर पंचायत का जो सर्किल होता है, पंचायत इन्सपेक्टर का सर्किल, वहां एक ऐसा व्यक्ति हो या तहसील ले लीजिये, वहां एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो कानूनदां हो। कानून का जानकार हो, वकील हो लेकिन वह प्रैक्टिस न करता हो और वह इसलिए हो कि अगरचे किसी न्याय पंचायत को कोई कानूनी राय लेनी हो तो उस वकील के पास जाय और उससे राय ले। लेकिन अगरचे वह प्रैक्टिस करने वाला होगा तब तो ठीक राय नहीं देगा। प्रैक्टिस किये हुए हो लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दिये हो। उसकी प्रैक्टिस छुड़वा दीजिये। (कई आवाजें) आप समझने की कोशिश कीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि वकील हो, उसको सरकार की नौकरी में रहना चाहिये और वह इसलिये हो कि अगरचे न्याय पंचायत में कोई पेचीदा मुकदमा उसके सामने आ जाय तो

[श्री जगन्नाथमल्ल]
उसकी राय ले सके। यह इतनी मोटी बात नहीं समझ में आ रही है तो अब इसके लिये क्या कहें? मोटी बुद्धि हो तो क्या किया जाय? तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह बहुत जरूरी है। अब इन लोगों को तो कुछ समझ में आयेगा नहीं। यह तो चाहते हैं कि जो तरीका यह है ठीक है, हमको मौका मिल जाय और खूब न्याय पंचायतों में पार्टीबाजी करने का अवसर मिले। ज्यादातर तो यही लोग हैं, श्रीमन्, न्याय पंचायत का चुनाव होगा तो इनको बुलाया ही जायगा तो इनको तो मौका मिलेगा कि जितने गलत लोग हैं उनको चुनें क्योंकि वह लोग इनके चुनाव में काम देंगे। यह तो भावना इसके पीछे है। श्रीमन्, इसलिये इनकी समझ में यह नहीं आ रहा है। इस तरह से एक चीज यह होनी चाहिये। हालांकि वकील लोग ही हैं वह हर एक गांव पंचायत और गांव सभा के लिये एक वकील मुकर्रर हैं। उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। यह है कि जितनी ऐसी बातें हों उनका फैसला उन्हीं से कराया जाय। वह तो यह समझते हैं कि उन्हीं के पास आयेंगे ही। लेकिन जब फीस ही देनी है तो किसी एक को क्यों मुकर्रर करते हैं? जिसको वह ठीक समझेगा उससे करायेगा अपना मुकदमा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सब खामियां हैं और इन खामियों को जब तक यह दूर नहीं की जायंगी तब तक काम चलने का नहीं है।

मौर्य जी का यह जो रिजोल्यूशन है वह इसी अभिप्राय से है कि खामियों को सरकार दूर करे। मैं समझता हूं कि उनकी भावना यही होगी और मैं भी उनकी भावना से सहमत हूं। यह खामियां जो हैं इनको दूर होना चाहिये और अगरचे दूर नहीं होती हैं तो मैं बिल्कुल उनकी राय से सहमत हूं। अगरचे सरकार खामियों को दूर कर ले तब ठीक है, तब तो यह चीज चलनी चाहिये। इसलिये मेरा स्पष्ट मत है कि खामियों को दूर करके चलाया जाय न्याय पंचायतों को लेकिन अगरचे खामियों को दूर नहीं किया जाता है तो इनके रिजोल्यूशन को सदन मंजूर कर ले। इन शब्दों के साथ मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने सदन के सम्मुख रख दिया।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मुझे खेद है कि इस संकल्प को उपस्थित करते समय मौर्य जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये थे उनको सुनने का अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ किन्तु कल्पना से ऐसा मैं समझ सकता हूं कि मौर्य जी ने इस संकल्प को उपस्थित करते हुये क्या कहा होगा। आज सदन में जो इसके पक्ष और विपक्ष में बातें कही जा रही हैं उनको भी मैं सुन रहा हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे ऐसे एक अनुभवी और पुराने पार्लियामेंटेरियन मौर्य जी जैसे व्यक्ति ने इस प्रकार का सेल्फ कंडेमनेशन, आत्मघात, निन्दा नहीं, का प्रस्ताव सदन के सामने कैसे प्रस्तुत किया! हमारा एक महान प्रयोग, जिसको हम बारम्बार इस सदन के प्रांगण में घोषित किया करते हैं कि हम एक महान प्रयोग कर रहे हैं। इस महान प्रयोग की आरम्भिक स्थिति में ही असफलताओं को यदि गिना जाय और उसके आधार पर हम कोई संकल्प सदन के सामने ले आयें तो इस प्रयोग के आधार के साथ और उसके सिद्धांत के साथ घोर अन्याय होगा। गांव सभायें, ग्राम समाज तथा न्याय पंचायतें, डैमोक्रेसी, लोकतंत्र के वह मार्ग हैं, जिनके द्वारा हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे लिये अभीष्ट हैं। हम जानते हैं कि आज पंचायतों में बहुत सी कमियां हैं, हम यह भी मानते हैं कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है किन्तु संशोधन की जगह उसको नेस्तनाबूद कर देने की बात दूरदर्शितापूर्ण नहीं है और हमारा ऐसा खयाल है कि मौर्य जी किसी आकस्मिक भावना से प्रेरित होकर इस संकल्प को लाये हैं। यदि वह यह प्रस्ताव लाते कि यह जो बड़ी-बड़ी अदालतें हाई कोर्ट से लेकर मुंसिफी तक या सेशन कोर्ट से लेकर एस० डी० ओज की कोर्ट्स तक को एबोलिश कर दिया जाय, तब तो मैं कुछ समझ सकता था क्योंकि जहां न्याय महंगा है, जहां अन्याय का न्याय और न्याय का अन्याय, ऐसे लोगों के द्वारा जो समाज के फालौवर्स हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज के चुने हुये इंटिलैक्चुअल्स हैं और उन कुर्सियों को सुशोभित करते हैं, और उन अदालतों के द्वारा जो मैं प्रहसन देख रहा हूं उसकी तुलना में मैं अशिक्षित पंचों को जो वह न्याय करते हैं, बधाई देता हूं उनका न्याय उनकी अपेक्षा कहीं अच्छा होता है। ठीक है कुछ जगह पक्षपात होता हो और वह भी उसी समाज के अंग हैं जो बड़े-बड़े न्यायालयों और उच्चालयों में बैठते हैं या दूसरे स्तर के जो लोग हैं। समाज का नैतिक स्तर जिस परिमाण में गिरा हुआ है और उठा हुआ है, उससे प्रत्येक सदस्य को तोला जाना चाहिये। हम जो एक महान प्रयोग कर रहे हैं, उसको सफल बनाने में, मौर्य जी जैसे व्यक्ति को अपना अनुभव प्रदान करना चाहिये और जो उनमें कमियां हैं, वह किस प्रकार दूर की जा सकती हैं, इस प्रकार के सुझाव देने चाहिये और मुझे आशा है कि हमारे न्याय मंत्री जी उनके सुझावों पर गौर करेंगे और विचार करेंगे और उनमें उचित संशोधन करेंगे।

अभी हमारे माननीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी न्याय पंचायतों की चुनाव प्रणाली के ऊपर कुछ कह रहे थे और मैं सुन रहा था। सरकार ने जो पिछले पंचायत ऐक्ट में संशोधन करके न्याय पंचायतों के सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था की है उससे अधिक अच्छी कोई व्यवस्था आज की स्थिति में हो नहीं सकती थी। गांव पंचायतों के इसमें निर्वाचित सदस्य भी हो जाते हैं और साथ-साथ जिन बातों से प्रेरित होकर मौर्य जी को शायद यह संकल्प लाना पड़ा है, वे बातें न हों सकें उन पंचायतों के द्वारा उसका परिमार्जन इस प्रणाली का अनुसरण करने से स्वाभाविक है और होगा। तो इसमें लोकतंत्र की भी रक्षा होती है कि पंचायत सदस्य गांव सभा के बहुमत या सर्वसम्मति द्वारा निर्वाचित हो चुके हैं और उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से जो न्याय पंचायतों में बैठने के अधिकारी हो सकते हैं, योग्य हैं, उसके लिये जो आवश्यक प्रसाधन है उससे वे इक्वप्ड हैं, वे उतने पढ़े लिखे हैं, जो देश की वर्तमान विधि व्यवस्था है उसको समझने का जिनमें माद्दा है, इस प्रकार के जो गांव पंचायतों के सदस्य हैं वे न्याय पंचायत के सदस्य के रूप में जब मनोनीत होंगे तो वे बातें जिनकी वजह से कहीं-कहीं पर ज्यादा भूलें हुईं भविष्य में नहीं होंगी।

वैसे जो पिछले वर्ष के आंकड़े हमारे सामने पेश किये गये थे उनको अगर हम देखें तो यह मालूम होगा कि ८५ फी सदी रिवीजन्स अपहोल्ड किये गये हैं, अर्थात् पंचायतों के जो फैसले हुये हैं उनका ऊपर की अदालतों ने अनुमोदन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी न्याय पंचायतों की कार्य प्रणाली सही ढंग से जा रही है। और क्यों नहीं जायगी जब वहां पर घटना और उसके फैक्ट्स जाने सुने होते हैं, समझे बूझे जाते हैं। अब बिल्कुल ही बेहया, बेशर्म कोई हो, संकोच को जिसने तिलांजलि दे रखी हो इस प्रकार के पंच से भले ही यह आशा की जाय कि वह उन सारे तथ्यों की उपेक्षा करके कोई गलत फैसला दे देवे वरना मेरा अपना यह अनुभव है, हम अपने क्षेत्र की बात जानते हैं कि अधिकांश न्याय पंचायतों में इस बात का प्रयास किया गया है कि दोनों दलों को बैठाकर समझौता करा दिया जाय। और न्याय पंचायतों का उद्देश्य असल में यह नहीं है कि मुकदमेबाजी बढ़े बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि जहां तक हो सके दोनों पार्टियों को समझा बुझाकर तथ्यों से ठीक-ठीक परिचित होने के कारण सत्य को असत्य का रूप या असत्य को सत्य का रूप देने का अवसर नहीं मिल सकता है, इसलिये उनको समझा बुझाकर उनमें आपस में समझौता करा दिया जाय और वह झगड़ा जो आगे चल कर हाईकोर्ट तक या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था वह पहले ही स्तर पर समाप्त हो जाता है। और हमारी इसकी जो गणना है उससे यह स्पष्ट है कि पंचायतों ने बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। इसके अलावा हमने जो एक प्रयोग किया है, अभी इन पंचायतों को स्थापित हुये आठवां वर्ष चल रहा है, इतने दिनों से जो एक न्याय की प्रणाली, करीब सौ वर्ष हो गये अंग्रेजों के जमाने से शुरू की गयी थी। धीरे-धीरे वह कितनी विकृत होती चली जा रही है उसके शोधन के लिये कोई प्रयास नहीं किया जाता क्योंकि इस बात का प्रयास करने वाले, मुझे माफ किया जाय हमारे मंत्री महोदय भी उसी वर्ग से आते हैं और भी सदस्य आते हैं। मेरा लक्ष्य है वकील वर्ग से, यह वर्ग इन न्याय

[श्री देवदत्त मिश्र]

पंचायतों को फूटी आंखों से नहीं देख सकता और अभी जो यू० पी० लाइअर्स कान्फ्रेंस हुई उसके वार्षिक अधिवेशन में भी इन पंचायतों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया इसके पहले भी पास किया गया। हमारा खयाल है शायद मौर्य जी को इस कांफ्रेन्स से कुछ प्रेरणा मिली हो और इसलिये उन्होंने यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया हो। (सदन में आवाजें---"यह आक्षेप है।") (एक सदस्य---वकील का दिमाग तो छुटता नहीं।) नहीं छुटता और न छुटना चाहिये लेकिन वह सत्य के पक्ष में ही आना चाहिये, दिमाग तो आप जिस तरफ चाहें लगा सकते हैं, वह न्याय के और सत्य के पक्ष में लगना चाहिये। आज जो अदालतों में भ्रष्टाचार का स्वरूप है उसके जनक आज वे ही लोग हैं जिनके पीछे एल० एल० बी० या बार ऐट ला का पुछल्ला लगा होता है और वे ही आज इन पंचायतों के विरोधी हैं।

एक और वर्ग है जिनको इन पंचायतों से विरोध है और पता नहीं क्यों है, और वह है हमारा सरकारी अहलकार या एस० डी० ओज०, डी० एम्स० और कुछ कुछ पुलिसवाले भी हैं, इनको भी पंचायतों से विरोध है और वह इसलिये है कि ३२३ के जो मुकदमे हैं वह पंचायतों में चले जाते हैं और वहां पर निपट जाते हैं तो पुलिस वालों को ३२३, ३२५ या ३०७ बनाने का मौका नहीं मिलता। इसलिये पुलिस की तरफ से भी इन पंचायतों का बड़े चतुर ढंग में विरोध होता है। हमें आश्चर्य है कि हमारे विधायक भी कैसे अपने को इस विसियस सर्किल (vicious circle) में ले आते हैं। ये विसियस सर्किल (vicious circle) उन लोगों का है जो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी का प्रयोग सफल हो सके, जो चाहते हैं कि येनकेन प्रकारेण जो पावर्स हैं जिनको पंचायतों के द्वारा डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है उसको जो सत्ताधारी वर्ग है वह चाहता है कि उनको अपनी मुट्ठी में रखे, लेकिन इस विधान मंडल का यह कर्तव्य है कि उसको देखना चाहिये कि जो लोकतन्त्र के प्रयोग के मार्ग हैं उनको जो स्वार्थवाली शक्तियां हैं वह अवरुद्ध न कर सकें। मैं मौर्य जी से इसलिये एक बार फिर उनके विवेक से उनकी जनभावना की अपील करूंगा कि वे अपने इस संकल्प को वापस ले करके, जो हमारा यह लोकतंत्र का महान् प्रयोग है और जिसकी गांव पंचायत, न्याय पंचायत, गांव समाज और गांव सभायें महान् अंग हैं उनको सबल बनाने में वे अपनी शक्ति का उपयोग करें।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी को शायद अपने क्षेत्र, अपने गांव की कठिन इयों को देखकर प्रेरणा मिली और इसीलिये वह इस संकल्प को यहां लाये हैं। परन्तु मान्यवर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा दोष नहीं है। हम एक ट्रांजीशनल पीरियड में चल रहे हैं। हम एक नया एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। यह पूज्य बापू की देन है और उनका आदेश है कि हम अपने देश में पंचायत राज की स्थापना करें। हमारा देश पूर्णतः पंचायतराज पर चलने वाला देश रहा है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मौर्यकालीन भारत में भी हमारे देश में पंचायत राज था और आज भी है। पिछले चुनाव के बाद जब हमने यह नवीन चुनाव किये तो हमने देखा कि जो बहुत से गुन्डे पहले चुन लिये गये थे वह छांट दिये गये, उनको निकाल दिया गया। जरूरत इस बात की है कि हम जरा सतर्क रहें। मैंने खुद अपने क्षेत्र में देखा कि एक पार्टी ने एक तरफ वोट दिया और दूसरी पार्टी ने उस आदमी को मार गिराया। मारपीट होती है, करप्शन है, कुछ गरीबों को न्याय नहीं मिलता, यह बिल्कुल सही है और उसका कारण यह है कि इसके चुनाव का जो विधान है, वह गलत है। आज

जनता कहती है कि जैसे पार्लियामेंट या असेम्बली का चुनाव होता है ठीक वैसे ही गांव-सभा और गांव समाज का और अदालती पंचायतों का चुनाव किया जाय। बैलेट सिस्टम से अगर वहां का चुनाव होने लगे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाय। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जितना इंटरेस्ट असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने नहीं लिया उससे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लोगों ने लिया है, और मुझे खुशी है कि हमारे गांव वाले आज डेमोक्रेसी को सही मानों में समझने लगे हैं और एक-एक गांव का आदमी समझता है कि हमारा अधिकार क्या है। यह बड़ी भारी देन है कांग्रेस की, नेताओं की और उन लोगों की जिन्होंने कांस्टीटचूयेन्ट असेम्बली में बैठ कर भारत का विधान बनाया और प्रजा को अवसर दिया कि हर आदमी वोटर हो सके।

मैं मौर्य जी से अपील करना चाहता हूं कि हमको अधीर नहीं होना चाहिये। इतनी मुसीबतों के बाद भी आज हम कंधा टेके हुए हैं। मैं भी गरीब घर से आया हूं। यह देहात के गरीब आज समझते हैं कि हम जिसे चाहें चुन सकते हैं। आज गांव से गरीब भी चुन कर आ रहा है। पंचायत राज अनुचित नहीं है, यह मुनासिब है। हमने अपने गांवों में देखा है कि वहां पंचायत है, अदालती पंचायत है। उन अदालती पंचायतों में जितने मामले आये उनमें से ५० फीसदी तो सुलह कर के फैसल कर दिये गये। इससे फायदा यह हुआ कि अदालत में जाने से उनकी बचत हुई और बाकी का जो फैसला हुआ उससे जनता में संतोष है। मेरे मित्र पंडित जी ने अभी बताया कि पुलिस वाले और दूसरे वर्ग के लोग इसकी नुक्ताचीनी किया करते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी नुक्ताचीनी इसलिये होती है कि उनके रास्ते में इसकी वजह से रुकावट होती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। हमारे यहां गांव में एक केस मारपीट का रात को १२ बजे मैंने थाने में भेजा, तो वहां सबेरे रिपोर्ट लिखी गई और सदर से दूसरे दिन वह बेचारे अपने घर आ सके। तो नेक काम में बाधा पड़ती ही है, सुन्दर काम में बाधा पड़ती है। आज इससे गरीबों को अधिकार मिल रहा है, गांव जाग रहा है और इस समय जो गुलामी की जंजीरें हमारे कंधों पर थीं वह कट रही हैं। जो आतंक और बर्बरता हमारे देश में अब तक थी वह अब मटियामेट हो रही है, उसका सर्वनाश हो रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यह किया, लेकिन मैं अपने मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन इन्स्पेक्टरों को और पंचायतों के सेक्रेटरियों को हटा कर दूर करें और एक ऐसा नया अफसर मुकर्रर किया जाय इनकी जगह पर कि जो पूरी एक तहसील में दौरा करके देखे और जगह-जगह जाकर खुद मुआयना करे। यह अफसर गजटेड रैंक का होना चाहिये। यह जो छोटे-छोटे इंस्पेक्टर हैं, ७५, १०० रुपया पाने वाले, यह बड़ी गड़बड़ी करते हैं और यही डोमिनेट करते हैं पंचायत-राज के काम को। सभापति एक तरह से यही बन बैठे हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र ही इस करप्शन को दूर करने की कोशिश करें।

पंचायत राज नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं है। सरकारी अधिकारियों में गड़बड़ी है उनको ठीक करना है। अगर उनको ठीक नहीं किया गया तो आपका यह बना हुआ सुन्दर कानून मिट्टी हो जायगा और आपके खिलाफ वहां की जनता हो जायगी। जनता आवाज उठाती है कि उनको पंचायत से तकलीफ है तो उनकी तकलीफ को ठीक तरह से समझा जाय। वह भी इसको धीरे-धीरे समझेंगे। मैं मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि वह धीरज धरें "धीरज धरहिं सो उतरहिं पारा" तो वह लोग सब हमारे साथ होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब इस देश के इस चुनाव के बाद हमारे गांव का एक-एक आदमी ठीक हो जायगा। सरकार से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के लिए जो-जो किताबें आप भेजते हों वह सरल हिन्दी में होनी चाहिये ताकि उसको पढ़ने की वहां पर कोशिश की जाय और उनको कुछ ज्ञान हो कि हमारे लिये क्या हो रहा है। हमारे कानूनों को बहुत सिम्पुल भाषा में लिखा जाय जिसको गांव वाले

[श्री शिवनारायण]

समझ सकें। उसका परिणाम यह होगा कि कांग्रेस ने जो प्रतिज्ञा की है कि हमारे लिये न्याय पंचायत का सरपंच और चीफ जस्टिस दोनों बराबर हैं। हमारी पंचायतों ने जो फैसले किये हैं उनकी तारीफ हाई कोर्ट के जजों ने की है और कहा है कि अदालती पंचायतों ने ठीक फैसला किया है और गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों ने सही फैसला किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कलेक्टर से जो कहा गया है कि एम० एल० ए० और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लेकर चुनाव कर दें इससे काफी दिक्कत हो रही है और गड़बड़ी हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसको देख कर डाइरेक्ट एलेक्शन कर दिया जाय। गांव का सभापति जो चुना जाय, गांव के जो मेम्बर हों वही उसका चुनाव कर दें, वह घपला नहीं करेंगे। पटवारी जो भी गड़बड़ी करता है वह भी नहीं होगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह तमाम खराबी दूर की जाय। अगर आप इस खराबी को दूर नहीं करेंगे तो यह काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को इस बात का दुःख है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है लेकिन उनके साथ सरकार को सचेत होना चाहिये और सोचना चाहिये कि आखिर यह प्रस्ताव आया क्यों। मौर्य जी हमारे खिलाफ नहीं हैं लेकिन एक बात उनके मस्तिष्क में आयी तो उसको उन्होंने यहां पर रख दिया। हर एक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने विचारों को यहां रखे। कौन सी कमी है इस कानून के अन्दर, उसको देख कर सरकार को सचेत रहना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप सही मानों में पंचायत राज को फैलाना चाहते हैं और इस देश में रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो गांवों को आप शिक्षित बनाइये और गांवों में ठीक तरह से लोगों का संगठन किया जाय, अच्छी-अच्छी बातें उनको बतलाई जायं जिससे उनको सहूलियत हो.....।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं क्योंकि पंचायतराज जब यहां पर कायम हो रहा था उस समय आप ही उस विभाग के मंत्री थे। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे हमारा प्रान्त अच्छी तरह से फूले फले। जिनको न्याय नहीं मिलता है उनको सुलभ और सस्ता न्याय मिले। हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी अदालतों के लिये तीन-तीन बार यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने वर्षों से मुकदमें जौनपुर जिले की अदालत में लटक रहे हैं तो उन मुकदमों में ज्यादा सफलता प्राप्त हो। न्याय उनको मिल जाता है और उनको पैसे का कोई नुकसान नहीं होता। मैं चाहता हूं कि गांव में न्याय देने के लिये सरकार सतर्क रहे। सस्ता न्याय मिले, यही सबसे उत्तम है। चौथाई पैसे में गांव में लोगों का काम चल जाता है। खेत में काम करने के बाद तीन बजे वह अपने मुकदमे में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार पंचायतों के इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों को हटा कर एक मुनासिब गजटेड आफिसर रक्खे जो अचानक पहुंच कर मुआयना करे और सुझाव दे। वह तत्काल मुकदमों का फैसला कर दे बजाय इसके कि डिप्टी के यहां रोजाना रिवीजन हो या हाई कोर्ट में जायें। इससे गांव वालों को सुख और शांति मिलेगी और राम राज्य की हमारी कल्पना सफल होगी। इन शब्दों के साथ में पुनः अपने मित्र मौर्य जी से कहूंगा कि वह इसे वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष--बलदेवसिंह जी ने कहा था कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री बलदेवसिंह--मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--अच्छा आप उसे प्रेस नहीं करते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प काफी महत्वपूर्ण है, इसमें शंका नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हुआ इस संकल्प को पढ़कर कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मौर्य जी को इसे उपस्थित करना पड़ा। उन्होंने इस संकल्प में लिखा है कि न्याय पंचायतों से गांवों की दशा में सुधार होने की अपेक्षा हानि अधिक हुयी है और अनावश्यक रूप से मुकदमे में वृद्धि हुयी है। तो यह कारण मौर्य जी बतलाते हैं कि अनावश्यक रीति से गांव में मुकदमेबाजी बढ़ रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब तक न्याय पंचायतें गांवों में नहीं थीं, गरीब लोग या जो हेड क्वार्टर पर पैसा न होने के कारण नहीं जा सकते थे, उनको मौका पंचायतों के बनने के बाद मिला है कि वह अपनी शिकायतें इन न्याय पंचायतों के सामने रख सकें। साधनहीन गांव वालों को मौका है कि वह अपने मुकदमों को एक अदालत के सामने रख सकें। तो यह एक अच्छी बात हुयी है कि न्याय पंचायतों का संगठन किया गया है।

दूसरी बात मौर्य जी कहते हैं कि अनावश्यक रीति से मुकदमे बढ़ रहे हैं और जो उसमें अन्याय होता है उससे लोग क्षुब्ध हैं क्योंकि उन अदालतों के द्वारा जब अन्याय होगा तभी कोई क्षुब्ध हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प से यह बात प्रकट होती है कि वहां कुछ अन्याय जरूर होता है। मौर्य जी जैसे एक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा इस संकल्प का लाया जाना कुछ प्रतिक्रियावादी और गलत सा कदम है लेकिन उनकी योग्यता और सच्चाई पर मेरी इन चार पांच वर्षों में बहुत श्रद्धा हुई है। मैंने गहनता से सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वास्तव में इन न्याय पंचायतों के द्वारा गांव के गरीब लोगों को, जिनको हम समाज का बीकर सेक्शन कह सकते हैं, न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। मैंने खुद भी अनुभव किया है कि आज भी पिछड़े हुए या गरीब लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इससे मेरा अर्थ यह नहीं है कि हर गांव में या हर न्याय पंचायत के द्वारा अन्याय ही हुआ करता है या बीकर सेक्शन के साथ सब लोग ज्यादती ही करते हैं। लेकिन आमतौर से उस सेक्शन के साथ न्याय नहीं हो पाता है, यह बात सही है। इसी भावना से प्रेरित होकर मौर्य जी ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेप इस संकल्प के द्वारा यहां रक्खा है। मैं उसकी कद्र करता हूं और उसकी सच्चाई को भी मानता हूं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि उसे सरल बनाने की सूरत क्या है ताकि हम गरीब लोगों को न्याय दिला सकें। यदि हम इन न्याय पंचायतों को हटा देते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या तहसीलदार की या आनरेरी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से उनको न्याय सस्ता तथा सुलभता से मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश ने न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को कायम करके एक बड़ा जबरदस्त रास्ता भारतवर्ष को दिखलाया है। हम सचमुच गौरवान्वित होते हैं जब हम देखते हैं कि इस मामले में हम पायोनियर हैं। जिस प्रकार हम जमींदारी उन्मूलन से गौरव प्राप्त करते हैं उसी प्रकार एक बड़ा भारी कदम यह ग्राम पंचायत का ऐक्ट है। हमने यह परिपाटी इसी दृष्टि से कायम की थी कि न्याय-पंचायतों के द्वारा गांव में न्याय सुलभ हो सके और बिना ज्यादा पैसा खर्च हुए और अधिक दौड़ धूप किये बिना न्याय पाने में लोग समर्थ हो सकें, और यह भी सोचा था कि गांव में लोगों के सामने सही बात आ सकती है। आज भी हम इन कारणों को सही समझते हैं। इस परिपाटी को हमने बहुत सोच समझ कर कायम किया है। क्या इसके हटाने से हमारा बीकर सेक्शन न्याय पा सकेगा? मेरा निवेदन है कि उस सूरत में हम बीकर सेक्शन को और भी न्याय नहीं दे सकेंगे आज तो जहां सद्भावना है, जहां भेदभाव धीरे-धीरे मिटता जा रहा है, वहां हम न्याय दे सकने में समर्थ हो रहे हैं। तो इस प्रयोग के बारे में इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको छोड़ दें।

सवाल यह आता है कि न्याय पंचों की चुनाव पद्धति कैसी हो यानी जुडीशियरी एलेक्टेड होनी चाहिये या नहीं। यह एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है। मैं माननीय सदस्यों से यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब एक या दो वर्ष पहले ग्राम पंचायतों के बारे में एक संशोधन विधेयक यहां उपस्थित हुआ था और जब कि न्याय पंचों के चुनाव की प्रणाली का विषय यहां

[श्री तेजप्रतापसिंह]

उपस्थित था, तब मैंने और अन्य योग्य मित्रों ने भी यह बात रखी थी कि आप जो आज न्याय पंचायत के चुनाव की प्रणाली तब्दील करने जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। उस वक्त माननीय मंत्री जी ने यह तर्क उपस्थित किया था कि सारे संसार में जुडीशियरी इलेक्टेड नहीं है और उसका कारण उन्होंने बतलाया था कि अगर जुडीशियल आदमी इलेक्टेड होंगे तो न्याय पक्षपात रहित नहीं हो सकेगा, हमारा न्याय पंचायतें न्याय नहीं कर सकेंगी। जब हम विलेज रिपब्लिक कायम कर रहे हैं, न्याय पंचायतों को कायम कर रहे हैं तो दूसरी पद्धति इलेक्शन के अलावा और क्या हो सकती है, यह प्रश्न उठता है। जबकि हम मान लेते हैं कि इलेक्टेड जुडीशियरी नहीं होनी चाहिये, तो प्रश्न यह उठता है कि समाज के सामने दूसरी पद्धति क्या होगी। अब आप देखेंगे कि जब यह संशोधन विधेयक उपस्थित हुआ था, और इसकी चर्चा चल रही थी न्याय पंचायतों के चुनाव की तो मैंने शंका उपस्थित की थी कि आपने जिस पद्धति का अब अनुसरण किया है या इस विधेयक में जिसको रखने की कोशिश की है उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। और उस समय हमने यह कारण भी सामने रखा था कि जब न्याय पंच नामिनेटेड होंगे एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा तो लाजिमी है, जैसी कि लोगों की आकांक्षा होती है न्याय पंच बनने की, लोगों की आकांक्षा होती है आगे बढ़ने की और जब नामिनेशन द्वारा उनका मनोनयन होगा, उनका चुनाव होगा तो लोग येन-केन प्रकारेण कोशिश करेंगे और न करने योग्य काम भी वे करेंगे। डी० एम० के यहां दौड़ेंगे या जो डी०एम० के यहां तक उनकी बात पहुंचा सकते होंगे उन तक कोशिश करेंगे और इस तरह से जो अनैतिकता समाज में पैदा होगी क्या वह घातक नहीं होगी ?

क्या यह जरूरी नहीं है कि न्याय पंचायतें इस अनैतिकता से बचें ? लोग चापलूसी करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ऐसे गलत कदम भी उठायेंगे जो समाज के लिये हानिकर हो सकते हैं। यह आशंका हमने उपस्थित की थी और उस समय उसका उत्तर नहीं दिया गया था। कम से कम मैं कन्विन्स नहीं हो सका था कि मनोनयन न्याय पंचों का इस प्रकार हो और अब हमने इस बात को देखा और इसका अनुभव भी किया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मित्र श्री सुल्तान आलम साहब ने कहा था कि हमको बहुत सी गलत चीजें और गन्दे ढंग की बातें देखने को मिलीं जबकि न्याय पंचायतों के चुनाव की बातें हमारे सामने थीं। यह बात बिलकुल सही है, तो हमारी वह आशंका हमारे सामने प्रतिफलित हुयी, वह हमारे सामने आयी। तो इस तरीके से समाज में अनैतिकता बढ़ती है और जो योग्यता बढ़ती है और जो योग्यता न्याय पंचों की होनी चाहिये कि वे निष्पक्ष हों, सही बातें कहने से डरते नहीं कि यह इस प्रणाली के द्वारा नहीं हो सकता। जब इस तरह से नहीं हो पाता है तो उसका आधार बड़ा गलत सिद्ध हो जाता है। जब वे चापलूसी करके गलत ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा संदेह होता है कि एक कलेक्टर जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगा वह गांव के पंचों का चुनाव सही ढंग से कैसे कर सकता है और इस बात को निश्चित कैसे कर सकता है कि गांव का कौन आदमी निष्पक्ष ढंग का है, कौन ऐसा है जो निडर है और सही बात कह सकता है ? कौन ऐसा है जो डंडे पर भरोसा करने वालों के प्रभाव से अपने को अलग रख सकता है, ऐसे आदमी की तलाश वह कैसे कर सकता है ? और इस आशंका को जब हम सामने रखते हुए आज के अनुभव को देखते हैं तो हम अपनी उस आशंका और संदेह को सही पाते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि एस० डी०एम० को अथारिटी दी गयी है न्याय पंचों के चुनाव करने के लिये कि वह ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ५ नाम कलेक्टर के यहां भेजे। हमें अनुभव हुआ कि बहुत सी गांव सभाओं ने, जो योग्य व्यक्ति थे उनको ठीक तौर से नहीं छांटा और नतीजा यह हुआ कि उन का नाम कलेक्टर के यहां नहीं भेजा गया। जब ५ आदमियों के नाम ही सही नहीं भेजे गये तो कलेक्टर कैसे सही चुनाव कर सकते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि एस०डी० एम० ने कोई गलती की या उन्होंने जानबूझकर अच्छे आदमियों को नहीं भेजा लेकिन अगर सही आदमी नहीं आ सके तो हमें विचार करना चाहिये कि हम किस तरह से अच्छे लोगों को ला सकते हैं। मैं समझता हूं यह अनुभव मेरा ही नहीं, अन्य सदस्यों को भी इसका अनुभव हुआ होगा क्योंकि एस०डी०एम० को भी लेखपालों और सेक्रेटरियों का आधार लेना पड़ा, लेखपाल छांट कर

नामों को दे और सेक्रेटरी उपयुक्त आदमियों के नामों को छांटकर एस०डी०एम० को दे तो एस० डी० एम० के लिये स्वयं कहां तक सम्भव हो सकता है कि वह सब आदमियों की छानबीन करके नाम रखे। वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह १५ या ३० जो भी सारे पंच हों उनमें से अच्छे आदमी छांट सके और पहचान सके कि कौन आदमी न्याय कर सकते हैं, तो वह ऐसी पोजीशन में नहीं है, उसको तो पटवारी और सेक्रेटरी पर ही काफी रिलाई करना पड़ेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि न्याय पंचों के छांटने में बड़ी भारी भूल हुयी है। न्याय पंचों के मनोनयन की जो पद्धति है वह बहुत डिफेक्टिव है और उसके द्वारा जो पंच आयेंगे वह न्याय देने में असमर्थ होंगे।

इन न्याय पंचायतों का मकसद यही है कि हमारी यह संस्थायें पक्षपात से रहित हों, वह पंच कुछ हद तक निडर हों, सही बात कह सकते हों, ऐसे लोगों की वहां आवश्यकता है। उन को चुनने के लिये हमारी पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि जिस के द्वारा हम निष्पक्ष और निडर लोगों को ला सकें। तो मैंने यह सिद्ध किया कि जो हमारी आज की पद्धति है वह डिफेक्टिव है और उसके जरिये से सही व्यक्तियों को लाना कठिन है। अब प्रश्न यह है कि वह तरीका क्या हो? हम एलेक्टिव भी नहीं रखते, एलेक्शन का तरीका भी नहीं चाहते और नामिनेशन की पद्धति की भी हम मुखालिफत करते हैं तो फिर और कौन सी पद्धति रखी जाय? मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि बहुत सोच विचार के साथ जो पद्धति पहले रखी गयी थी और जिस को सर्वोत्तम समझा गया था उसी को हमें फिर अपनाना चाहिये। क्योंकि डेमोक्रेसी में भूल तो हो सकती है जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गांव सभाओं में या पंचायतों में हुयी और जिन का बहुमत हुआ उनके अनुकूल चुनाव हो गये। माना कि गलत आदमी आये लेकिन चाहे वह असेम्बली का चुनाव हो या पंचायतों का हो हमें अपनी भूल समझने का मौका तो मिला, हमें कहना चाहिये कि डिफेक्टिव आदमियों को एक बार तुमने चुना तो तुम उसके भुक्तभोगी बने और सही पंच नहीं चुने गये, उन्होंने घपला किया, गलत फैसले किये। इसलिये अब उन को मौका देना चाहिये और कहना चाहिये कि अब की बार फिर तुमको मौका दिया गया है, तुम सही आदमियों को लाना सीखो और अगर आप उनको यह अधिकार नहीं देते हैं तो वे कैसे भूल सुधारना सीखेंगे। यह नामिनेशन की पद्धति तो बहुत ही गलत है। इससे हम अपने देहात के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते और गरीब या कमजोर लोगों का उस से फायदा नहीं हो सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मौर्य जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और जो मैंने सुझाव दिया है उसको सरकार स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष---श्री चन्द्रसिंह रावत।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब तो मैं उन का नाम पुकार चुका। अभी तो वह बोलेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने इस संकल्प को इस सदन में पेश कर के सदन के माननीय सदस्यों को एक मौका दिया है कि वह इस मसले पर विचार कर सकें। समय आ गया है जबकि पंचायतों की वर्किंग देखकर हमें पता चला है कि पंचायत में बड़ी-बड़ी खामियां और बड़ी-बड़ी कमियां हैं। सबसे पहली कमी जो कि हमें दिखायी देती है अगर कानून के दौर में उसी प्रकार हमारे मुकदमे न्याय अदालतों में उन गांवों की पंचायतों के द्वारा किया जाता है जिस प्रकार कि ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस में जो सिस्टम कानून का है---वह कानून की पद्धति और उसका प्रोसीजर आफ ला जो है अगर उसी के मुताबिक जस्टिस होना है तो निश्चय ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आया हम लोगों को इस प्रकार की न्याय की अदालतें देहात में बे लिखे, बे पढ़े लोगों के हाथ में न्याय की व्यवस्था देना है या नहीं। अगर उनको यह काम सुपुर्द करना है तो कहां तक कानून जायज है और कहां तक हमारी इसमें बुद्धिमता है? मैं तो यह समझता हूं कि हमारे भारतवर्ष में न्याय पंचायतें

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यह कोई नया एक्सपेरीमेंट नहीं है। ये सदियों से हमारे देश के अन्दर यह न्याय की इकाइयां दूर दराज देहातों में काम करती चली आती रही हैं। परन्तु ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस के हिन्दुस्तान में इंट्रोडक्शन और उसके फैलाव हो जाने के फलस्वरूप हमारे गांवों में न्याय की ये इकाइयां निष्प्राण हो चली थीं, परन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस परम्परा से हमारी न्याय पंचायतें गांवों में काम करती थीं, ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस के चक्कर से बहुत ही दूर वे काम करती थीं और उससे इन पंचायतों को बहुत ही सफलता मिलती थी। मैं यह चाहता हूं कि अगर हमारा प्रोसीजर और हमारा कानून—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड—वही धारायें, वही गवाह सबूत, वही अदालतों का एग्जामिनेशन, वही अदालत का तौर तरीका इन पंचायतों पर भी डालना है तो यह आवश्यक है कि हमें इस प्रकार के पंचों की आवश्यकता है जो कि पढ़े-लिखे हों, जिनके अन्दर उन बातों को उस कानून के मुताबिक समझने की कैपेसिटी हो, उन्हें ही अदालती पंच व सरपंच बनाया जाना चाहिये। परन्तु जब कि हम न्याय को सस्ता बनाना चाहते हैं, सही बनाना चाहते हैं, गांवों के लोगों को सब्स्टेंशियल जस्टिस देना चाहते हैं तो यह हमारी बड़ी भारी भूल थी कि हमने उनको ला आफ प्रोसीजर के चक्कर में जकड़ दिया और जितनी गलतियां हमारी पंचायतें करती हैं, उसके कारण फिर भी उनको अदालतों की शरण हाई कोर्ट तक रिवीजन में लेनी पड़ती है जिससे उनके पैसों का अपव्यय उसी प्रकार जारी है जिस प्रकार की गुजिश्ता जमाने में हुआ करता था। मैं तो यह समझता था कि हमारी न्याय की पंचायतों के लिये कोई भी ला आफ प्रोसीजर नहीं बनाया जाना चाहिये था। हमारे मुल्क के बुद्धिजीवी लोगों को इस पर सोचना चाहिये था।

मेरी तो यह निश्चित राय है कि पढ़े-लिखे लोगों के हवाले न्याय को करना, सब्स्टेंशियल जस्टिस को करना यह खतरे से खाली नहीं है। पढ़े-लिखे लोग न्याय में ज्यादा बंगलिंग करते हैं, ज्यादा घूसखोरी करते हैं, अधिक पक्षपात करते हैं और बे पढ़े लिखे लोग फिर भी सद्भावना और सच्चे विचार रखते हैं और वे लोग सीधे व सादे हुआ करते हैं। तो अगर कानून के चक्कर से दूर रख कर यह न्याय पंचायतें बनाई जायं तो ज्यादा अच्छा होता। हर आदमी—एक तरकारी बेचने वाला भी, यह जानता है अगर कोई जुर्म करता है —ताजीरात हिन्द और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसने न देखा हो वह भी यह जानता है कि अगर उसने खेती को नष्ट किया या जानवरों से उसने चरवाया तो उसने जुर्म किया। मैं यह चाहता हूं कि यह ला आफ प्रोसीजर का जो कानून का चक्कर है हमको उस न्याय पंचायतों को उस चक्कर से ऊपर निकाल कर सब्सटेंशियल जस्टिस ही उनके द्वारा मिलनी चाहिये। उसके कारण गांव के रहने वालों को पूरा-पूरी सूचना, पूरी-पूरी सब बातें मालूम होते हुये भी, कानून के पचड़े में जाकर वह उस रट से बाहर नहीं निकल पाते। उसमें बंग्लिंग होनी अनिवार्य है, जबकि हम कानून की शक्ल उसी प्रकार की रखते हैं जिस प्रकार की अदालतों में होती है। यह भी हमारी महान् भूल होगी कि अगर उसी कानून के मातहत गांवों की पंचायतें फैसला करें। तो भाई, जो अदालतें आलरेडी मौजूद हैं, जिन अदालतों में बहुत कम मुकदमें रखे गये हैं, उन्हीं अदालतों में वह मुकदमें क्यों नहीं फैसल किये जाते? जो मेरे भाइयों ने, यू० पी० लाइयर्स कानफ्रेंस हुयी थी उसमें इस प्रकार प्रस्ताव रखा कि न्याय पंचायतें तोड़ दी जानी चाहिये इसमें कोई सेंस है। यह कानून जैसा है उसी के मुताबिक अगर हमारे बे पढ़े—लिखे पंच और सरपंच कार्यवाही करें, जिस प्रकार हमारी अदालतें करती हैं, एस० डी० एस० और तहसीलदार, नायब तहसीलदलदार करते हैं जिनको क्रिमिनल केसेज को ट्राई करने का अधिकार है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई सेंस नहीं है कि उस कानून की कार्यवाही को बे पढ़े-लिखों के हवाले कर दिया जाय।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जाय जबकि हम भारतवर्ष में समझते हैं कि जो हमारा नागरिक है एलेक्टर है वह हमारे भारतवर्ष की सरकार जो दिल्ली में पदासीन है उसे पदासीन करने के लिए उसके अन्दर तमीज और तहजीब है कि वह सही लोगों को चुनकर भेजे। और वह सरकार बना सकता है जब हम यह प्रिज्यूम करते हैं, जब

हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे यू० पी० असेम्बली के इन सदस्यों को दाखिल करने के लिये हमारे गांव का बे पढ़ा लिखा भाई जो एलेक्टर है वह इतना सतर्क है, वह इतना समझदार है कि यू० पी० सरकार को बनाने में अपना पूरा-पूरा सक्रिय सहयोग देकर यू० पी० को सरकार बनाने के लिये वह काम्पीटेंट है तो इस बात को कंसीडर करने में कौन ऐसे तर्क हैं जिनसे हमारा विश्वास उन गांव के भाइयों से उठ जाता है। जबकि हम गांवों को स्वायत्त शासन की इकाइयों का इलेक्शन करते हैं, वहां हम समझते हैं कि गांवों के भाई अपनी इन छोटी इकाइयों के निर्माण करने के लिये अयोग्य हैं। जो लोग सेंटर को गवर्नमेंट और प्रान्त की सरकार को बनाने के लिये तो काम्पीटेंट हैं लेकिन उन छोटी इकाइयों के बनाने में हम उन पर अविश्वास करते हैं, यह तो एक फडामेंटल प्रिंसिपुल की बात है, परन्तु इससे आगे बढ़कर मैं तर्क की दुनियां में जाकर यह बताना चाहता हूं कि ये गाँव के लोग अगर अपना ही चुनाव करें जैसा कि पहले रखा गया था, वह पंचों और सरपंचों को चुनते तो जो कोई भी खराबियां थीं वह खराबियां उनके मत्थे मढ़ा जा सकता थीं। यह कहा जा सकता था कि आप लोगों ने जिस प्रकार पंच और सरपंचों को चुना उसी प्रकार का यह न्याय आपको मिला। भविष्य में अगर आप सतर्कता से काम लेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंसाफ और न्याय इन पंचायती अदालतों से मिल सकता है। परन्तु हमने इन बातों को उस वक्त महसूस नहीं किया। इस सदन में ये तर्क उपस्थित किये गये। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एक महीने की जो छुट्टी पहले हुयी थी यू० पी० असेम्बली से, जब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में गया तो न पूछिये लोगों के अन्दर इतनी सरगर्मी इन पंच और सरपंचों के नियत किये जाने पर थी कि किसी भी भाई ने मुझसे न तो पानी की बाबत, न रास्ते की बाबत, न पुल की बाबत, न विकास की बाबत और न दूसरी चीजों की बाबत जिससे उनकी तरक्की हो सकती है, उनकी भलाई हो सकती है, उनके दुख दर्द दूर हो सकते हैं, किसी ने भी एक भी प्रश्न उस कांस्टीट्युएन्सी में, मैंने जो भ्रमण किया इसके मुताल्लिक नहीं पूछा। हर भाई जो कोई मुझे रास्ते में मिलता था या गांव में, या दूकान में, या स्कूल में हर कोई यह कहता था कि पंचों का चुनाव कब हो रहा है, कौन-कौन पंच चुने जा रहे हैं? इससे मुझे यह पता चला है केवल ऐसी बात हमारे पहाड़ के प्रान्तों में ही नहीं बल्कि सर्वत्र यू० पी० के कोने-कोने में और गांव-गांव में यही हालत है और हमारी ये पंचायतें घूसखोरी का गढ़ बनती चली जा रही हैं।

मैंने देखा कि जब पंच और सरपंचों के चुनाव की बातें हेडक्वार्टर में होने लगीं तो गांव के वही पुराने लोग जो पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार और डिप्टियों के साथी थे जो कि जब दौरे हुआ करते थे उनका सम्मान करते थे, और उस लूट-खसोट में जो कि हिस्सेदार हुआ करते थे वह उनका तांता हेडक्वार्टर में लगते हुये देखा और वही पुरानी बातें, सिफारिशें, वही घी के कनस्टरों और वही और बातें अगर फिर से चालू हो जायं तो मैं समझता हूं कि उससे तो हमारा कोई हित नहीं होने जा रहा है। मेरे कहने का मकसद यह नहीं है कि पंचायतें जो कि हमने लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये, वह कम्बरसम प्रोसेस जो कि कोर्ट में होता है, उससे बचाने की जो हमारी नीयत थी, हम अपनी उस नीयत को पूरा नहीं कर पाये। हमारा मकसद था उस कानून के पचड़े से, उस दुश्चक्र से इन पंचायतों को दूर रखा जाय, परन्तु हमने एक गलत बात की कि हमने प्रोसीजर को उन लोगों के हवाले किया। मैं यह चाहता हूं कि इन पंचायतों के कानून में आवश्यक परिवर्तन होने बहुत जरूरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि वहां घूसखोरी न हो, अगर हम चाहते हैं जनता को सस्ता न्याय मिले, अगर हम चाहते हैं कि उसी प्रकार की ट्रायलें गांवों में विलेज बैरिस्टर और हमारे जो नये सेक्रेटरी हैं या दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अहलकार हैं और वह पंचों तथा सरपंचों का काम न करें तो इतनी छूट कानून में देनी होगी कि वह सब्सटेंशियल जस्टिस करें। आज हर केस रिवीजन में टर्न डाउन हो जाता है और उसका फैसला रद्द कर दिया जाता है। अगर हम पंचायतों को सफल बनाना चाहते हैं, और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि तुम अपने छोटे-मोटे सभी झगड़ों का निबटारा सही

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

और सच्चे तरीके से कर सकते हो, यदि तुम बरबादी से बचना चाहते हो तो इस बात की नितांत आवश्यकता है कि पंचायतों के फैसले के बाद कोई भी रिवीजन या अपील का प्राविजन रखना गांव के लोगों के साथ महान् पाप है, गुनाह है। अगर फिर भी अदालतों में कानून से डिसकस करने का वकीलों को मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि हमने बुद्धिमानी से काम नहीं किया है। फाइनल कोर्ट आफ जस्टिस पंचायतों को बनाया जाय और सुप्रीम कोर्ट को भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि पंचायतों के फैसले में वह इंटरफियर करे, उसको ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारी पंचायतें सफलता से काम नहीं कर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ है, उस सम्बन्ध में यदि सरकार की तरफ से भी इस पर प्रकाश पड़ गया होता तो अधिक अच्छा हुआ होता। जहां तक मेरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये हैं, मैं उनका आभारी हूं। प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि न्याय पंचायतों के कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं और पक्षपात भी देखने में आया है और मुकदमों की संख्या भी काफी बढ़ी है। अब मुकदमे गांव पंचायतों के या न्याय पंचायतों के कारण बढ़े या समय के कारण बढ़ रहे हैं, वर्तमान वातावरण में यह तो निश्चित करना बड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर यह कहा जाय कि न्याय पंचायतों में मुकदमे दाखिल हुये और फैसले हुये, इसलिये अदालतों में मुकद्दमों का बोझ कम हो गया, यह बात सही नहीं जान पड़ती, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रायः सभी अदालतों में चाहे फौजदारी हो, चाहे माल की हो, और सिविल अदालत हो, आज मुकदमों की संख्या काफी बढ़ी हुयी है। हाकिमों की तादाद कम नहीं हुयी है बल्कि बराबर बढ़ती चली जा रही है फिर भी इतनी अधिक तादाद में मुकदमे हैं अदालतों में कि ३-३ वर्ष और ४-४ वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों की भी संख्या बहुत अधिक है। अब न्याय पंचायतें न होतीं तो इन अदालतों में मुकदमे और ज्यादा होते या कम होते इस बात की छानबीन अगर की जाय तो मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतें अगर न होतीं तो शायद इतने अधिक मुकदमें अदालतों में आज न होते।

मान्यवर, मुकदमों का बोझारोपण किस प्रकार होता है, गांवों में मुकदमों की तादाद कैसे बढ़ती है, सरकार को चाहिये कि इसकी जड़ में पैठ कर उसका निरीक्षण करे कि क्यों आज इतने मुकदमे अदालतों में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों इतनी अधिक फौजदारी गांवों में होती है और क्यों आज इतनी अधिक सिविल और रेवेन्यू सूट्स की तादाद बढ़ी हुयी है? मैं समझता हूं कि इस सब का कारण गांवों में आज जो पार्टीबन्दी है वह है और पार्टीबन्दी चुनाव के कारण है, यह इसका दोष है। मैं प्रजातंत्र का विरोधी नहीं हूं लेकिन उसके कारण पार्टीबन्दी भी गांवों में हुयी है। लेकिन न्याय अदालतों में अगर पार्टीबन्दी की गयी है तो वह हमारे लिये बड़े दुःख का विषय होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यह पार्टीबन्दी न्याय अदालतों में भी प्रवेश कर गयी है और करती जा रही है और इस माननीय सदन के बहुत से सदस्यों के विचारों को सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रायः इन न्याय पंचायतों के कारण गांवों में, जैसा मैंने अपने संकल्प में कहा है, वातावरण शुद्ध नहीं हुआ है बल्कि दूषित अधिक हुआ है। यह कहना कि न्याय पंचायतों के जरिये से चीप और स्पीडी न्याय मिलने में सहायता हुयी है, तो यह सिद्धांत तो सभी को मान्य है कि न्याय सस्ता और स्पीडी हो लेकिन वास्तविकता क्या है यही देखने की बात है। वहां थोड़े पैसे में इस्तगासा दायर हो जाता है, थोड़े ही पैसे में माल या दीवानी के मुकदमें भी दायर हो जाते हैं लेकिन अगर वह जस्टिस चीप रह जाती और स्पीडी होती तब मुझे इसका कोई भी विरोध नहीं होता, मगर वास्तविकता यह है कि जो मुकदमे न्याय पंचायतों में दायर होते हैं इनके लिये मुकदमेबाज लोग कानून की बड़ी अदालतों का सहारा फौरन ढूंढ

लेते हैं और किसी न किसी रूप में, जैसा मैंने अपने पहले भाषण में कहा था, ट्रांसफर एप्लीकेशन्स मूव होती हैं, और उन गरीबों को जिनकी रक्षा के लिये ये न्याय पंचायतें कही जाती हैं उन बड़ी अदालतों में आना पड़ता है। फैसला होने के बाद रिवीजन में आना पड़ता है। अधिक पैसे वाले हुये तो उसके फैसलों को हाईकोर्ट तक लेकर चले जाते हैं। तो यह तो कोई रोक नहीं हुयी।

जहां तक उसूल की बात है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि रामराज्य होना चाहिये गांवों में, और महात्मा जी ने सेल्फ गवर्नमेंट और गांवों में ग्राम पंचायतों की हमें प्रेरणा दी है लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी है और म्यूनिसिपल बोर्ड में भी तो सेल्फ गवर्नमेंट की रूपरेखा है। मैं सुल्तान आलम साहब का आभारी हूं कि उन्होंने संविधान की आर्टिकल ४० का उद्धरण दिया, लेकिन अगर इस सेल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा में चुनी हुयी न्याय पंचायतें भी आती हैं तब तो फिर म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी अपनी न्याय पंचायतें या न्याय अदालतें चुनतीं, लेकिन वह बात तो हम नहीं देखते और फिर अगर यह है तो फिर जनता को अधिकार दे दिया जाय कि वह अपना मुंसिफ चुन ले, अपने डिप्टी कलेक्टर्स चुन ले, और अपने हाईकोर्ट के जज को चुन ले। मैं उस परिभाषा में न्याय पंचायतों को नहीं समझता। कहा गया कि गांववालों को वाकयात मालूम होते हैं कि कौन से वाकयात गलत हैं या कौन से सही हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गांववालों को ज्यादा जानकारी हो सकती है बनिस्बत दूर से बैठकर शहादत लेने वालों से और उनको असलियत जानने में कठिनाई नहीं हो सकती, उनको बड़ी आसानी से पता लग सकता है लेकिन असलियत के मुताबिक फैसला हो और कोई पक्षपात न हो तब तो फिर उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। इसी आदर्श को ध्यान में रखकर यह पंचायत राज ऐक्ट बना लेकिन आज हम देखते क्या हैं कि इन न्याय पंचायतों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और गांवों में इनसे भ्रष्टाचार के लिये एक साधन मिल रहा है। उनमें जो फैसला होता है वह न वाकये, न फैक्ट्स और न सचाई पर होता है बल्कि ऐसा होता है जान बूझकर कि गलत हो जाय तो उसको देखकर दुख होता है, क्योंकि फैक्ट्स का फैसला न्याय पंचायतों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स की बाबत वह गलत फैसला कर दे तो फिर रिवीजन में भी नहीं देखा जा सकता और किसी अदालत में नहीं देखा जा सकता तो यह कहना कि न्याय पंचायत का फैसला टूटता नहीं। तो टूट नहीं सकता, टूटेगा तब जब कोई कानूनी दिक्कत पैदा हो या कोई अनभिज्ञता कानून की हो उसके कारण हो, जैसे गवाह के लिये 'आन ओथ' लिखना भूल गयी तो वह रिविजन में आ जायगा लेकिन जो फैक्ट्स का फैसला होता है वह टूटेगा नहीं। लेकिन पार्टीबन्दी जो होती है और उसकी वजह से फैक्ट्स का जो फैसला होता है इस पर भी ऐसी शिकायतें हैं, ऐसी धारणायें हैं कि वे वहां बिना पक्ष का, बिना असर का फैसला नहीं करती हैं।

देखा यह गया है बहुत से पंचों की बात, कि एक फैसला एक पक्ष के लिये किया और फिर दूसरे पक्ष में वही फैसला कर देते हैं। पहले फैसले पर दस्तखत होते हुये भी दूसरे फैसले पर कर देते हैं या तो भ्रष्टाचार की वजह से या दूसरे पक्ष के असर की वजह से। तो मान्यवर, मैंने देखा कि प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने न्याय पंचायतों में जो कमियां हैं उन पर बहुत प्रकाश डाला और पूर्णरूप से डाला, लेकिन प्रायः सभी सदस्यों ने एक आध को छोड़ कर इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव वापस ले लिया जाय और यह पंचायतें अपनी जगह पर कायम रहें और यह भी कहा गया कि चूंकि नये ढंग की पंचायतें बनाने जा रही हैं इस लिये उनका भी परीक्षण होना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि जो संकल्प है उसका जो उद्देश्य था वह करीब-करीब इस माने में पूरा हुआ कि सरकार का ध्यान इस की ओर आकर्षित हुआ और सभी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि जो कमियां हैं उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय और उनको दूर किया जाय। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, करोड़ों जनता का इससे सम्बन्ध है और अगर इससे क्षोभ या बुराई पनपी या यह प्रयोग असफल हुआ तो हमारे लिये दुख की बात होगी। इसलिये जो-जो इसमें कमियां हैं या उन कमियों के जो-जो कारण हैं उन को दूर करने की तरफ सरकार ध्यान दे और इसको इस कदर सुन्दर बनाये ताकि हमारा प्रयोग सफल हो, जनता की सच्ची सेवा हो, उन गरीबों के लिये जिनके लिये कहा जाता है कि सस्ता न्याय मिले, उनको सस्ता न्याय मिल सके,

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तो इससे हमारा, देश का और प्रदेश का कल्याण होगा और जनता के लिये भी एक सांत्वना की बात होगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि मैं अपने संकल्प को वापस लूं और आशा करता हूं कि सरकार विशेष रूप से इस ओर ध्यान देगी।

*स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य था कि माननीय मौर्य जी ने इस सम्बन्ध में एक ऐसा प्रस्ताव माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि जब इस सदन के प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का मूल रूप से विरोध किया और माननीय मौर्य जी ने भी इस बात का आश्वासन दिलाया है कि वह इसको वापस लेने के लिये तैयार हैं। माननीय प्रस्तावक महोदय ने जो तर्क इस प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित किया है वह कुछ मुझे सही नहीं मालूम होते। यदि इन पंचायतों के पिछले इतिहास पर हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि सन् १९४७ में हमने विधेयक बनाया। अधिनियम बना और सन् १९४९ से इन पंचायतों ने कार्य करना शुरू किया। सन् १९५३ में ४ साल के अनुभव के पश्चात् यह बात महसूस हुई कि कुछ कार्यप्रणाली में परिवर्तन होने चाहिये। विधेयक माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चीज है इसलिये पंचायतों के कार्य को देखने के लिये एक समिति बनी, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। उस समिति ने इन कारणों का जिकर किया। इस प्रस्ताव के विषय में जो चर्चा सदन में हुई कोई नया तर्क उस चर्चा में नहीं किया गया जो उस समय उस समिति के समक्ष उपस्थित न हुआ हो। एक बहुत बड़ा तर्क जो श्री मौर्य जी ने रखा है वह यह है कि मुकदमों की तादाद बढ़ गयी। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान उस समति की रिपोर्ट से पृष्ठ ३६ पैरा १२ की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि वह उसको पढ़ लेते तो सम्भवतः उनको .....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा, मुझे सदन को दो एक सूचना देती है।

गृह सचिव एवं वित्त मंत्री द्वारा सदन से क्षमा याचना के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री जगन्नाथमल्ल ने मेरा और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि एक माननीय सचिव यहां पर मुख्य मंत्री की सीट पर बैठ गये। मैंने इसकी और जानकारी हासिल की और जब सचिव साहब को यह मालूम हुआ कि इस तरह का प्रश्न सदन में उठाया गया तो मुझे उन्होंने एक पत्र लिखा है। वह सचिव हैं सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, श्री कौल। उन्होंने यह पत्र में कहा है कि "उनको वित्त मंत्री महोदय ने यहां किसी कार्यवश बुलाया था जो कार्य कि यहां पर चल रहा था। चूंकि उनके कान में थोड़ा दर्द रहा तो धीरे-धीरे बात करने से वह सुनते नहीं थे वह कुछ झुक गये। तो सीट की ओर झुकने से इधर से ऐसा मालूम हुआ कि वह बैठ गये, लेकिन हाथ उनका सीट के ऊपर था। अगर इससे सदन का नियम भंग होता हो तो हर हालत में बिला शर्त सदन से माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे नियम इस बात का मालूम नहीं था कि ऐसा करने से नियम भंग हो जायगा। ऐसी अवस्था में मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं"। मैंने भी उनकी क्षमायाचना को स्वीकार कर लिया है।

दूसरा प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया था कि मेरे सदन में आने पर सुबह माननीय वित्त मंत्री जी अपने स्थान पर उठे नहीं थे। जब सुबह अध्यक्ष यहां पर आता है तो सब लोग अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। उनका कहना यह है कि सुबह वित्त मंत्री जी खड़े नहीं हुये थे। मैंने तो उनको देखा नहीं, न तहकीकात ही की। लेकिन जब यह बात माननीय वित्त मंत्री के कानों तक गयी कि ऐसा प्रश्न सदन में उठाया गया तो उन्होंने एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्र लिखकर मेरे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि "मुझे मालूम नहीं है कि मैं नहीं उठा। उस समय मैं कुछ विचार कर रहा था, हो सकता है कि न उठा हूं। तो किसी भी हालत में मुझे दुख है और मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और सदन से इस बारे में क्षमा चाहता हूं"। मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, जो आपने दुख प्रकट किया है मैं उसकी सूचना सदन को दे दूंगा क्योंकि मैंने खुद तो देखा नहीं है। मैं समझता हूं और कुछ मुझे ऐसा ख्याल पड़ता है कि वित्त मंत्री जी आधा उठे और कोई बात सोचते हुये जल्दी बैठ गये पर मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। यह स्पष्ट है कि उनको खुद खेद है अगर ऐसी बात उनसे हुई हो। सोचने के कारण संभव है कि यह बात उनसे हो गई होगी। इसलिये उन्होंने कहा है कि "अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और मैं उसके लिये क्षमा चाहूंगा"। यह केवल सूचनार्थ मैंने सूचना सदन को दे दी है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२ पर)

२६ जुलाई, १९५६ को मऊ, जिला आजमगढ़ में हुये दंगे का विवरण

२६ जुलाई सन् १९५६ की शाम को ६–३० के करीब १५ लड़के मऊ कसबे के मुहल्ला ननहारा में बलदेव नोनियां के मकान के पीछे ताश खेल रहे थे। उन्होंने कुछ नोनियां औरतों से भद्दे मजाक किये। नोनिया लोगों ने इस पर आपत्ति की जिस पर कुछ कहा सुनी हुई। इसने एक दंगे का रूप धारण कर लिया जिसमें उन लड़कों और उनके समर्थकों ने तेजाब और लाठियों का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप ८ व्यक्ति घायल हुये जिसमें से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

२—सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को काबू में कर लिया। इस संबंध में अभी तक १८ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक मुकदमा आई० पी० सी० की धारा ३०४/१४७/३२६/३३६ के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। जिसमें चार्जशीट लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५ पर)

D. O. no. O-3197/II-B—50. CIVIL SECRETARIAT, U. P.,

APPOINTMENT (B) DEPARTMENT

Dated Lucknow, October 30, 1950.

Parties and addresses to officers on their transfer or promotion

DEAR SIR,

SOME instances have recently come to the notice of Government in which responsible officers have attended parties or dinners held in their honour on the occasion of their transfer or promotion, without obtaining previous sanction of Government. If the party was public, attendance at it involved a violation of Rule 4 of the late Secretary of State's Services (Conduct) Rules, 1942 and Rule 3 of the Government Servant's Conduct Rules applicable to members of the services under the rule making control of the Uttar Pradesh Government. According to these rules sanction of Government is necessary for a government servant receiving any complimentary or valedictory address, accepting any testimonial, or attending a public meeting or entertainment held in his honour. These rules only permit a government servant to attened a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of himself or any other government servant or any person quitting the service of Government or departure from a station of himself or such other government servant or person. The attention of all government servants has repeatedly been drawn to the need for strict observance of these rules in the following references :

(*a*) Circular G. O. no. 5205/II—48, dated October 9, 1937.

(*b*) Circular D. O. no. 2504/II—45, dated June 6, 1945.

(*c*) Circular G. O. no. O-73/II-B—120-1949, dated January 13, 1950.

2. Though the rules permit of attendance at a substantially private and informal entertainment, it is in actual practice somewhat difficult to draw a clear line between private and public entertainment. Such entertainments and parties, even when of a strictly private character, are not immune from public criticism and are often given undue publicity in newspapers and become a source of embarrassment not only to the officer concerned but also to Government.

3. Government have no doubt that officers as a rule accept such invitations out of courtesy and regard for the susceptibilities of thier hosts. But public sentiment is generally opposed to such parties and in the prevailing conditions of acute scarcity of foodgrains and other essential articles and soaring prices such functions are looked upon with special disfavour and tend to create a certain amount of irritation and even prejudice against the officers associated with them. They do not make the task of administration easy and serve to remind people of an obsolete and outmoded system which had little regard for the masses and often exploited them with the help of the chosen few.

4. Government trusts that all officers will observe the rules in letter as well as in their true spirit. Whenever in doubt they will be well advised in politely declining the invitation. It would be a safe rule to abstain from participating in all entertainments which cannot be considered as being personal, informal and private. Where any officer finds any difficulty in declining an invitation or otherwise considers it necessary, he can seek guidance from Government.

Yours sincerely.
BHAGWAN SAHAY.

To—All Heads of Departments, Commissioners of Divisions, District Officers and other Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०-११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर)

दिनांक ११–१२ जनवरी, १९५६ की रात को हथौंज, जिला बलिया में हुई डकैती का विवरण

तारीख ११–१२ जनवरी, १९५६ की रात को हथौंज ग्राम के निवासी श्री ईश्वर राय के घर पर डाका पड़ा। डाकुओं के पहुंचते ही श्री रघुनाथ राय तथा श्री सीताराम राय पर, जो मकान के बाहर सो रहे थे भालों से हमला कर उन्हें मार डाला। ये दोनों श्री ईश्वर राय के क्रमशः भतीजे व चचा लगते थे। शोरगुल सुनकर बाहर निकले हुये पड़ोसी, श्री झांगुर अहीर, श्रीमती शिवकुंवरी और श्री यदुनन्दन अहीर पर भी डाकुओं ने बंदूक चलाई जिसके फलस्वरूप प्रथम दो व्यक्ति तत्काल मर गये तथा तीसरे की मृत्यु अस्पताल में हो गयी। इस डकैती की रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा ३९६–३९७ के अन्तर्गत दर्ज कराई गयी, जिसमें दस व्यक्तियों को नामजद किया गया और कुल रु० २२,५४७ की क्षति लिखाई गयी।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर)

प्रकार	मन	सेर
१—दालचीनी	४०	२८
२—कायफल का छिल्का	१७८	६
३—पिपल	६८	२६
४—सितावर	२६	१४
५—रोहिणी	२१	१
६—अपामार्जा	२०	०
७—उपली	३६	०
८—झूला	८,७८२	३६
६—पाषाणभेद	१३६	७
१०—हरड़	४२	१
११—घजिया ..	११५	२०
१२—हंसराज	७५	१०
१३—तेजपात	२६०	३५ १/२
१४—रीठा	१६६	६
१५—चिरायता	३	३४
१६—दारुड़ हल्दी	१३०	०
१७—पदम काष्ठ	२१८	३८
१८—सम्यो	७२	११
१९—कपूर कचरी	२२१	८
२०—कुटकी	१२०	१५
२१—बनस्याफल	५	०
२२—तज	१७२	२७
२३—बच	८५	१२
२४—गुलबनफसा	१७	२७
२५—बिशरी कन्द	५४	२५
२६—सनजानाफूल	१६८	७
२७—इसटरोल	१	५
२८—गिलोई	३५	३५
२९—कचनार	६	०
३०—पन्ज मिश्री	८	२७
३१—मजीठ	११	२५
३२—आंवला, हर्रा, बहेड़ा	१,१६८	०
३३—गोंद	५१३	०
३४—आंक	२	०
३५—मड़ोड़ फल	३	०
३६—अन्य जड़ी बूटियां	१,८८८	०
३७—किलमोड़ा	४२६	२७,१/२
३८—इलायची	२	३०
३९—पखान भेद	४०	३५
४०—बन प्याज	१२६	२२

	मन	सेर
४१—शहद, मोम	११	० और १,२२५ रु० मूल्य की ।
४२—लासा	८०	०
४३—घोंट के फल	४३५	०
४४—चिरौंजी	१००	०
४५—महुआ के फल	६,८७५ रु० मूल्य की ।	
४६—तेंदू की पत्तियां	१३,१३२	० और १८,९६० बोरे ।

नोट—इन वन उपजों के अतिरिक्त कुछ अन्य गौण वन उपज की भी निकासी हुई जो विशेषतया उल्लेखनीय नहीं है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७ पर)

सूची

क्र० सं०	निवास स्थान	निवार चारपाई पहले अब		बान की चारपाई पहले अब		आराम कुर्सी पहले अब		बगैर हाथ की कुर्सी पहले अब		आराम कुर्सी बरामदे की पहले अब	
१	ब्रुकहिल के कमरे ..	२	३	..	..	..	२	२	२	..	..
२	स्लीपी हालो 'ए' ..	४	४	..	२	१	२	२	६	..	२
३	स्लीपी हालो 'बी' ..	२	३	..	२	१	२	..	४	..	..

क्र० सं०	सेंटर मेज श्रृंगार मेज और स्टूल पहले अब		खाने की मेज पहले अब		चाय की मेज पहले अब		पेग टेबुल पहले अब		सौफा सेट पहले अब		टेबुल लैम्प पहले अब	
१	ब्रुकहिल के कमरे						१	२	..	..	..	..	..	.
२	स्लीपी हालो 'ए'	१	..	२	१	२	२	..	२	..	१	..	२	
३	स्लीपी हालो "बी"	१	..	१	१	१	२	..	२	..	..	..	१	

क्र० सं	बाल्टी पहले अब		नहाने का पटरा पहले अब		आलमारी पहले अब		परदे पहले अब		चटाई पहले अब	
१	ब्रुकहिल के कमरे ..	१	१	१	१			१	कमरे की जरूरत के अनुसार	
२	स्लीपी हालो 'ए' ..	१	२	२				१	दरवाजों व खिड़कियों पर	
३	स्लीपी हालो 'बी' ..	१	२							

सूची २

स्लीपी हालो के क्वार्टरों तथा ब्रुकहिल बैरक में कमरों के किराये तथा मकानियत की सूची

	स्लीपी हालो के क्वार्टर्स		ब्रुकहिल बैरेक
मकानियत	'ए' टाइप में मकानियत	'बी' टाइप में मकानियत	कमरों से संलग्न मकानियत
१—कार्यालय का कमरा ..	१	१	हर कमरे में रसोई घर। स्नान गृह और शौचालय साथ हैं।
२—बैठक का कमरा ..	१	१	
३—सोने का कमरा ..	२	१	
४—स्नान घर	२	२	
५—रसोई घर	१	१	
किराया—७५ रुपया प्रति मास जिस में बिजली, पानी, सफाई, मेहतर आदि का खर्चा सम्मिलित नहीं है।		५० रु० प्रतिमास जिस में बिजली, पानी, सफाई, मेहतर आदि का खर्चा सम्मिलित नहीं हैं।	३ रुपया प्रति दिन प्रति कमरा जिसमें बिजली, पानी, सफाई और मेहतर आदि का खर्चा सम्मिलित हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

श्री व्रजभूषण मिश्र जी द्वारा पूछे गये प्रश्न सं० ३६ के उत्तर में उल्लिखित सूची

आफिसर का नाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	विवरण
सन् १९५५		
१—श्री जयराज सिंघा, आई० एफ० एस०	१-२-१९५५	दो वर्ष के लिये पुर्नानियुक्त किये गये हैं ।
२—श्री नन्द किशोर त्रिपाठी, पी० एफ० एस०	१७-४-१९५५	दो वर्ष के लिये पुर्नानियुक्त किये गये हैं ।
३—श्री सोहन सिंह नेगी, पी० एफ० एस०	१५-६-१९५५	दो वर्ष का सेवा विस्तार (extention) दिया गया हैं ।
४—श्री वाचस्पति नौटियाल, पी० एफ० एस०	१६-७-१९५५	दो वर्ष का सेवा विस्तार (extention) दिया गया हैं ।
सन् १९५६		
१—श्री देवी लाल साह, आई० एफ० एस०	७-३-१९५६	एक वर्ष का सेवा विस्तार (extention) दिया गया हैं ।
२—श्री दामोदर जोशी, पी० एफ० एस०	१०-६-१९५६	एक वर्ष के लिये पुर्नानियुक्त किये गये हैं ।
३—श्री जंगबहादुर लाल, पी० एफ० एस०	१८-६-१९५६	३१-१२-१९५६ तक के लिए पुर्नानियुक्त किये गये हैं ।
४—श्री रघुवंश सहाय, स्थानापन्न ए० सी० एफ० ..	१-७-१९५६	एक वर्ष का सेवा विस्तार (extention) दिया गया हैं ।
५—श्री दया किशन भरद्वाज, स्थानापन्न ए० सी० एफ० ..	२०-१२-१९५६	इनके मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५४ एल० ए०—१९५६-७९६ ।